लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र]

Fourth Session

Preservation Govt
Fumigated
On 16.1.84
Parliament Library

[खंड 15 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XV contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 33, शुक्रवार, 29 मार्च, 1968/9 चैत्र, 1890 (शक)

No. 33, Friday, March 29, 1968/Chaitra 9, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
928. आसाम में उपद्रव	Disturbances in Assam	.. 271—277
929. नेफा (उपूसी) का प्रौद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण	Techno-Economic Survey of NEFA	.. 277—278
930. केन्द्रीय सरकार की नौकरियों के लिये कुछ चुनींदा विद्यार्थियों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण	Education and Training of Picked Students for Central Jobs	.. 278—282
931. छम्ब पर पाकिस्तानी आक्रमण	Pak. attack on Chhamb	.. 282—284
932. पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के संबंध में गिरफ्तारियां	Arrests in connection with Upadhyaya's Murder	.. 284—285
933. दिल्ली में विद्यार्थियों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में चढ़ाया जाना	Promotion without Examination in Delhi	.. 286—287
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. N. Q. No.		
934. चुनावों में विदेशी धन का प्रयोग	Use of Foreign Money in Elections	.. 287—288
935. दिल्ली में कार चुराने वाले व्यक्ति	Car-lifters in Delhi	288
936. इंजीनियरी कालेजों में दाखिला	Admission to Engineering Colleges	.. 288—289

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

937. विश्व के पत्तन विशेषज्ञों का दल	Team of World Harbour Experts	..	289
938. समुद्री भाड़े की दरें	Sea Freight Rates	..	289—290
939. दिल्ली में मिडिल स्कूलों के लिये धन	Funds for Middle Schools in Delhi	..	290
940. विमान चालकों (पायलटों) के वेतनमान	Pay Scales of Pilots	..	291
941. पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिये सहायता	Assistance for Production of Text Books	..	291—292
942. हिन्दी सलाहकार	Hindi Adviser	..	292
943. राष्ट्रीय स्वस्थता दल (नेशनल फिटनेस कोर)	National Fitness Corps	..	292—293
944. संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का माध्यम	Media for U.P.S.C. Examinations	..	293
945. होम गार्ड	Home Guards	..	294
946. सेनायें	Senas	..	294
947. दिल्ली में अपराध	Crimes in Delhi		295
948. उत्तर प्रदेश की संयुक्त विधायक सरकार	S.V.D. Government of U.P.	..	295
949. मैक्सिको ओलम्पिक खेलों में भारतीय टीम	Indian Team to Mexico Olympics	..	295—296
950. लाटरियां	Lotteries	..	296
951. संघ राज्य क्षेत्रों के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा का संयुक्त संवर्ग	Joint I.A.S. Cadre for Union Territories	..	296—297
952. पटना में गंगा नदी पर पुल	Ganga Bridge at Patna	..	297—298
953. मुस्लिम लीग द्वारा सिर उठाया जाना	Resurgence of Muslim League	..	298
954. राज्यों में माध्यमिक शिक्षा	Secondary Education in States	..	298—299
955. सरकारी उपक्रमों में 500 रुपये मासिक से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी	Employees in Public Undertakings getting more than Rs. 500/-	..	299

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या		
S. Q. No.		
956. उच्चतम न्यायालय में सुरक्षा की व्यवस्था	Security Arrangements in Supreme Courts ..	299
957. आसाम में लचित सेना	Lachit Sena in Assam ..	300
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
5620. शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा प्रकाशित पुस्तकें	Books published by NCERT ..	300
5621. केन्द्रीय सचिवालय में सहायकों के लिये पदोन्नति के अवसरों का अभाव	Stagnation Among Assistants in the Central Secretariat ..	301
5622. न्यायालय में अवमान के मामले	Contempt of Court Cases ..	301—302
5623. तिब्बती के अध्ययन के लिये संस्थायें	Institutes for Tibetan Study ..	302
5624. मंत्रियों को दिया गया यात्रा-भत्ता	Travelling Allowance Paid to Ministers	302
5625. मंत्रियों के अनुसचिवीय कर्मचारी	Secretariat Staff of Ministers	302
5626. भारतीय पर्यटन विकास निगम	Indian Tourism Development Council	303
5627. केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा कारों की नम्बर प्लेटों पर देवनागरी अंकों का प्रयोग किया जाना	Use of Devanagari Numerals in Car Plates by Central Ministers ..	303
5628. उड़ीसा के लिए केन्द्रीय सड़क निधि योजनाएं	C.R.F. Schemes for Orissa ..	304
5629. 'शमा' पत्रिका के मालिकों द्वारा पुरस्कार के धन का भुगतान	Payment of Prize Money by Owners of 'SHAMA' Magazine ..	304
5630. तदर्थ आधार पर विशेष कार्य अधिकारियों की नियुक्तियां	Appointments of O. S. Ds on Ad-hoc Basis ..	304—305
5631. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में अनुसंधान सहायक	Research Assistants in Central Hindi Directorate ..	305

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5632.	स्वर्गीय चन्द्रशेखर आजाद का स्मारक	Memorial for late Shri Chandra Shekhar Azad ..	305
5633.	मानशाई पुल परियोजना	Manshai Bridge Project ..	305—306
5634.	विक्रम विश्व विद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार का पद	Post of Deputy Registrar Vikram University	306
5635.	ऋषिकेश के महेश योगी	Mahesh Yogi of Rishikesh ..	306
5636.	विदेशी धर्म प्रचारक	Foreign Missionaries ..	306—307
5637.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का इतिहास तैयार करने की योजना	Scheme for preparation of monography for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	307—308
5638.	हिमाचल प्रदेश को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Himachal Pradesh ..	308
5639.	सिकन्दराबाद स्टेशन पर सं० सो० पा० के कार्य-कर्त्ताओं की गिरफ्तारी	Arrest of S.S.P. men at Secunderabad Station ..	309
5640.	पार्क होटल कलकत्ता	Park Hotel, Calcutta ..	309
5641.	केरल में हिन्दी शिक्षक	Hindi Teachers in Kerala ..	309—310
5642.	दिनाजपुर जिले में एक भारतीय ग्राम पर पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा आक्रमण	Attack by Pakistani Nationals on an Indian Village in Dinajpur District	310
5643.	निजाम का उत्तराधिकारी	Successor to Nizam ..	311
5644.	दिलबूरी पत्तन पर भारतीय जहाज को हानि	Damage Caused to Indian Ship at Dilburi Port ..	311
5645.	अरविन्द अरविल्ले कालोनी पांडचेरी	Arvind Arville Colony, Pondicherry ..	311—312
5646.	पंजाब तथा हरियाणा के उच्च न्यायालयों में रिक्त पद	Vacancies in Punjab and Haryana High Courts ..	312
5647.	गैर-कानूनी गतिविधियां (रोक) अधिनियम	Unlawful Activities (Prevention) Act ..	312
5648.	अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 104 के अधीन राज्य सरकारों को मिली शक्तियों का प्रयोग	Exercise by the State Governments of the Power vested in them under Section 104 of the R.P.C. ..	313

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5649. पंजाब निर्यात निगम लिमिटेड	Punjab Export Corporation Ltd. ..	313
5650. बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) में सड़कें	Roads in Bulandshahr (U.P.) ..	313—314
5651. भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सिपाही	Ex-I.N.A. soldiers	314
5652. आसाम का पुनर्गठन	Reorganisation of Assam ..	314
5653. पालम हवाई अड्डे में गणमान्य व्यक्तियों का विश्राम कक्ष	VIP Lounge at Palam Airport ..	314—315
5654. उच्चतम न्यायालय में दायर मुकदमे	Suits Filed in Supreme Court ..	315
5655. विदेशी पर्यटकों से विदेशी मुद्रा की आय	Foreign exchange Earnings from Foreign Tourists ..	315—316
5656. मेरठ में दंगे	Riots in Meerut	316
5657. हिन्दी का प्रचार	Propagation of Hindi ..	316—317
5658. कैदियों के साथ भेंट करने का संसद सदस्यों का अधिकार	M.P's Right of Interview with Prisoners ..	317
5659. दिल्ली में गिरफ्तार किये गये अध्यापक	Teachers Arrested in Delhi ..	317—318
5660. दिल्ली के अध्यापकों का मूल वेतन	Basic Pay of Delhi Teachers ..	318
5661. एशिया फाउंडेशन	Asia Foundation ..	318—319
5662. उच्च न्यायालयों में मुकदमे	High Court Cases ..	319
5663. आसाम में दंगे	Disturbances in Assam ..	319
5664. दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें	Road Accidents in Delhi ..	319—320
5665. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल का पश्चिम बंगाल में लगाया जाना	Deployment of C.R. Police Force and Border Security Force in West Bengal ..	320
5666. जम्मू तथा काश्मीर में निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियां	Arrest under Preventive Detention Act in Jammu and Kashmir ..	321
5667. उखरूल में नागा शिविर	Naga Camps in Ukhrul	321

विषय		SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
5668.	भारतीय न्यायिक सेवा	Indian Judicial Service	.. 321—322
5669.	देवनागरी लिपि	Devanagri Script	.. 322
5671.	काश्मीर में पाकिस्तानी समर्थकों द्वारा 'माहोर' पुलिस स्टेशन पर आक्रमण	Attack on 'Mahor' Police Station in Kashmir by Pakistani Supporters	.. 322
5672.	चीन समर्थक साम्यवादी	Pro-Chinese Communists	.. 322—323
5673.	मद्रास के स्कूलों में हिन्दी का पढ़ाया जाना	Hindi Teaching in Madras Schools	.. 323
5674.	बिहार में सीमा पार्श्व-सड़क परियोजना	Lateral Road Project in Bihar	.. 323—324
5675.	अनुभाग अधिकारियों तथा सहायकों की वरिष्ठता सूचियां	Seniority Lists of Section Officers and Assistants	.. 324
5676.	भारत सरकार के अवर सचिव	Under Secretaries to the Government of India	.. 324—325
5677.	विशाखापत्तनम पत्तन	Vishkapatnam Port	.. 325
5678.	शेख अब्दुल्ला की गृह-कार्य मंत्री से वार्ता	Sheikh Abdullah's Talks with Home Minister	.. 326
5679.	अश्लील साहित्य	Obscene Literature	326
5680.	हिन्दी में उच्चतर शिक्षा सम्बन्धी छः-वर्षीय योजना	Six Year Scheme on Higher Education in Hindi	.. 326—327
5681.	कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी जांच आयोग	Calcutta Tramway Co. Inquiry Commission	.. 327
5682.	व्यापारी नौवहन का निकास	Development of Merchant Shipping	.. 327—328
5683.	साम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots	.. 328—329
5684.	एयरलाइनों के लिये अधिक विमान	Additional Planes for Airlines	.. 329—330
5685.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग	Central Vigilence Commission	330
5686.	उत्तरी भारत के राज्यों में दक्षिण भारत के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार	Treatment of South Indian Officers in North Indian States	.. 330
5687.	आन्ध्र-प्रदेश—उड़ीसा सीमा पर 'नक्सलबाड़ी'	"Naxalbari" in Andhra Pradesh-Orissa Border	.. 330—331

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5688. नादिया जिले में जलूसों पर रोक	Ban on Processions in Nadia District ..	331
5689. राष्ट्रीय धातुकार्मिक प्रयोग-शाला कर्मचारी संस्था	National Metallurgical Laboratory Employees' Association ..	331—332
5690. पार्श्ववर्ती सड़क परियोजना	Latest Road Project ..	332
5691. पालम हवाई अड्डे पर गणमान्य व्यक्तियों का कक्ष	VIP Lounge at Palam Airport ..	332—333
5692. विदेश भेजे गये इंजीनियर	Engineers sent Abroad ..	333
5693. इंस्टीट्यूट आफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च का सर्वेक्षण संबंधी प्रतिवेदन	Survey Report of Applied Manpower Research	334
5694. उत्तर प्रदेश में पाठ्य पुस्तकें और स्कूलों में दाखिला	Text Books and Admission to Schools in U.P. ..	334
5695. उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच	Enquiry into Corruption Cases in U.P. ..	334
5696. उत्तर प्रदेश के कलक्टर और कमिश्नर के कार्यालयों में वरिष्ठ सहायकों का स्थानान्तरण	Transfer of Senior Assistants in U.P. Collectorate and Commissioners' Offices ..	335
5697. विज्ञान की प्रतिभा वाले व्यक्तियों की खोज के लिए परीक्षा	Science Talent Search Examination	335
5698. उत्तर प्रदेश का सतर्कता निदेशालय	Directorate of Vigilance, U.P. ..	336
5700. चण्डीगढ़ सलाहकार समिति	Chandigarh Advisory Committee ..	336—337
5701. पंजाब और हरियाणा में योग्यता-छात्रवृत्तियां	Merit Scholarships in Punjab and Haryana ..	337—338
5702. मध्य प्रदेश में पाये गये प्राचीन सिक्के	Find of Ancient Coins in Madhya Pradesh ..	338
5703. अनुसूचित जातियों तथा कम आय वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to Students belonging to Scheduled Castes and Low Income Group ..	338—339
5704. आधुनिक होटल	Modern Hotels ..	339

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5705.	विमान यात्रा के लिए निःशुल्क पास	Free Passes for Air Travel ..	339—340
5706.	पर्यटकों की रुचि के स्थानों का विकास	Development of Places of Tourist Interest ..	340
5707.	राष्ट्रीय ध्वज को जलाये जाने की घटना	Burning of National Flags ..	340
5708.	राजनैतिक दलों के छापेखाने	Printing Presses owned by Political Parties ..	340—341
5709.	तमिल सम्मेलन	Tamil Conference ..	341
5710.	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सेवा संबंधी रिकार्ड	Service Records of Class IV Employees ..	341
5711.	पर्यटक यातायात	Tourist Traffic ..	342—343
5712.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा बैटरियों का आयात	Import of Batteries by I.A.C. ..	343—344
5713.	हिन्दी अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण कालेज	Hindi Teachers Training College ..	344—345
5714.	कृषि इंजीनियरी कालेज	Agricultural Engineering Colleges ..	345
5715.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों में रंग रोगन करना	Painting of I.A.C. Aircraft ..	345
5716.	पालम हवाई अड्डे के मुख्य द्वार का निर्माण-कार्य	Construction of Main Gate at Palam Airport ..	345—346
5717.	दिल्ली पुलिस संबंधी खोसला आयोग	Khosla Commission on Delhi Police ..	346
5719.	मेरठ जिले में मुरादनगर-रावली सड़क	Muradnagar-Ravli Road in Meerut District ..	346
5720.	मालवाहक जहाजों और तेलास्क जहाजों की खरीद	Purchase of Bulk Carriers and Tankers ..	347
5721.	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 2	National Highway No. 2 ..	347
5722.	आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ	National Highway in Andhra Pradesh ..	347—348
5723.	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5	National Highway No. 5 ..	348

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

5724. दिल्ली में अपहरण के मामले	Kidnapping cases in Delhi ..	348—349
5725. दिल्ली में केन्द्रीय स्कूल	Central Schools in Delhi ..	349
5726. जम्मू तथा काश्मीर राज्य में पाकिस्तानी और चीनी एजेंट	Pakistani and Chinese agents in Jammu and Kashmir State ..	349—350
5727. अमरीका के बने बमों का सान्तिपुर में बरामद होना	American Bombs recovered in Santipur ..	350
5729. मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ	National Highway in M.P.	350
5730. मध्य प्रदेश में अन्तर्राज्यीय महत्व की सड़कें और पुल	Road and bridges of Inter-state Importance in M.P. ..	351
5732. भारत कनाडा संस्थान	Indo-Canadian Institute	351
5733. जम्मू तथा काश्मीर के लोगों की स्थानीय शिकायतों का संसद् सदस्यों द्वारा स्थल पर अध्ययन	On-the-spot study by M. Ps. of local grievance of people of Jammu and Kashmir ..	351—352
5734. इण्डो-कनाडियन संस्था के लिये नियतन	Allocations to Indo-Canadian Institute ..	352
5735. विदेशों से पुस्तक सहायता	Book aid from abroad ..	352—353
5736. जासूसी सम्बन्धी कानून	Law for Spying	353
5737. जनकपुर का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास	Janakpur as Tourist Centre	353
5738. ट्रक मालिक (उत्तर प्रदेश)	Road Transport Operators (U.P.) ..	353—354
5739. खान प्रबन्धक परीक्षा	Mine Managership Examination ..	354
5740. उड़ीसा में सार्वजनिक पुस्तकालय	Public Libraries in Orissa ..	355
5741. आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा कर वसूल किये जाने पर उड़ीसा सरकार की शिकायत	Orissa Government's Complaint on Collection of Taxes by the Government of Andhra Pradesh ..	355
5742. अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में अन्तर्देशीय जल परिवहन	Inland Water Transport in Andaman and Nicobar Islands ..	355—356

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		

5743. कार निकोबार से नानकोबरी तक यात्रा	Travel from Car Nicobar to Nancowary ..	356
5744. सियालदह में लाठी प्रहार	Lathi Charge in Sealdah ..	356—357
5745. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	Class IV Staff ..	357
5746. दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारी	Delhi University Employees ..	357—358
5747. दिल्ली में स्कूलों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	Class IV Employees of Delhi Schools	358
5748. महिलाओं के लिये पृथक विश्वविद्यालय	Separate Universities for Women ..	358
5749. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में विस्तार सेवा केन्द्र	Service centres in N.C.E.R.T. ..	358—359
5750. बुनियादी शिक्षा	Basic Education ..	359
5751. शिक्षकों के लिये समान वेतन-मान	Uniform Pay Scales of Teachers ..	359—360
5752. संस्कृत की शिक्षा	Sanskrit Education ..	360
5753. कलकत्ता-इम्फाल उड़ान में डकोटा विमानों को हटाना	Withdrawal of Dakota Planes from Calcutta-Imphal Flight	360
5754. मनीपुर में गैर-सरकारी कालेज के अध्यापक	Non-Government College Teachers in Manipur ..	360—361
5755. महिलाओं में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा	University Education among Women	362
5756. भारतीय वन सेवा	Indian Forest Service ..	362—363
5758. दिल्ली के उप-राज्यपाल के लिये निवास-स्थान	Residence for Lt. Governor of Delhi ..	363
5759. करीमगंज सब-डिवीजन में रेलवे सुरक्षा दल पर आक्रमण	Attack on Railway Protection Force in Karimganj Sub-Division	363
5760. बीजापुर के स्मारकों में रोशनी का प्रबन्ध	Illuminations in Bijapur Monuments ..	363—364
5761. बम्बई में एयर इंडिया के विमान को क्षति	Damage caused to Air India Plane at Bombay ..	64

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5762. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें	University Grant Commission's Recommendations ..	364—365
5763. राजनैतिक पीड़ितों के लिये भूमि	Land for Political Sufferers	365
5764. रत्नगिरि पत्तन	Ratnagiri Port ..	365—366
5765. वालकाट द्वारा प्रयोग में लाये गये विमान की नीलामी	Auction of Plane used by Walcott	366
5766. सदाचार समितियां	Sadachar Samitis ..	366—367
5767. यमुना नदी के घुघटा घाट पर पुल	Bridge at Ghughta Ghat on River Jamuna ..	367
5768. कलकत्ता की एक सभा में उप-प्रधान मंत्री के भाषण के दौरान गड़बड़ी	Disturbances in a Meeting addressed by Deputy Prime Minister in Calcutta ..	367
5769. स्कूल फीस	School Fees ..	367—368
5770. हरियाना पुलिस	Haryana Police ..	368
5771. हरियाना में पुलिस सब-इंस्पैक्टरों की भर्ती	Recruitment of Sub-Inspectors of Police in Haryana ..	368
5772. राजस्थान में सीमा सड़कें	Border Roads in Rajasthan ..	369
5773. सैनिक महत्व के फोटोग्राफों की चोरी	Theft of Photographs of Strategic Importance ..	369—370
5774. भारतीय प्राशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा प्रतिनियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Charges of Corruption against Deputationists, I.A.S. & P.C.S. ..	370
5776. आसाम के पहाड़ी नेताओं की प्रधान मंत्री के साथ भेंट	Meeting of Assam Hill Leaders with the Prime Minister ..	370—371
5777. अखिल भारतीय माध्यमिक अध्यापक संघ	All-India Secondary Teachers Federation ..	371
5778. बीकानेर में सीमावर्ती सड़कें	Border Roads in Bikaner ..	372
5779. राजस्थान में खुदाई	Excavations in Rajasthan	372
5780. दिल्ली पुलिस के लिये 'वरी' पिस्तौल	Very Pistol for Delhi Police ..	373

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
5781. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये रूसी विमान	Russian Aircraft for Indian Air lines ..	373—374
5782. संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का उप-कुलपति	Vice-Chancellor, Sanskrit University Varanasi ..	374
5783. दिल्ली के स्कूल अध्यापक	Delhi School Teachers ..	374
5784. जम्मू तथा काश्मीर राज्य में सिनेमा-गृहों में राष्ट्र गान की ध्वनि का बजाया जाना	Playing of National Anthem in Cinema Houses in J & K State ..	374—375
5785 भारतीय प्राशासनिक सेवा तथा सम्बद्ध सेवाओं की परीक्षा	I.A.S. Allied Services Examinations ..	375
5786. राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों के लिये निशुल्क शिक्षा	Free Education to Children of Political Sufferers ..	375—376
5787. भागीरथी नदी पर पुल	Bridge over Bhagirathi ..	376
5788. केन्द्रीय स्कूल	Central Schools ..	376
5789. केन्द्रीय स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान	Pay Scale of Central School Teachers ..	377
5790. पोलिटैक्निक संस्थाओं में छात्र-वृत्तियां	Scholarship in Polytechnics	377
5791. प्रशिक्षणार्थ विमान-चालन के शुल्क में वृद्धि	Increase in Rates for Instructional Flying ..	378
5792. राष्ट्रीय राज-पथ संख्या 5 पर पुल	Bridge on National Highway No. 5 ..	378—379
5793. दिल्ली प्रशासन में अधिकारी	Officers in the Delhi Administration ..	379
5794. इलाहाबाद में दंगे	Allahabad Riots ..	379—380
5795. कलकत्ता में हुये दंगे	Calcutta Riots ..	380
5796. काश्मीर में शेख अब्दुल्ला का वक्तव्य	Sheikh Abdullah's Statement in Kashmir ..	380
5797. हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी	Employees of Himachal Pradesh ..	380—381
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	381—382
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	383
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	Presidents' Assent to Bills ..	383

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
तिरपनवां प्रतिवेदन	Fifty-third Report ..	383
सभा का कार्य	Business of the House ..	383—385
आकाशवाणी द्वारा प्रसारित 'टूडे इन पार्लियामेंट' के बारे में नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter under Rule 377 re. AIR's 'Today in Parliament' ..	385—387
श्री गाडिलिंगन गौड	Shri Gadilingana Gowd ..	385—386
श्री के० के० शाह	Shri K.K. Shah ..	386—387
सामान्य आयव्ययक, 1968-69, अनुदानों की मागें	General Budget, 1968-69 Demands for Grants, ..	387—402
प्रतिरक्षा मंत्रालय	Ministry of Defence ..	387—402
श्री गु० सिं० ढिल्लों	Shri G.S. Dhillon ..	387—389
श्री विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan ..	389—391
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida ..	391—393
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye ..	393—394
श्री कुशक बकुला	Shri Kushok Bakula ..	394—395
श्री उमानाथ	Shri Umanath ..	395—397
श्री ल० ना० मिश्र	Shri L.N. Mishra ..	397—400
श्री समर गुह	Shri Samar Guha ..	400—402
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Member's Bills and Resolutions ..	402
पचीसवां प्रतिवेदन	Twenty Fifth Report ..	402
पुरःस्थापित किये गये विधेयक—	Bills Introduced— ..	
श्री निहाल सिंह का सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1968 (धारा 16 का संशोधन)	Code of Civil Procedure (Amendment) Bill (Amendment of Section 16) by Shri Nihal Singh ..	402
श्री हेमराज का भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1968 (धारा 3,5-क आदि का संशोधन)	Land Acquisition (Amendment) Bill (Amendment of section 3, 5A etc.) by Shri Hem Raj ..	403
श्री शिव चन्द्र झा का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968 (अनुच्छेद 329 का संशोधन)	Constitution (Amendment)Bill (Amendment of article 329) by Shri Shiv Chandra Jha ..	403

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री मधु लिमये का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968 (अनुच्छेद 75 और 164 का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 75 and 164) by Shri Madhu Limaye	.. 403—404
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक वाद-विवाद स्थगित किया गया (धारा 292, 293 आदि का संशोधन)	Indian Penal Code (Amendment) Bill Debate adjourned (Amendment of Sections 292, 293, etc.)	.. 404—414
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	.. 405
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D.C. Sharma	.. 404—405
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J.B. Kripalani	.. 405
श्री कण्डप्पन	Shri S. Kandappan	.. 405—406
श्री राणे	Shri Rane	.. 406
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	.. 406—407
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	.. 407
श्री अ० त्रि० शर्मा	Shri A.T. Sarma	.. 407
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	.. 407—408
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	408
श्री म० ला० सोंधी	Shri M.L. Sondhi	.. 409—410
श्री क० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	.. 411
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray	.. 412
श्री उमानाथ	Shri Umanath	412
श्री हेमराज	Shri Hem Raj	.. 413
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	413
दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक (धारा 14,2,3 आदि का संशोधन)	Delhi Rent Control (Amendment) Bill (Amendment of sections 14,2,3, etc.)	.. 414—415
संयुक्त समिति में शामिल होने की राज्य-सभा की सिफारिश से सहमत होने का प्रस्ताव स्वीकृत	Motion to concur in Rajya Sabha recommendation to Join Joint Committee—Adopted	.. 414—415

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
श्री मधु लिमये का कार्मिक संघ मान्यता विधेयक	Recognition of Trade Unions Bill by Shri Madhu Limaye	..	415
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	..	415
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha		416
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bills		416
जॉन स्मिथ द्वारा लिखित "आई वाज ए सी० आई० ए० एजेंट" पुस्तक के बारे में आधे घन्टे की चर्चा	Half-an-hour discussion re. John Smith's Book 'I was a CIA Agent.'	..	416—420
श्री चक्रपाणि	Shri C.K. Chakrapani	..	416—418
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	..	419—420

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 29 मार्च, 1968/9 चैत्र, 1890 (शक)
Friday, March 29, 1968/Chaitra 9, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आसाम में उपद्रव

*928. **श्री मधु लिमये :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के भूतपूर्व निदेशक ने अपने सेवा निवृत होने से पहले जनवरी, 1968 के मध्य में आसाम की विस्फोटक स्थिति के सम्बन्ध में सरकार को एक रिपोर्ट पेश की थी और उसमें स्थिति पर काबू पाने के उपायों के सुझाव दिये गये थे;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के निदेशक के उत्तराधिकारी ने अपने से पहले निदेशक के अधीन ब्यूरों के तत्संबंधी अनुमान को उलट दिया/बदल दिया था;

(ग) क्या गृह-कार्य मंत्री 14 फरवरी, 1968 को लोक-सभा में दिये गए अपने इस वक्तव्य को बदलना चाहेंगे कि उन्हें आसाम और गोहाटी की विस्फोटक स्थिति के बारे में पहले कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी; और

(घ) जनवरी, 1968 के पूर्वार्ध में प्रस्तुत हुई केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट में क्या मुख्य निष्कर्ष निकाले गये थे, जिन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी नहीं श्रीमान् । यह सुझाव नितान्त गलत है कि पहले निदेशक के अनुमान उसके उत्तराधिकारी द्वारा बदल दिये गये या उलट दिये गये थे ।

(ग) 13 फरवरी, को मुझसे किये गये प्रश्न के उत्तर में मैंने 26 जनवरी, को सम्भावित घटना की प्रकृति के बारे में स्थानीय प्रशासन की आशंका के विषय में बतलाया था और कहा था कि "इस विशेष घटना के बारे में स्पष्टतः सरकार को कोई सूचना प्राप्त करने के अवसर नहीं मिले थे।" 14 फरवरी को बहस के दौरान उत्तर देते हुए मैंने और स्पष्ट किया था कि हमें असम के पुनर्गठन के प्रश्न, इश्तिहार अभियान आदि के प्रति तीव्र भावनाओं की जानकारी है और मैंने राज्य सरकार से इस विषय में बातचीत की थी। मैंने कहा था "हमने कई बार राज्य सरकार से इस प्रश्न पर बात की थी और उन्हें बतलाया था कि यह बहुत गम्भीर मामला है और हममें से कुछ ने मुख्य मंत्री से एक या दो बार इस प्रश्न पर चर्चा भी की थी। मैं अवश्य कहूंगा कि यह भी बतलाया गया था कि शायद गोहाटी नगर ही गड़बड़ का केन्द्र हो। जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध था स्थिति का अनुमान करते हुए हमने जो होने की सम्भावना थी उसके प्रति उन्हें चेतावनी दी थी"। इस प्रकार जबकि हमें सामान्य स्थिति के बारे में जानकारी थी हमारे पास 26 जनवरी को वहां होने वाली घटना के निश्चित रूप के बारे में पूर्व सूचना नहीं थी। 14 फरवरी को कामरोको प्रस्ताव पर बहस के दौरान कही गई बात को बदलने का मुझे कोई कारण दिखायी नहीं देता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, the Hon. Minister had stated in reply to a question of Shri Rabi Ray that he had no occasion to receive prior information about the explosive situation in Assam and Gauhati. I had asked whether he would like to change his statement. He does not want to change his statement. I want to know from the Hon. Minister as to whether he had received a letter from a Member of Lok Sabha, Shri Sharma, on the 6th October, 1967 wherein he had mentioned—"I am enclosing herewith a copy of a circular extensively circulated amongst the student community and other persons in Assam." Assamese go out, etc. had been written therein. This information was furnished to him by a Member of Lok Sabha on 6th October. Thereafter Lachit Sena had been printing poster etc. continuously. A strike took place on 24th. I would like to know from the Hon. Minister if he had learnt from C.B.I. that the strike resorted to on 24th January, was launched by the Chief Minister of Assam himself who wanted to make it a success with a view to press the Central Government to annual the suggestion of formation of Federation State mooted out on 13th January.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैंने यह कहा था कि मुझे अवश्य ही इश्तहार अभियान तथा सामान्य आसाम-विरोधी भावना जो कि फैल रही है, के बारे में मुझे जानकारी है। यह सूचना मुझे उन रिपोर्टों से मिली, जो मैं प्राप्त करता था और जिनके आधार पर मैंने आसाम प्रशासन से बातचीत की यह सूचना मैंने आसाम प्रशासन को भी दी। इसके बारे में मुख्य सचिव को सूचना दी गई। मैंने अनौपचारिक रूप से मुख्य मंत्री से भी बातचीत की कि उस भाग में ऐसी घटनायें हो रही हैं।

मैंने यह कहा था कि 26 जनवरी को सम्भावित घटना के बारे में मुझे कोई सूचना प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला था।

माननीय सदस्य ने अब पूछा है कि क्या मुझे 24 जनवरी की घटना के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है। यह नई बात है। इस समय यह सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है। 24 जनवरी की घटना के बारे में मेरे पास कोई रिपोर्ट अवश्य होगी।

Shri Madhu Limaye: Whether Hon Minister had received intimation to the effect that Chief Minister of Assam, Mr. Chahliha, himself took part in the strike resorted to on 24th to make it a success?

Shri Y. B. Chavan: No, I did not have such information.

Shri Madhu Limaye: Certain matters are investigated by C.B.I. and their report is not placed on the Table of the House because they are of confidential nature. But some portions of the reports are leaked by the Home Ministry deliberately with a view to slur the opposition parties. This is not desirable. So, C.I.B, and C.I.B. should not be misused.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इस आरोप का खण्डन करता हूं कि गृह-मंत्रालय गुप्तचर अभिकरण के प्रतिवेदनों का पर्दाफाश करता है।

Shri Madhu Limaye: Then from where do they come?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं कैसे कह सकता हूं। यह एक बड़ा देश है।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, what for Intelligence Bureau is there? Three years ago, I had produced a confidential document here about Shri Sachin Choudhury. Central Bureau was requested to inquire as to how it reached my hands. At present the Bureau itself and Home Ministry are furnishing reports to the Press and the Home Minister is denying the fact.

श्री स्वैल : माननीय राज्य मंत्री ने प्रश्न के मूल उत्तर में 14 फरवरी को इस सभा में गृह-मंत्री के भाषण से उद्धरण दिये थे। उस भाषण में गृह मंत्री ने कहा था कि मैंने संकट की संभाव्यता और गोहाटी का संकट का केन्द्र बनने की संभाव्यता की ओर बार-बार आसाम सरकार का ध्यान दिलाया है। गृह मंत्री की इन चेतावनियों के बावजूद असम प्रदेश कांग्रेस समिति और कांग्रेस विधान मण्डलीय दल की गोहाटी में 22 तारीख को बैठक हुई और यह संकल्प किया गया :

"असम प्रदेश कांग्रेस समिति ने जनता का साथ देने और आसाम की एकता बनाये रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी दृढ़ प्रतिज्ञा की" इसके बाद दंगे, लूटमार और हिन्सा की घटनाएं बड़े पैमाने पर गोहाटी में हुईं। मैं गृह-मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या आसाम प्रदेश कांग्रेस समिति और कांग्रेस विधान मण्डलीय दल ने जानबूझ कर यह संकल्प नहीं किया और खुले रूप से उन चेतावनियों के प्रति केन्द्रीय सरकार की अवहेलना नहीं की गई। उसी भाषण में गृह-मंत्री ने यह भी कहा कि लचित सेना एक गुप्त संस्था है। मैं विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस लचित सेना को राज्य सरकार ने प्रलोभन तथा प्रोत्साहन नहीं दिया है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य जिम्मेदार लोगों पर बड़ा गम्भीर आरोप लगा रहे हैं। मैं सबूत के बिना ऐसे आरोप को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री स्वैल : क्या आसाम प्रदेश कांग्रेस समिति और कांग्रेस विधान मण्डलीय दल का यह संकल्प केन्द्रीय सरकार की खुली अवज्ञा नहीं है कि वे गृह मंत्रालय की चेतावनी के बावजूद जनता का साथ देंगे।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यदि कोई संगठन कहता है कि वह जनता का साथ देना चाहता है तो मैं कैसे कोई बात कह सकता हूं। यह अपराध नहीं है।

श्री स० कण्डप्पन : क्या उनका उस संस्था के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ?

Shri Balraj Madhok: In reply to a question raised about happenings in Assam in this House, it was stated that we have no information. But the fact is that the local C.I.D. of Assam had disclosed to the people on 25th that some trouble is likely to take place on 26th. But in reply to a question here the Hon. Minister said that it is difficult for me to say anything. Only yesterday, the Home Minister said in his speech that Chinese and Pakistani elements are taking interest in Assam. Taking all these things into consideration and after taking in view what happened in Gauhati and Assam, whether Hon. Minister has changed his assessment and whether he feels that steps should be taken to check the foreign elements taking part in the happenings of Assam?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : 26 जनवरी को गोहाटी नगर में जो कुछ हुआ वह न्यायिक आयोग द्वारा जांच का विषय है। हम सब जानना चाहते हैं कि उस दिन की घटनाओं के क्या कारण थे और वहां स्थानीय प्रशासन असफल क्यों रहा ? यह बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इनकी न्यायिक जांच की जा रही है। जब तक इसकी न्यायिक जांच पूरी नहीं हो जाती, इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करना उचित नहीं होगा।

आसाम की सामान्य स्थिति हमारे लिए चिन्ता का विषय है और इसके बारे में जो जानकारी मुझे मिली वह मैंने समय-समय पर दी।

श्री रा० बरुआ : आसाम में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के चार अलग गुप्तचर अभिकरण हैं। क्या ये अभिकरण सरकार को वास्तविक स्थिति की सही सूचना देते हैं ? मैं 'टाइम्स आफ इन्डिया' में 'आसाम में संकट' शीर्षक के अधीन प्रकाशिक एक लेख की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा जिसमें यह समझा जाता है कि गुप्तचर ने अपना कार्य नहीं किया है। क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि गुप्तचर अभिकरण वास्तव में असफल रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। कुछ हद तक स्थानीय जासूसी विभाग असफल रहा क्योंकि वह ठीक-ठीक मूल्यांकन नहीं कर सके कि 26 जनवरी को क्या होगा। मैं यह नहीं कह सकता कि यह पूरी तरह असफल रहा।

श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुए कि 365 नक्सल के लोग आसाम में घुस चुके हैं

और नागा विद्रोहियों के साथ समझौता कर लिया है तथा अपर बर्मा के नागा विद्रोही, मिजो विद्रोही और कचिन पूर्वी क्षेत्रों में अपनी क्रान्तिकारी गतिविधियों को समन्वित करने के लिये हाल ही में पीकिंग में बैठक बुला रहे हैं और प्लास्टिक बम के आविष्कार को ध्यान में रखते हुए, जिससे यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि इसमें चीनियों की सांठ-गांठ है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सही है कि केन्द्रीय गुप्तचर विभाग ने केन्द्रीय सरकार को सूचना दी कि आसाम की स्थिति विस्फोटक है और संकेत दिया कि इससे तीन महीने के अन्दर युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है ? यदि हां तो क्या सरकार देश के पूर्वी क्षेत्रों की इन घटनाओं को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने का विचार रखती है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं यह नहीं कह सकता कि गुप्तचर विभाग हमें समय-समय पर क्या सूचना देता है । लेकिन मेरा मूल्यांकन, जो कि मैंने सभा को दिया है, प्राप्त आसूचना पर आधारित है कि नागालैण्ड, मिजो पहाड़ियों तथा आसाम के भागों में इन विध्वंसक तत्वों का चीन के साथ सम्पर्क है । वे चीन से हथियार तथा प्रशिक्षण भी ले रहे हैं । मैं यह सूचना पहले ही दे चुका हूं ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार इस सूचना पर कार्यवाही करेगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : स्वाभाविक है कि हमें कार्यवाही करनी पड़ेगी । लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि क्या कार्यवाही की जायेगी ।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि उन्हें चीन से हथियार मिलते हैं । उन लोगों को क्या हुआ है जिनका काम इन लोगों को चीन से सम्बन्ध स्थापित करने से रोकना है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वह कार्यवाही करेंगे लेकिन वह यह नहीं बतायेंगे कि क्या कार्यवाही की जायेगी ?

Shri Sita Ram Kesri : Happenings like this took place in Gauhati and in particular the North Eastern Border is passing through serious circumstances and dissatisfactions pervades among the people over there. Many outsiders are residing there and I have come to know that in Administration, more than 70 per cent are outsiders. I want to know from the Hon. Minister whether he has any scheme so solve the problems of that area ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं नहीं कह सकता कि सभी समस्याओं, शिकायतों और भावनाओं का मेरे पास समाधान है । लेकिन वहां पर यह भावना है । हमें इसके कारणों का पता लगाना होगा । इन बातों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार का उचित अधिकरण है और वह कुछ कदम उठा सकती है या भारत सरकार से सिफारिश कर सकती है । हमें भी इस मामले की आगे जांच करनी होगी ।

डा० रानेन सेन : कुछ समय पूर्व माननीय गृह-मंत्री ने कहा कि उनके पास कोई सूचना नहीं है और स्थानीय गुप्तचर अभिकरण कुछ हद तक असफल रहे । केन्द्रीय गुप्तचर विभाग भी

असफल रहा है। समय पर केन्द्र को इसके बारे में सूचना न दे सकने के कारण गोहाटी में कार्यरत गुप्तचर विभाग के कान खींचने के लिए गृह-मंत्रालय ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : वे इस कदर असफल नहीं हुए कि उनके कान खींचे जायें। इस तरह काम करने के लिए केन्द्रीय गुप्तचर विभाग का कार्यक्षेत्र भी बहुत सीमित है।

डा० रानेन सेन : हर राज्य में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग आजादी से काम करता है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हां, लेकिन इसका क्षेत्र राज्यतंत्र के कार्यक्षेत्र से बिल्कुल भिन्न है।

श्री कार्तिक ओराओं : आसाम की इन हिन्सात्मक घटनाओं का कारण राज्य का प्रस्तावित पुनर्गठन है। इससे पहाड़ी आदिम जातियों के लिए अलग राज्य की मांग पैदा हुई है। क्या उन्होंने इसके विरुद्ध जनमत की ओर गम्भीर रूप से ध्यान दिया है और वंश तथा धर्म के आधार पर विध्वंसक कार्यवाही का क्षेत्र बनने से इस क्षेत्र को बचायेंगे ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह सही है कि पुनर्गठन के लिए मांग की गई है।

श्री स० कण्डप्पन : यही संकट का स्रोत है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह मांग संकट का स्रोत हो सकती है; मैं यह नहीं कह सकता कि ऐसी सदा संभावना होती है। लेकिन सचाई यह है कि पुनर्गठन की मांग की गई है।

श्री गिरिराज सरन सिंह : यह समझते हुए कि चीन और पाकिस्तान भारत की एकता को खत्म करना चाहते हैं, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या साम्यवादी (मार्क्सवादी) स्वतंत्र आसाम स्थापित करने में दिलचस्पी रखते हैं और यदि हां तो क्या इस मामले के बारे में गृह-मंत्री को कोई सूचना मिली है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि किसी राष्ट्रीय साम्यवादी दल ने ऐसी नीति बनाई है। लेकिन कुछ व्यक्ति जो आसाम के सिवसागर जिले में दिलचस्पी रखते थे, वे साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के कार्यकर्ता थे।

श्री दीवान चन्द शर्मा : माननीय मंत्री ने कहा है कि वहां पर प्रशासन दंगों को कुचल न सका। उन्होंने बताया कि वे लचित सेना के स्रोत का पता न लगा सके। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार इन विध्वंसक तत्वों पर काबू न पा सकी। उन्होंने यह भी बताया कि इन संकटों का कारण यह है कि पुनर्गठन समय पर नहीं हुआ। इन वक्तव्यों को देखते हुए, जो मंत्री महोदय द्वारा समय-समय पर सभा में दिये गये, क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की गुंजाइश है ताकि राज्य के लोग सुरक्षित ढंग से रह सकें ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य की यह धारणा गलत है कि राष्ट्रपति शासन सभी बीमारियों का एक इलाज है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि कुछ तत्वों का चीन के साथ सम्पर्क है और वे उनसे हथियार प्राप्त कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इन तत्वों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की और उनसे हथियार क्यों नहीं छीने ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : बिल्कुल ऐसा ही किया जा रहा है।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि साम्यवादी दल (मार्क्सवादी), आसाम यूनिट ने बार-बार कहा है कि उन लोगों का जिनका इस मामले में हाथ है, अब हमारे दल के साथ वास्तव में कोई सम्बन्ध नहीं है। कुछ साल पहले उन्होंने दल के साथ अपने सम्बन्ध खत्म कर दिये थे लेकिन अब उन्हें साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के सदस्य बताया जा रहा है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह सही है कि दल के आसाम यूनिट ने इन बातों का खण्डन किया है। लेकिन प्रश्न यह है कि ऐसा लोगों का पता लगाने के बाद किया गया। पिछले वर्ष से इन लोगों का इस संस्था के साथ सम्पर्क है और वे इससे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। क्या दल को इस बात की जानकारी है या नहीं ? यदि है, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नम्बियार : कार्यवाही की गई है।

अध्यक्ष महोदय : आपने कुछ कहा है। उन्होंने उसका उत्तर दे दिया है।

नेफा (उपूसी) का प्रौद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण

*929. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् ने नेफा के आर्थिक विकास के लिए नेफा के प्रौद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) प्रतिवेदन की एक प्रति संसद् पुस्तकालय में रख दी गई है।

(ग) प्रतिवेदन की परीक्षा की जा रही है।

Shri Shiv Chandra Jha : May I know whether it is a fact that the system of inner line regulations blocks the economic development in NEEA ; whether it has not been suggested in the said Report that this system should be abolished and if so, whether Government are going to abolish this system without affecting the pattern of the Ladakhi culture?

Shri Vidya Charan Shukla : This system of inner line regulations has been introduced with a view of security. The report submitted by the National council of Applied Economic

Research deals only with the aspect of economic development and not with the aspect of security of the area. Efforts are being made to bring about an economic development in that area in a way which may not distrub the tribal life and offend the tribal people.

Shri Shiv Chandra Jha : It has been suggested in techno-economic survey report that the inner line regulations should be relaxed and tribal interests should be protected in a fast changing situation. It also states that a gradual process of integration should be encouraged. I would like to know whether the pattern of trial culture will be protected while relaxing the system of inner line regulations.

Shri Vidya Charan Shukla : We are doing every thing possible to develop that area from techo-economic point of view.

Shri Shiv Chandra Jha : May I know whether it is a fact the quantity of rice supplied to NEFA, is not distributed among the general public of NEFA ; whether any solution to this problem has been suggested in the said report ; and the suggestions made therein in respect of land ownership in NEFA ?

Shri Vidya Charan Shukla : The report is being studied and it is still to be decided as to what kind of actions are required for the purpose.

श्री वेदव्रत बरुआ : पृथकता की नीति नागालैंड में असफल रही है और यह सम्भव है कि नेफा में भी यह सफल न हो सके। नेफा में संचार साधनों की कमी है। सरकार ने इस क्षेत्र में संचार सुविधाएं बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की है? आर्थिक विकास की योजनाओं की क्रियान्विति के लिये भी संचार साधनों का विकास अनिवार्य है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : समस्या है आदिम जातियों के समाज में परिवर्तन लाने की। हम वहां पर कोई भी ऐसा काम यकायक नहीं करना चाहते जिससे जन-जातियों की जीवन-पद्धति में आमूल परिवर्तन आ जायें और वे क्षुब्ध हो जायें।

Shri O. P. Tyagi : May I know whether Government have made any plan of getting the retired military personnel settled in NEFA, which will be beneficial from security as well as economic development points of view ?

Shri Vidya Charan Shukla : At the moment we are dealing with the aspect of economic development of NEFA and not with the aspect of its security. If he wants an answer about security of NEFA, he should ask a separate question.

केन्द्रीय सरकार की नौकरियों के लिये कुछ चुनींदा विद्यार्थियों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण

*930. **श्री मुरासोली मारन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की नौकरियों के लिये चुने हुए कुछ विद्यार्थियों को शिक्षित करने तथा उन्हें अंग्रेजी और हिन्दी में एक निश्चित स्तर का ज्ञान प्राप्त कराने के हेतु प्रशिक्षित करने की योजना के बारे में 4 मार्च, 1968 के 'हिन्दू' में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्योरा क्या है ?

गृह-मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) गृह-मंत्रालय में हाल में श्री आर० ए० गोपालस्वामी द्वारा तैयार किये गये संघीय सेवाओं में भर्ती प्रणालियों के ढांचे में परिवर्तन सुझाने वाले एक ज्ञापन की प्रति प्राप्त हुई है। सुझावों में केन्द्रीय सरकार सेवाओं में सीधी भर्ती की वर्तमान पद्धतियों का पुनरीक्षण करने को कहा गया है । ज्ञापन में प्रस्तावित योजना के अधीन उन सभी विद्यार्थियों की, जो केन्द्रीय सेवाओं में नौकरियों के उपयुक्त समझे जाएं, सामान्य शिक्षा की माध्यमिक अवस्था पार करते ही, अनुमानित संख्या में जितनी मांग हो, पहचान कर ली जाय तथा उनका चयन कर लिया जाय । चुने हुए विद्यार्थियों की भारत सरकार द्वारा स्थापित सीमित शैक्षणिक स्कूलों में और आगे शिक्षा-सम्बन्धी तैयारी कराई जाय। इस प्रारम्भिक शिक्षा के पूर्ण होने पर सफल विद्यार्थियों को उपाधियां, डिप्लोमें तथा प्रमाण-पत्र प्रदान किये जायं। सरकारी नौकरी की सीधी भर्ती इन उपाधियों को प्राप्त करने वालों तक सीमित रखी जाये ।

श्री मुरासोली मारन : दैनिक **हिन्दू** में प्रकाशित समाचार के अनुसार देश को कई क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार लोगों के केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती करने के लिए कालेज अथवा संस्थान स्थापित करेगी । यह प्रतीत होता है कि उनको अंग्रेजी तथा हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जायेगा । जब कि हम अपने राज्य से हिन्दी को बाहर खदेड़ना चाहते हैं तो यदि यह परियोजना कार्यान्वित हुई तो इसका मतलब है कि केन्द्र हमारे राज्य में हिन्दी उपनिवेश स्थापित कर रही है । क्या यह एक राज्य के अधिकारों को छीनना नहीं होगा ? अतः अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व क्या सरकार राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों से विचार-विमर्श नहीं करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है मैं कह चुका हूं कि इसकी जांच हो रही है तथा वास्तव में तो यहां प्रत्यक्ष रूप से भाषा का तो प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री एस० कण्डप्पन : अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व राज्य सरकारों से सलाह लेने के बारे में क्या विचार है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक संघीय सेवाओं का सम्बन्ध है अन्तिम निर्णय लेने से पहले हम राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करते हैं ।

श्री मुरासोली मारन : इन विद्यार्थियों को किस भाषा में प्रशिक्षण दिया जायेगा ? निदेशों का माध्यम क्या होगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने अभी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है । अत: इस समय तो निदेशों के माध्यम आदि के विषय में प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या इसका यह अर्थ होगा कि स्नातक-स्तर के बाद प्रतियोगिता-परीक्षाओं के स्थान पर भविष्य में ये परीक्षाए उच्चतर-माध्यमिक स्तर के बाद होंगी तथा इस

प्रकार भरती की गुञ्जाइश बढ़ जायेगी ; तथा उच्च-स्तर की योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को इन नौकरियों से वंचित कर दिया जायेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इस समय भर्ती करने की वर्तमान पद्धति को बदलने का हमारे सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत केवल एक सुझाव गृह-कार्य मंत्रालय में प्राप्त हुआ है और यहां प्रश्न उठ गया है। अतः हमने प्राप्त सुझाव का यहां वर्णन कर दिया है। परन्तु मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि केन्द्र सरकार के सामने भर्ती के वर्तमान प्रतिरूप को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री लोबो प्रभु : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, कि वह तो केवल एक सुझाव है, की दृष्टि से मैं यह जानना चाहूंगा कि उस व्यक्ति, श्री आर० ए० गोपालास्वामी, जो कि मेरे ही व्यवसाय से सम्बन्धित हैं, यह सूचना समाचार-पत्रों को कैसे दे दी क्योंकि इससे जनता के दिल में अनावश्यक जिज्ञासा तथा भ्रान्तियां उत्पन्न हो गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने उन्हें अपने सुझाव को प्रचारित करने के लिये अनुमति या प्रोत्साहन दिया था।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी नहीं। हमने उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। परन्तु यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार को कोई सुझाव भेजता है तो मुझे नहीं मालूम कि उसको समाचार-पत्रों में प्रचारित करने के लिये उसे कोई अनुमति चाहिये।

श्री मनुभाई पटेल : प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इस प्रस्ताव में भाषा का प्रश्न नहीं उठ पाया है। अतः क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना को निर्मित करते समय हर राज्य के लिये वही अनुपात रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त क्या यह परियोजना प्रतियोगिता परीक्षाओं पर आधारित होगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : किसी परियोजना का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार को प्राप्त यह तो एक सुझाव है, बस। मैंने वह सुझाव सभा में प्रस्तुत कर दिया है।

Shri Rabi Ray: I want a straight reply from the Hon .Minister whether through this scheme, the Tamil speaking people will, by force, be taught Hindi, or English to those who do not want to learn it?

Shri V. C. Shukla: There is no proposal to teach any language to anyone by force.

श्री कमलनाथन : पहले यह कहा गया था कि हिन्दी अपना सवैधानिक स्थान रखती है क्योंकि यह अधिक संख्या में लोगों द्वारा बोली जाती है। परन्तु अब हमारी प्रधान मंत्री कहती हैं कि यह तथाकथित राज-भाषा हिन्दी जितनी हिन्दी भाषियों के लिये नई है उतनी ही अहिन्दी भाषियों के लिये भी है। केन्द्रीय सेवाओं के लिये भर्ती करते समय पहले आधार पर विचार किया जायेगा अथवा दूसरे पर ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुझे प्रश्न समझ नहीं आया।

श्री एस० कण्डप्पन : वह इसे फिर से बोल दें।

अध्यक्ष महोदय : कोई आवश्यकता नहीं वह अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। वह भी प्रायः वैसा ही होगा।

श्री एस० कन्डप्पन : इनके पहले उत्तर से यह आभास मिला कि इन चुने हुए विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए ये इसी पद्धति पर विचार कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो मैं जानना चाहूंगा कि............ ।

श्री क० नारायण राव : वह पहले ही कह चुके हैं कि वह इस पद्धति पर विचार नहीं कर रहे हैं।

श्री एस० कण्डप्पन : यही हमारी कठिनाई है। सरकार एक बार तो कुछ कहती है परन्तु उसके तुरन्त बाद उससे विपरीत कह देती है तथा हमें पता नहीं लगता कि सरकार का क्या निश्चय है। अतः मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रकार विद्यार्थियों को अखिल भारतीय आधार पर चुना जाएगा या जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्रों के आधार पर दूसरे अनेक स्थानों पर सैनिक स्कूल भी हैं तथा मेरे राज्य तथा अन्य स्थानों की यह मांग है कि इन स्कूलों में जहां इस समय पढ़ाई का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी है, वर्तमान माध्यम बदल कर दूसरी राष्ट्रीय भाषाएं भी पढ़ाई का माध्यम बनाई जा सकती हैं। क्योंकि सैनिक स्कूल बहुत अच्छा तथा उच्च प्रशिक्षण दे रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार मेरे राज्य की यह मांग स्वीकार कर लेगी कि वहां शिक्षा का माध्यम तामिल भाषा रखी जाये ?

तीसरे, अपने माननीय सहयोगी द्वारा पहले रखे गये प्रश्न की ओर ध्यान दिलाऊंगा। प्रधान मंत्री ने सभा में कहा था कि हिन्दी अधिकतम लोगों द्वारा नहीं बोली जाती। राजकीय भाषा के रूप में स्वीकृत हिन्दी अधिकतम लोगों की भाषा नहीं है। हिन्दी वाले भी हिन्दी से उतने ही असम्बद्ध हैं जितने कि दक्षिण वाले। जैसा कि मेरे सहयोगी ने पूछा, यदि यह सत्य है तो सरकार प्रधान मंत्री वाला दृष्टिकोण रखती है या कोई अन्य ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरी यही कठिनाई है। मेरे माननीय मित्र ने मेरे उत्तर को स्पष्टतया नहीं सुना। मैंने स्पष्टरूप से कहा था कि यह किसी व्यक्ति द्वारा प्रेषित एक सुझाव है तथा जैसा कि प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्य ने पूछा यही इस सुझाव में व्यक्त किया गया है। तदुपरान्त, अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में मैंने बताया था कि वर्तमान पद्धति को बदलने का इस समय सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है तथा यह तो केवल एक निजी सुझाव है और हमने इसकी जानकारी दे दी है।

अखिल भारतीय तथा क्षेत्रों के आधार पर भर्ती करने का जो प्रश्न है, यह स्वतः ही स्पष्ट है कि यदि सेवाए अखिल भारतीय होंगी तो भर्ती भी अखिल भारतीय आधार पर होगी यहां तो क्षेत्रीय भर्ती तथा भर्तियों में विभाजन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

जहां तक हिन्दी का सम्बन्ध है, यह सब जानते हैं कि हिन्दी बहुमत की भाषा नहीं है। परन्तु यह भाषा देश के किसी एक सबसे बड़े समुदाय द्वारा अवश्य बोली जाती है। यही बात सभा में कही गई थी।

सैनिक स्कूलों का जहां सम्बन्ध है, जहां तक मैं समझता हूं ये इस मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य नहीं कर रहे तथा हम इसका उत्तर देने में समर्थ नहीं हैं।

Pak Attack on Chhamb

*931. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that four groups of Pakistanis, who had returned from China after receiving training in Guerilla warfare, attacked a village in Chhamb on the night of the 22nd February, 1968, looted some shops there and lifted cattle-heads; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard and the extent of loss suffered due to the looting by the Pakistanis and the nature of help given to these villagers by Government?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) तथा (ख). 22 तथा 23 फरवरी, 1968 के बीच रात को छम्ब पुलिस थाने के सिगरी गांव में एक पंसारी की दूकान कुछ अज्ञात लोगों ने तोड़ डाली तथा लगभग 800 रुपये के मूल्य की वस्तुएं तथा एक गधा लेकर भाग गये ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि अपराधी चीन द्वारा प्रशिक्षित पाकिस्तानी थे। पदचिह्नों तथा खुरचिह्नों से यह सन्देह किया जाता है कि वे पाक-अधिकृत कश्मीर से आये थे। जब पुलिस को मामले की रिपोर्ट की गई तो एक मामला दर्ज कर लिया गया और जांच की जा रही है।

श्री नम्बियार : गाय नहीं, केवल गधा।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं तो केवल यही कह सकता हूं। भले ही कोई भी पशु रहा हो।

Shri Nihal Singh: Security of the border villages is now in danger. Pakistan has created nuisance there from the very beginning. There President Ayub Khan has become the victim of paralysis and Pakistan is in search of a new President. The officers there are looking for such a person to be President who hates India. This discloses Pak's attitude. I want to ask that in view of your giving away 350 sq. miles of India land to Pakistan just for the sake of establishing good relations with her, will you refuse to accept the Tribunal Award?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं नहीं समझता कि इस समस्या और एक गधे के बीच कोई सम्बन्ध है।

Shri Madhu Limaye: Because our borders are being attacked by them.

Shri Nihal Singh: Pakistan is going on increasing her military strength. She is purchasing arms and ammunitions from every corner of world in order to strengthen her land, sea and air forces. It appears as if Pakistan were preparing for a fresh war against India. I want to know from the Minister for Home Affairs, as to what effective steps is being taken to protect the border villages in the prevailing circumstances?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जहां तक आन्तरिक प्रशासन का सम्बन्ध है सीमा सुरक्षा दल पर इसका उत्तरदायित्व है तथा वह इसकी देख-रेख कर रहा है। जहां तक आन्तरिक

कानून और व्यवस्था का प्रश्न है राज्य पुलिस की यह जिम्मेवारी है। परन्तु मैं जानता हूं कि इन विशेष क्षेत्रों में पशु उठा लिए जाते हैं तथा मेरे पास इस सम्बन्ध में 1956 से लेकर आज तक के आंकड़े हैं। परन्तु यह लेखा-चित्र कभी ऊंचा पहुंच जाता है तो कभी नीचे आ जाता है। दुर्भाग्य से, पिछले साल इसमें कुछ वृद्धि हुई है, इसलिए स्थानीय पुलिस ने इसे रोकने के लिए अधिक कठोर कदम उठाए हैं।

Shri Shashi Bhushan Bajpai: I want to know whether or not, there exist the activities of Pakistani and Chinese Guirellas within our vast borders, and if so, whether any batch of Guirella-police is being set up to fight back these Guirellas in Guirella way?

Shri Y. B. Chavan: There is not any hurdle in the way of Guirella police.

Shri George Fernandez: It has been proved from the footprints that those who came and looted the villages were Pakistanis. I want to put two questions in this connection. Firstly, what has been your border security force doing at that time? A group of people came there and went away, after causing a great loss, and whether they reported the matter to you or not? My second question is that when you got the information that the Pakistanis intended in the Indian territory, did you lodged a protest note in this regard?

श्री यशवन्तराव चह्वाण: सीमा सुरक्षा दल हर गांव में उपस्थित नहीं रह सकती। उसका उपयोग सामरिक ढंग से करना होता है। परन्तु ऐसे सब प्रबन्ध होने पर भी कोई डाकू चोरी-छिपे प्रवेश कर सकता है तथा ऐसा प्रयत्न करके लौट सकता है। मैं नहीं समझता कि इस सम्बन्ध में कोई निषेध खलीता भेजा गया है क्योंकि अभी मामले की जांच हो रही है।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा: मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि जम्मू-रणवीरसिंह पुरा तथा छम्ब-जोरियां सीमाओं पर ऐसी घटनायें लगातार होती रही हैं। हमारे पिछले अनुभव की दृष्टि से क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श द्वारा यह निश्चय करने की ओर ध्यान दे रही है कि भविष्य में ऐसी घटनायें न हों?

श्री यशवन्तराव चह्वाण: स्वभावतः ही यह मामला सरकार के निरन्तर ध्यान का विषय है। इसीलिये अनेक वर्षों में हमने इस सम्बन्ध में अच्छे परिणाम भी प्राप्त किये हैं। पशुओं की चोरी कभी-कभी तो वर्ष में एक ही हो पाती है। परन्तु किसी क्षेत्र में ऐसी घटनायें कभी-कभी बढ़ भी जाती हैं। परन्तु इस मामले में निश्चय ही राज्य सरकार का तथा हमारा ध्यान बना रहना चाहिए।

Shri Onkarlal Berwa: I want to know as to how many of such incidents have occurred so far and whether India also brings in donkies and horses, or they only take away ours? Also I want to know whether the Government there has also a hand in these activities.

अध्यक्ष महोदय: बहुत सुन्दर प्रश्न है। आपको यह भी स्वीकार करना होगा कि हम भी कुछ ला रहे हैं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण: मैं इस प्रश्न का उत्तर इसी ढंग से नहीं दे सकता क्योंकि गधों में हमारी रुचि नहीं है

Shri J. B. Kripalani: I want to know whether you have so far caught or shot any of those rascals who introduce into our country and make away to Pakistan after stealing.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : सच पूछिये तो इस प्रकार की गतिविधि सीमा पर चलती रहती है तथा हर मास हमारे पास गोली मारने के मामले आते रहते हैं। हमारे पास ऐसे मामले हैं कि जिन लोगों ने अन्दर आने का प्रयास किया उनको गोली मारी गई और पकड़ लिया गया। ऐसे लोग भारी संख्या में हैं।

Shri Sheo Narain: The Government of Jammu and Kashmir is silent since donkies are being stolen away. But the leadership there in Pakistan is in danger. I want to know whether donkies will be given charge of that country.

Arrests in Connection with Upadhayaya's Murder

+
*932. **Shri Kanwar Lal Gupta:** **Shri R. S. Vidyarthi:**
Shri Shri Gopal Saboo: **Shri Bharat Singh Chauhan:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of persons arrested so far in connection with the murder of Pandit Din Dayal Upadhayaya;

(b) the reasons for the delay in tracing the persons responsible for his murder; and

(c) the reasons for not announcing any reward to the person giving clue to the said murder?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) 11

(ख) अभी तक मालूम हुए सभी व्यक्तियों को जो इस मामले में ग्रस्त हैं गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच अभी भी हो रही है।

(ग) जांच प्राधिकारियों को सम्बन्धित सुराग मिले हैं जिनके आधार पर जांच जारी है, उन्होंने इसमें कोई पुरस्कार घोषित करने की आवश्यकता अनुभव नहीं की है।

श्री नम्बियार : मामला न्यायाधीन है। अच्छा हो कि हम इस पर वाद-विवाद न करें।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न पूछें यदि वह न्यायाधीन हो तो मंत्री महोदय को इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं।

Shri Shri Gopal Saboo: There was a statement from an Hon. Member Shri Bhadoria that he had some information in connection with this murder. I want to know whether the C.B.I. had collected certain information from him? In view of the prevailing delay as well as the information available from the C.B.I., does not the administrator understand that the C.B.I. is incapable of doing anything in this matter. Is there any plan under the consideration of the Government's with regard to making the C.B.I. powerful, as according to our last experience the present C.B.I. is quite worthless as compared with the C.B.I. during British regime?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस विशेष मामले में माननीय सदस्य से अपना मतभेद प्रकट करना चाहता हूं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो एक अत्यन्त निपुण संस्था है तथा इस जांच में उसने खूब

प्रगति की है। इस जांच के बारे में जैसाकि मैंने कल के वाद-विवाद में उत्तर दिया था इस मामले में यही काफी नहीं है कि हमें मालूम हो गया है, यह ऐसा मामला है जिसे न्यायालय में भी सिद्ध करना है। अत: उसने हर पहलू को दृष्टि में रखना है। जहां तक किसी व्यक्ति द्वारा जानकारी देने का प्रश्न है, उसने जानकारी देने वाले हर व्यक्ति से सम्पर्क किया है।

Shri Shri Gopal Saboo : I had also asked that in view of the fact that Shri Arjun Singh Bhadoria had given a statement in this connection, whether some information has been gathered from C.B.I.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : उन्होंने मुझे सूचना दी है कि जिस भी व्यक्ति ने कोई जानकारी देने का प्रस्ताव किया उससे सम्पर्क स्थापित किया गया। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे पास सम्पूर्ण ब्योरा नहीं है। मामला जांचाधीन है। यदि मेरे पास कोई जानकारी है भी तो भी श्रीमन् मैं आप द्वारा सुरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उनको वहां उत्तर देने की आवश्यकता नहीं जहां मामला विवाद-ग्रस्त है।

Shri R. S. Vidyarthi : Will the Hon. Minister be pleased to state whether Mr. Lobo who was conducting this inquiry has been withdrawn, if so, what are the reasons; and whether the Hon. Minister for Home Affairs understands that some other more efficient man will be appointed in his place?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : कल मैंने स्पष्ट रूप से सभा में वक्तव्य दिया था कि इस जांच के अधिकारी श्री लोबो हटाये नहीं गये हैं तथा अब भी वह इसकी जांच कर रहे हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : Remands are there in the country that certain political parties, individuals or foreign powers have a hand in this mysterious death, and although the Government do have certain proofs in their possession for certain unavoidable reasons, they are kept secret. I want to know how far is it true?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जांच करने का अभिप्राय सत्य का पता लगाना होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि पहले तो हम कुछ अनुमान लगा लें तथा तदुपरान्त उसे सिद्ध करना आरम्भ करें। जो भी उद्देश्यपूर्ण तथ्य मिलते हैं उनके आधार पर जांच प्रधिकरण सत्य का पता लगाने का प्रयत्न करता है तथा वही वह कर रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय का ध्यान **ब्लिट्ज** में छपे एक लेख की ओर गया है जिसमें लिखा है कि एक कार विशेष वहां प्रतीक्षा कर रही थी अब इससे साफ पता लगता है वे कुछ विदेशी थे जिनको अमरीकी गुप्तचर विभाग के एजेन्ट कहा जाता है तथा जिनका इस हत्या में हाथ है? क्या इसमें कोई सत्य है? श्रीमन्, क्य ायह कहानी भेद प्रकट करने वाली है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय का ध्यान उस लेख की ओर गया है, यदि हां तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : ब्लिट्ज के उस लेख को मैंने नहीं पढ़ा है।

Promotion without Examination in Delhi

+

*933. **Shri Shashi Bhushan Bajpai:**
Shri K. P. Singh Deo:
Shri Raghuvir Singh Shastri:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been invited to the news-item that the school students of all the Classes in Delhi, except that of Class V, VIII and XI, would be promoted without any examination;

(b) if so, whether the said announcement has been made in consultation with his Ministry and after taking their approval; and

(c) if not, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) The responsibility for the decision lies with the Delhi Administration.

Shri Sashi Bhushan Bajpai: Whether the attention of the Government has been drawn to the statement of the Chief Executive Counsellor in which he has stated that the Delhi Administration is not holding the examination of students because the Administration has no faith in the teachers? If so, the reaction of the Government thereto and whether the student discipline can be maintained in this way?

Shri Bhagwat Jha Azad: The first reason advanced by the Delhi Administration for not holding the formal examination this year is that there were many interruptions in the studies of the students including teachers strike. Secondly, the parents had their fears that the students would be victimised as they were attending the schools regularly. This reason might be baseless but another reason advanced by the parents was that there is animosity between the students and teachers. Thirdly, the Admistration stated that they wanted to overhaul the examination system of which a beginning was made in 1965 when greater emphasis was laid on internal assessment. For all these reasons they have done away with the examinations.

Shri Sashi Bhushan Bajpai: The Government is aware that there is no ill-will between the teachers and students. The teachers have shown great attention towards the students and have offered themselves to teach the students after school hour to compensate their studies after fifteen days strike. Inspite of this the Administration has spread this ill-will. What is the reaction of the Government thereto?

Shri Bhagwat Jha Azad: It is a fact that we have not recevied any report of ill-will between the students and teachers; rather we have found that the teachers are prepared to teach the students after school hour for the days of strike. This is one of the three possible reasons enumerated by the Administration.

Shri Raghuvir Singh Shastri: The basis of the proposal for abolishing the annual examination in Delhi was to assess the class-room performance of the student of the whole year and to watch his progress in monthly and three monthly tests. Whether the Minister feels that the reasons advanced for abolishing examination are justified?

Shri Bhagwat Jha Azad : Instead of expressing my views on the subject, I want to lay before the House the basis on which the Delhi Administration has abolished examinations this year. Firstly, there were interruptions in the studies this year; secondly, there was the possibility of some ill-will between the students and the teachers ; thirdly and mainly the Delhi Administration wanted to overhaul the examination system. In 1965 they adopted the system of internal assessment in place of formal examination and thus they have abolished the examination.

Shrimati Sucheta Kripalani : Is the Minister aware that even those schools who want to hold the examination are being asked by the Administration not to hold the examinations ? If so, whether he will take some suitable action in the matter ?

Shri Bhagwat Jha Azad : The decision taken by the Administration not to hold examinations except that of class V, VIII and XI applies to all the schools. Therefore, it would not be possible for Administration to exclude some schools.

Shri Bal Raj Madhok : Is it not a fact that the Kothari Commission suggested clearly in its report that the examination system should be completly overhauled ; the public examinations should be held only for class VIII and XI and the rest of the students would be promoted according to teacher's internal assessment ; and that the Delhi Administration was considering this scheme ? When the Government also recognizes that this year there were interruptions in the studies then what is the harm in implementing this decision of the Kothari Commission Report by the Delhi Administration ?

Shri Bhagwat Jha Azad : Hon'ble Member is right in saying that the Kothari Commission has recommended thorough change in the present examination system and this is the main reason stated by the Delhi Administration for abolishing the examinations.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

चुनावों में विदेशी धन का प्रयोग

*934. **श्री चक्रपाणि :** **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री नम्बियार : **श्री अनिरुद्धन :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री उमानाथ :**
श्री नायनार : **श्री प० गोपालन :**
श्री एस्थोस : **श्री सत्य नारायण सिंह**

क्या गृह-कार्य मंत्री 1 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 379 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले आम चुनावों में तथा अन्य प्रयोजनों के लिए विदेशी धन के प्रयोग के बारे में सरकार ने केन्द्रीय जांच विभाग के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) गुप्तवार्ता विभाग के प्रतिवेदन की अभी परीक्षा की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में कार चुराने वाले व्यक्ति

*935. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कार चुराने वाले व्यक्ति सक्रिय हैं और हाल ही में एक मामले में हत्या भी कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कानून तोड़ने वाले ऐसे लोगों की गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या कार चुराने वाले व्यक्तियों को कठोर दण्ड देने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली में सूचित किए गए कार की चोरी के मामलों में कुछ वृद्धि हुई है। 1966 में कार चुराने के 112 मामलों के मुकाबले में 1967 में 139 मामले सूचित किए गए।

3 मार्च, 1968 को रूपनगर, दिल्ली में एक कार-मालिक को, आरोप लगाया गया, कि कुछ व्यक्तियों द्वारा हत्या की गई। जब वह अपनी कार को चोरी होने से बचाने का प्रयत्न कर रहा था।

(ख) आटो-चोरों के विरुद्ध समय-समय पर विशेष अभियान चलाये जाते हैं तथा जाल बिछाये जाते हैं। ऐसे अपराधों की रोकथाम की दृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी रखने के लिए गश्त कड़ी कर दी जाती है। ज्ञात कार-उड़ाने वालों तथा सेंध मारों के इतिवृत-पत्र रखे जाते हैं तथा उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है।

(ग) कार-उड़ाने वालों के विरुद्ध कानून के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

Admisssion to Engineering Colleges

*936. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government propose to restrict the admission into engineering colleges in the country ;

(b) whether Government also propose to close down some of the engineering institutes ; and

(c) the arrangements being made to provide alternative employment to those who would be rendered jobless as a result thereof?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A detailed plan is being formulated in consultation with State Governments and other educational authorities, but every care will be taken not to retrench the teaching staff.

Team of World Harbour Experts

*937. **Shri Onkar Lal Berwa:** **Shri Bedabrata Barua:** **Shri Ramchandra Veerappa:** **Shri R. R. Singh Deo:** **Shri D. N. Deb:**

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 750 on 16th February, 1968 and state:

(a) whether the team of World Harbour Experts who visited India recently to assess the working of the Indian Ports has since submitted its report;

(b) the names of places visited by the team; and

(c) if so, the suggestions made by the team for improvement of ports?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) Not yet, Sir.

(b) The team visited Delhi and the Major Ports of Bombay, Calcutta, Paradip, Visakhapatnam, Madras, Cochin, Mormugao and Kandla. Two members of the team also visited the Central Water and Power Research Station at Poona.

(c) The members of the team have gone back to their respective countries after completing their studies. Their report is expected to be submitted to Government by about the middle of April, 1968

समुद्री भाड़े की दरें

*938. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन–2 की समुद्री भाड़े की दरें संबंधी समिति में समुद्री भाड़े की दरें कम करने के प्रश्न पर विचार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां। इस विषय में सं० रा० व्या० और वि० सं० 2 की चौथी समिति में इस विषय पर विचार-विमर्श हुआ था।

(ख) चौथी समिति ने भाड़ा दरों और सम्मेलन की प्रथाओं का एक प्रस्ताव रखा जो सम्मेलन में सर्वसंमति से स्वीकार किया गया। इस प्रस्ताव का सम्बन्धित भाग नीचे दिया जाता है :

"सम्मेलन…………

सं० रा० व्या० और वि० सं० के सदस्य राज्यों की सरकारों और विशेषकर उन विकसित समुद्री राष्ट्रों की सरकारों जिनके पोतमालिकों का लाइनर सम्मेलनों में प्रबल भाग है, से सिफारिश करता है कि वे सम्मेलनों और समकक्ष संगठनों को सीधे या उनके पोत-मालिक सदस्यों के मार्फत निम्न सम्भव कार्यवाही के लिए आमंत्रित करें :

(क) जिन भाड़ा दरों को विकासशील देश ऊंची समझते हैं उनका पुनरीक्षण करना और आवश्यक हो तो समंजन करना इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि विकासशील देशों के परम्परागत निर्यातों के लिए इतनी नीची भाड़े की दर रखी जायं जितनी वाणिज्यिक तौर पर सम्भव हो ;

(ख) अपरंपरागत निर्यातों के लिए विशेष भाड़ा दरों की व्यवस्था करना जिससे उक्त (क) पर दी गयी स्थिति के अधीन विकासशील देशों के व्यापार के विस्तार को बढ़ावा मिले ;

(ग) जो भाड़ा दरें भाड़ा दर से रचना के सामान्य आधार तथा सम्मेलन पद्धतियों से उचित न समझी जा सकें उनका परिहार करना, वे विकासशील देश से किसी वस्तु के निर्यात में निराशा लाएगी जिससे उसी वस्तु को उसी सम्मेलन द्वारा सेवित किसी अन्य देश से निर्यात करने में प्रोत्साहन मिले, यह (ख) में की गयी व्यवस्था के मातहत होगा ।

(घ) जहाजी प्रचालनों की लागत कम करने वाले पत्तन सुधारों को मान्यता देना जिससे भाड़ा दरों का पुर्नविलोकन और समंजन करना जिससे वे उचित समझी जायें ।"

दिल्ली में मिडिल स्कूलों के लिये धन

*939. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में 435 मिडिल स्कूलों का भविष्य बहुत ही अनिश्चित हो गया है क्योंकि दिल्ली प्रशासन के पास उन्हें चलाने के लिए धन नहीं है ;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त धन मांगा था किन्तु वर्ष 1968-69 के आय व्ययक नियतन में इसके लिए धन की व्यवस्था नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या को किस प्रकार हल करने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । मिडिल स्कूल अभी स्थानीय निकायों के अधीन हैं, इसलिए उन्हें चलाने के लिए दिल्ली प्रशासन के बजट में राशि की व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विमान चालकों (पायलटों) के वेतनमान

*940. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री 23 फरवरी, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 262 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान चालकों के तुलनात्मक वेतनमानों और भत्तों के विवाद को हल करने के लिए बनाए गए न्यायाधिकरण ने अपना निर्णय दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिये सहायता

*941. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सहायता स्कूल शिक्षा सम्बन्धी पाठ्य पुस्तकें तैयार करने तक ही सीमित है अथवा विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए भी दी जाती है ;

(ग) गत वर्ष इस प्रयोजन के लिए भाषावार कितनी राशि आवंटित की गई थी तथा अगले वर्ष के लिये कितनी राशि आवंटित की जा रही है ; और

(घ) क्या प्रादेशिक भाषाओं के लिए राज्य सरकारें भी ऐसी वित्तीय सहायता में अपना अंशदान देती हैं और यदि हां तो राज्य सरकारों द्वारा कितने प्रतिशत राशि दी जाती है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग द्वारा प्रचालित विश्वविद्यालय स्तर के मानक पुस्तकों के निर्माण, अनुवाद तथा प्रकाशन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार पाठ्य पुस्तकों के हिन्दी में तथा क्षेत्रीय भाषाओं में निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दे रही है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाओं को बनाने में योग देने के लिए भारतीय भाषाओं में साहित्य के निर्माण के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को सहायता देने का प्रस्ताव है।

(ख) दोनों योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता विश्वविद्यालय स्तर पर की पुस्तकों के हिन्दी में तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में निर्माण तक सीमित है। स्कूल-स्तर की पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कोई प्रत्यक्ष सहायता नहीं दी जाती।

(ग) वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग की योजना के अन्तर्गत 1967-68 के लिए 12.90 लाख रुपए नियत किए गए थे और वर्ष 1968-69 के लिए 15 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत वर्ष 1967-68 के लिए 50 लाख रुपए का विनिधान किया गया है और अगले वर्ष 1968-69 के लिए एक करोड़ रुपए का।

(घ) आयोग की योजना के अन्तर्गत 50% सहायता उन टाइटलों के लिए दी जाती है जिनका सुझाव अनुवाद एजेन्सियां देती हैं तथा 50% स्वयं उनके द्वारा चुकाया जाता है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत सहायता शेयर के आधार पर दी जायेगी। वास्तविक व्यय का 75% भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा और शेष 25% राज्य सरकारों द्वारा।

हिन्दी सलाहकार

*942. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय में हिन्दी सलाहकार ने वर्ष 1967-68 का अपना वार्षिक प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि प्रतिवेदन पेश कर दिया गया है तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(घ) हिन्दी के विकास, प्रचार तथा प्रयोग के मामले में उनके मंत्रालय ने महत्व के क्या कार्य किये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हिन्दी सलाहकार को कोई वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करना पड़ता।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) हिन्दी के सम्बन्ध में गृह-मन्त्रालय के कार्य संघ के सरकारी कामों में इसके उत्तरोत्तर प्रयोग तथा केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण देने तक सीमित है। सरकारी कामों में हिन्दी के प्रयोग को तेजी से बढ़ाने के लिए सलाहकार ने समय-समय पर कई उपयोगी सुझाव दिये हैं। उन्होंने गृह मन्त्रालय की हिन्दी प्रशिक्षण योजना के लिए पुनरीक्षित पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के काम की निजी रूप से देखभाल भी की है।

राष्ट्रीय स्वस्थता दल (नेशनल फिटनेस कोर)

*943. **श्री दीवीकन :** **श्री अंबुचेजियान :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री म० ला० सोंधी :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वस्थता दल (नेशनल फिटनेस कोर) को तोड़ने या इसका विकेन्द्री-

करण करने का सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वस्थता दल के कर्मचारी संघ ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि इस प्रसिद्ध योजना को जारी रखा जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां। सरकार ने राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कर्मचारियों के विकेन्द्रीकरण का निर्णय किया है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार कोर के प्रशासन और नियन्त्रण तथा उस पर होने वाले व्यय की जिम्मेदारी अनिश्चित काल तक वहन नहीं कर सकती जबकि राष्ट्रीय स्वस्थता कोर अनुदेशक वास्तव में राज्यों और संघीय प्रशासनों के विभिन्न स्कूलों में कार्य कर रहे हैं।

(ग) जी हां।

(घ) कोर के नियन्त्रण के विकेन्द्रीकरण के निर्णय से पहले तथा बाद में सरकार ने इन अभ्यावेदनों पर यथोचित ध्यान दिया है।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का माध्यम

*944. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी प्रादेशिक भाषाओं में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षायें लेने के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से त्रि-भाषा सूत्र को प्रभावपूर्ण रूप से क्रियान्वित करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा हाल में पारित किये गये भाषा सम्बन्धी संकल्प को क्रियान्वित करने के लिये भी केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) आन्ध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा अभिस्वीकृत सरकारी संकल्प में सिफारिश की गई है कि अन्य विषयों के साथ-साथ शिक्षा देने के लिये भारत के सभी राज्यों में त्रिभाषा फार्मूला का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा केन्द्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती के समय उम्मीदवारों की सभी तीन भाषाओं में परीक्षा ली जाय।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (घ) मामला विचाराधीन है।

होम गार्ड

*945. **श्री अंबचेजियान** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा की सुरक्षा के लिये होम गार्डों का एक सशस्त्र विंग स्थापित करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इस योजना को किन-किन राज्यों में आरम्भ करने का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राजस्थान और पंजाब राज्यों के सीमावर्ती जिलों में होमगार्डों का एक सीमा विभाग खोलने की योजना स्वीकार कर ली गई है ।

(ख) राजस्थान तथा पंजाब में अनेक बटालियनें स्थापित करनी हैं । इन बटालियनों के सभी कर्मचारियों को सशस्त्र बनाना है । उन्हें उपयुक्त परिवहन, आवास तथा भोजनशाला की सुविधा प्राप्त होगी । होमगार्डों की सीमा विभाग बटालियनों का संगठन कारगर कमान तथा नियन्त्रण के लिये किया जायेगा तथा उन्हें यथोचित प्रशिक्षण दिया जायगा ।

सेनायें

*946. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में विभिन्न राज्यों में बनाई गई विभिन्न 'सेनाओं' की संख्या और नाम क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उनका गठन करने में पाकिस्तान-समर्थक और साम्यवादी-समर्थक तत्व प्रमुख रूप से भाग ले रहे हैं और उन्हें धन भी दे रहे हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ देश भी धन तथा सामग्री से इन सेनाओं की सहायता कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) महाराष्ट्र में शिव सेना तथा आसाम में लचित सेना का गठन केन्द्र सरकार के ध्यान में आया है । गुजरात सरकार ने हाल में बने एक संगठन के बारे में सूचित किया है जो स्वयं को सरदार सेना कहती है । केरल कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) स्वयं सेवी दल जो स्वयं को सेना के अनुरूप नहीं बतलाता, कभी-कभी इसे दूसरों के द्वारा गोपाल सेना कहा जाता है । बिहार, जम्मू और काश्मीर, मद्रास उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) और (ग). सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में अपराध

*947. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सभी बड़े अपराधों के पीछे जो एक 'सिंडीकेट' है, सरकार को उसका पता है ;

(ख) क्या यह सच है कि 'सिंडीकेट' नशीले पदार्थों की तस्करी, जुएबाजी, जेब काटने आदि काम करता है ; और

(ग) इस सिंडीकेट को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

उत्तर प्रदेश की संयुक्त विधायक सरकार

*948. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 11 मार्च 1968 को "टाइम्स आफ इण्डिया" नामक दैनिक समाचार पत्र में छपे उत्तर प्रदेश में संयुक्त विधायक दल के शासन द्वारा अपनी सत्ता का दुरुपयोग किये जाने के बारे में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व प्रधान द्वारा लगाये गये आरोप की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) क्या यह सच है कि संविद सरकार के शासनकाल में साम्यवादी दल के कार्यकर्त्ताओं तथा समर्थकों को बन्दूकों के 25,000 लाइसेंस और रिवाल्वरों के लगभग 4,000 लाइसेंस दिये गये थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : 11 मार्च, 1968 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

मैक्सिको ओलम्पिक खेलों में भारतीय टीम

*949. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैक्सिको ओलम्पिक खेलों में भेजने के लिये भारतीय टीम का चयन करने तथा उसे तैयार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितना धन नियत किया गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, किन-किन प्रस्तावों की जांच की गई है तथा क्या प्रस्ताव तैयार किये गये हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) मैक्सिको ओलम्पिक खेलों में भाग लेने के लिये भारतीय टीम चुनने और उन्हें तैयार करने की जिम्मेदारी मूलतः भारतीय ओलम्पिक संस्था और सम्बन्धित राष्ट्रीय संघों की है ।

(ख) इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से कोई निधियां नियत नहीं हैं ।

(ग) भारतीय ओलम्पिक संस्था ने आगामी ओलम्पिक खेलों में भाग लेने के लिये अन्तिम रूप से 36 खिलाड़ियों, 9 कर्मचारियों और 9 प्रतिनिधियों के एक दल का प्रस्ताव किया है । प्रस्ताव पर अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् द्वारा 13-3-68 को हुई उसकी बैठक में विचार किया गया किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति के कार्यकारी बोर्ड की बैठक जोकि अप्रैल, 1968 में दक्षिण अफ्रीका के खेलों में प्रवेश के मसले पर विचार करने के लिये होने वाली है, के न होने तक के लिए परिषद् ने अपनी सिफारिशों को स्थगित कर दिया है ।

लाटरियां

*950. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय विकास अथवा किसी अन्य राष्ट्रीय उद्देश्य के लिये संसाधन जुटाने हेतु एक राष्ट्रीय लाटरी आरम्भ करने के प्रस्ताव पर किसी समय विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो इस विषय पर क्या निर्णय किया गया था;

(ग) क्या सरकार एक राष्ट्रीय लाटरी शुरू करने के सुझाव पर नये सिरे से विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). केन्द्रीय सरकार लाटरी न डालने की अथवा उसे किसी भी रूप में तथा किसी भी अभिप्राय के लिये चाहे वह कितना ही प्रशंसनीय क्यों न हो, सरकारी समर्थन न देने की नीति का अनुसरण इस आधार पर करती है कि उनसे जुआ खेलने की भावना को प्रोत्साहन मिलता है । सरकार ने इस दृष्टि से राष्ट्रीय विकास के लिये संसाधनों की वृद्धि करने अथवा किसी अन्य अभिप्राय के लिये राष्ट्रीय लाटरी आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार नहीं किया है ।

संघ राज्य क्षेत्रों के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा का संयुक्त संवर्ग

*951. **श्री प्रताप सिंह** :
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 20 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5104 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों को नेफा में भी काम करना होता है;

(ख) यदि हां, तो 13 जनवरी, 1968 के भारत सरकार के राजपत्र में गृह-मंत्रालय के जी० एस० आर० संख्या 46 में अधिसूचित संघ राज्य क्षेत्रों के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग की अनुसूची से नेफा में प्रशासनिक पदों को निकालने के क्या कारण हैं; और

(ग) सामान्य 20 प्रतिशत से अधिक संयुक्त संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग के प्रतिनियुक्ति रिजर्व पदों में 51 पद शामिल करने का क्या औचित्य है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) वर्तमान में, नेफा में प्रशासनिक पद भारतीय सीमान्त प्रशासनिक सेवा में शामिल हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में नेफा के प्रशासनिक पद शामिल करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ग) नेफा की आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से, संघ राज्य क्षेत्रों के लिये भारतीय प्रशासन सेवा संवर्ग की प्रतिनियुक्ति रिजर्व में 51 तदर्थ अधिक पद संवर्ग में अधिकारियों की भर्ती के लिये उपलब्ध किये गये हैं। जब कभी नेफा में प्रशासनिक पद विशिष्ट रूप में संघ राज्य क्षेत्रों के लिये भारतीय प्रशासन सेवा संवर्ग की सूची में शामिल किये जायेंगे, तो संवर्ग की रिजर्व प्रतिनियुक्ति के अधिक पद या तो कम कर दिये जायेंगे या समाप्त किये जायेंगे ।

पटना में गंगा नदी पर पुल

*952. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पटना में गंगा-पुल के निर्माण-व्यय का बड़ा हिस्सा वहन करने का अनुरोध किया है;

(ख) उस पर कुल कितना खर्च आने की सम्भावना है;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी राशि नियत की गई है; और

(घ) क्या सरकार ने बिहार सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अभी तक नहीं श्रीमान् जी ।

(ख) यह परियोजना अभी अन्वेषण अवस्था में है और स्थान के अंतिम रूप से चुने जाने और पुल के निर्माण के लिए प्राक्कलन बन जाने के बाद ही लगने वाली कुल लागत ज्ञात होगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि 1-4-1969 से शुरू होने वाली चौथी पंचवर्षीय योजना का अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता जैसा ऊपर के प्रश्नों में बताया गया है ।

Resurgence of Muslim League

*953. ***Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the tendencies of the old Muslim League are again resurging in the country ;

(b) whether it is also a fact that Pakistan has a hand in such tendencies ;

(c) whether pro-Pakistani slogans were raised in the rally organised by Muslim League in Kerala sometime back ; and

(d) if so, the steps being taken to check these tendencies ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) The Indian Union Muslim League is active in some States, but there is no information that "the tendencies of the old Muslim League" are being revived.

(b) Government are alive to the possibility of communal elements receiving encouragement from Pakistan.

(c) The State Government have reported that there is no such information.

(d) In view of what has been stated in answer to part (a) this does not arise.

राज्यों में माध्यमिक शिक्षा

*954. **डा० अ० ग० सोनार :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप भिन्न-भिन्न है;

(ख) क्या कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें राज्य के अन्दर ही भिन्न-भिन्न प्रणालियां अपनाई जाती हैं और यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) कितने राज्यों ने उस प्रणाली को स्वीकार कर लिया है जिसका सुझाव कोठारी आयोग द्वारा दिया गया है; और

(घ) देश में माध्यमिक शिक्षा का समान स्वरूप लाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां । समस्त देश में माध्यमिक शिक्षा की एक ही पद्धति नहीं है ।

(ख) शिक्षा मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार केवल महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है ।

(ग) और (घ). कोठारी आयोग द्वारा सुझाई गई पद्धति पर आम सहमति है। अप्रैल, 1967 में हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि शिक्षा का ढांचा 10 + 2 + 3 की पद्धति का होना चाहिए। किन्तु इसके कार्यक्रम और ब्योरे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकते हैं।

सरकारी उपक्रमों में 500 रुपये मासिक से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी

*955. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रमों में 500 रुपये मासिक से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उन पर केन्द्रीय सरकार के सेवा नियम तथा शर्तें लागू होती हैं और यदि हां, तो किस सीमा तक;

(ग) क्या यह सच है कि उनकी नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती और उनको बरखास्त करने वाले या उनके विरुद्ध कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही करने वाले चेयरमैन या प्रबन्धक निदेशकों के आदेशों के विरुद्ध उनको शिकायत करने की कोई सुविधा प्राप्त नहीं है; और

(घ) क्या वे कर्मचारी 'पब्लिक सर्वेंट' की परिभाषा में आते हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है तथा विभिन्न उपकरणों से एकत्रित करनी होगी।

(ख) और (ग). सरकारी क्षेत्र उपकरणों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा की शर्तें स्वयं उपकरणों द्वारा बनाये गये नियमों अथवा विनियमों द्वारा नियमित होती हैं तथा जहां कहीं भी आवश्यक हो केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति ले ली जाती है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

उच्चतम न्यायालय में सुरक्षा की व्यवस्था

*956. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय में सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में किसी योजना को अन्तिम रूप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). किसी औपचारिक योजना पर गौर नहीं किया जा रहा है। परन्तु उच्च न्यायालय में तत्कालीन सुरक्षा व्यवस्था को हाल में सुदृढ़ बनाये जाने के अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के उपायों पर अभी विचार किया जा रहा है।

आसाम में लचित सेना

*957. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आसाम में 'लचित सेना' की गतिविधियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो 'लचित सेना' को संगठित करने के लिये मुख्यतः कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं; और

(ग) क्या लचित सेना किसी समान उद्देश्य के लिये छिपे हुए नागाओं के साथ साठगांठ कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) लचित सेना कई उग्रवादियों तथा उग्रवादी गुटों का दिखावटी नाम प्रतीत होता है । राज्य सरकार ने निवारक निरोध अधिनियम, 1950 के अधीन 29 व्यक्तियों को, जिन पर लचित सेना के नाम से इश्तहार तथा पर्चे निकालने के लिये जिम्मेदार होने का शक किया गया था, नजरबन्द करने के आदेश जारी किए हैं । इनमें से 25 को गिरफ्तार किया गया है तथा नजरबन्द किया गया है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

Books Published by Ncert

5620. **Shri Ramavatar Sharma:**
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Shiv Kumar Shastri:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Council of Educational Research and Training has published a large number of books for primary classes;

(b) whether it is also a fact that some objectionable Chapters in regard to Hindu Gods and Goddesses have been included therein;

(c) whether it is also a fact that major religious festivals of India have been described in these books as insignificant; and

(d) if so, whether such facts were fully looked into before publication of these books?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) The National Council of Educational Research and Training has prepared at the primary level Hindi Readers and Primers for classes I to III and Social Studies Textbooks for Classes I to V with the help of experts.

(b) and (c). No, Sir.

(d) Does not arise.

केन्द्रीय सचिवालय में सहायकों के लिये पदोन्नति के अवसरों का अभाव

5621. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में सहायकों के संवर्ग के लिये, जिनकी पदोन्नति के अवसरों का अभाव है, पदोन्नति के पर्याप्त साधनों की व्यवस्था करके अथवा सहायक के संवर्ग में एक निश्चित अवधि की सेवा पूरी कर चुकने वाले लोगों के लिये वरिष्ठ सहायकों का एक नया वेतनमान बनाकर कुशल कार्य हेतु प्रोत्साहन देने के प्रश्न पर संयुक्त सचिवों की जिस समिति ने विचार किया था, क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस समिति ने क्या मुख्य सिफारिशें और टिप्पणियां की हैं;

(ग) क्या सरकार उस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखेगी; और

(घ) इस श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिये इस प्रतिवेदन के संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। समिति की मुख्य सिफारिशें उन सहायकों की पदोन्नति के अवसरों में सुधार से सम्बन्धित हैं जिन्होंने उस ग्रेड में लम्बी अवधि की सेवा की है। इस उद्देश्य के लिये, समिति सहायकों के ग्रेड में वरिष्ठता से सम्बन्धित वर्तमान स्थिति में परिवर्तन करने अथवा सहायकों का एक सलैक्शन ग्रेड लागू करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने अनुभाग अधिकारियों के पदोन्नत पदों को एक नियत अवधि की लम्बी सेवा किये हुए सहायकों द्वारा भरने के लिये कोटा निर्धारित करने की सिफारिश की है। उन्होंने अनुभाग अधिकारी ग्रेड की सीमित विभागीय परीक्षा की आवधिकता में कुछ परिवर्तनों का भी सुझाव दिया है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) समिति का प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है।

Contempt of Court Cases

5622. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of cases of contempt of court filed in Delhi, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh and Kerala since November, 1967, State-wise; and

(b) the number, among them, of those filed against the gazetted and the non-gazetted employees of the States and of the Central Government?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). Information in respect of Haryana, Punjab, Madhya Pradesh, and Kerala is not readily available, is being collected and will be laid on the Table of the House.

The number of cases in Delhi and Himachal Pradesh and their break-up is as follows :—

	Number of Cases filed against :				
	Total no. of cases	Gazetted employees		Non-Gazetted employees	
		Central Government employees	State Government employees	Central Government Employees	State Government Employees
Delhi	19	1	5	—	10
Himachal	1	—	2	—	—

तिब्बती के अध्ययन के लिये संस्थायें

5623. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बती के अध्ययन के लिये भारत में दलाई लामा के तत्वावधान में कौन-कौन सी तथा कहां-कहां पर संस्थायें स्थापित की गई हैं;

(ख) इन संस्थाओं में कितने विद्यार्थी भारतीय अथवा तिब्बती-शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) सरकार प्रत्येक ऐसी संस्था को प्रतिवर्ष कितना-कितना अनुदान देती है; और

(घ) क्या इन संस्थाओं में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है।

मंत्रियों को दिया गया यात्रा-भत्ता

5624. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1967 से 31 दिसम्बर, 1967 तक प्रत्येक केन्द्रीय मंत्री द्वारा देश और विदेश यात्रा के लिये प्राप्त किये गये यात्रा भत्ते की वास्तविक राशि क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

मंत्रियों के अनुसचिवीय कर्मचारी

5625. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक केन्द्रीय मंत्री के साथ कितने अनुसचिवीय तथा अन्य कर्मचारी (श्रेणीवार) कार्य कर रहे हैं और उन्हें कितना मासिक वेतन दिया जाता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सूचना बताने वाला विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-656/68]

भारतीय पर्यटन विकास निगम

5626. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम के बीस सर्वोच्च अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या-क्या हैं तथा ऐसे प्रत्येक अधिकारी का वार्षिक वेतन तथा परिलब्धियां कितनी-कितनी हैं; और

(ख) उस निगम के अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने 31 दिसम्बर, 1967 तक निगम के काम के लिये किस-किस तारीख को तथा कितनी-कितनी बार विदेशों का दौरा किया, किन-किन देशों का दौरा किया तथा प्रत्येक अधिकारी ने किस-किस विशिष्ट काम के लिये प्रत्येक दौरा किया तथा प्रत्येक दौरे पर कितनी विदेशी मुद्रा तथा अन्य धनराशि खर्च हुई।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) कारपोरेशन के 20 सर्वोच्च अधिकारियों के नाम तथा पदनाम, उनके द्वारा लिये गये वार्षिक वेतनों के साथ, अनुबंध 'क' में दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-657/68] इन अधिकारियों में से किसी को भी परिलब्धियां (परक्विजिट) नहीं मिल रहीं।

(ख) इन अधिकारियों में से किसी ने भी आज तक कारपोरेशन के व्यवसाय के संबंध में विदेश यात्रा नहीं की है।

केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा कारों की नम्बर प्लेटों पर देवनागरी अंकों का प्रयोग किया जाना

5627. **श्री समर गुह :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कछ केन्द्रीय मंत्रियों ने अपनी कारों की नम्बर प्लेटों को अन्तराष्ट्रीय अंकों के स्थान पर देवनागरी अंकों में परिवर्तित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन केन्द्रीय मंत्रियों ने अपनी कारों की नम्बर प्लेटों को परिवर्तित किया है;

(ग) क्या इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप यातायात नियंत्रण प्रणाली में कठिनाई हुई है तथा इसके कारण यातायात नियमों का उल्लंघन हुआ है; और

(घ) यदि हां तो यातायात नियमों का उल्लंघन किये जाने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

उड़ीसा के लिये केन्द्रीय सड़क निधि योजनाएं

5628. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा की उन योजनाओं के नाम क्या हैं, जिनके लिये केन्द्रीय सड़क निधि (सामान्य) रिजर्व में से धन दिया गया है और 1967-68 में कितना धन मंजूर किया गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : अगले पांच वर्षों में स्कीमों के लिये आरक्षित केन्द्रीय सड़क निधि (सामान्य) से उड़ीसा सरकार को देने के लिये जनवरी 1967 में निश्चित की गई 20 लाख रुपये की राशि के विपरीत हमें भवानी पटना-खरियार मार्ग पर तेल नदी पर पुल के निर्माण के लिये स्कीम प्राप्त हुई। प्रस्ताव जिसकी लागत 39.6 लाख रुपये की प्राक्कलित की जाती है भारत सरकार के विचाराधीन है और इस कार्य के लिये आरक्षित से अभी तक कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है।

'शमा' पत्रिका के मालिकों द्वारा पुरस्कार के धन का भुगतान

5629. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली से प्रकाशित होने वाली उर्दू की मासिक पत्रिका 'शमा' ने पिछले तीन या चार वर्षों में अपनी पहेलियों (मोमाज) के पुरस्कारों की 12 लाख रुपये से अधिक राशि का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 'शमा' मोमाज (पहेलियों) के आयोजकों द्वारा पुरस्कारों की राशि का भुगतान न करने के संबध में शिकायत मिलने पर एक मामला पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/406 के अन्तर्गत दर्ज किया था। तहकीकात के दौरान यह मालूम हुआ था कि फरवरी से दिसम्बर 1965 तक की अवधि में पहेलियों के विजेताओं को 7,19,183.82 रुपये की राशि का भुगतान करना था। इसमें से 1,46,376.66 रुपये की राशि का पहेलियों के विजेताओं को भुगतान किया गया है तथा 5,72,807.16 रुपये का भुगतान अभी किया जाना है। सन् 1966 और 1967 के दौरान प्रकाशित पहेलियों के संबंध में दिल्ली पुलिस को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) मामले की दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तदर्थ आधार पर विशेष कार्य अधिकारियों की नियुक्तियां

5630. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 8 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 525 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तदर्थ आधार पर कितने विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त हैं;

(ख) क्या तदर्थ नियुक्तियां किन्हीं भर्ती नियमों के अनुसार की जाती है; और

(ग) क्या तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये अधिकारियों के वेतनमान किन्हीं नियमों के अन्तर्गत किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 36.

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) पदों की जिम्मेदारी तथा कर्त्तव्यों को दृष्टि में रखते हुए पदों के वेतनमान निर्धारित किये जाते हैं और उन पदों पर कार्य करने वालों को नियमों के अनुसार वेतनमानों में वेतन दिये जाते हैं ।

Research Assistants in Central Hindi Directorate

5631. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many vacancies of Research Assistants in the Central Hindi Directorate and Scientific and Technical Terminology Commission have been filled up on **ad hoc** basis :

(b) if so, the number thereof ;

(c) the reasons for not filling up these vacancies through the U. P. S. C. ; and

(d) when these posts would be referred to U. P. S. C. for making regular appointments ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) to (d). Pending selection of suitable candidates by departmental promotion and direct recruitment through the Departmental Promotion Committee and the Union Public Service Commission respectively, 12 posts of Research Assistants in both these offices have been filled on an **ad hoc** basis to avoid dislocation of work. Steps are being taken to fill up the posts on a regular basis in accordance with the recruitment rules.

Memorial for Late Shri Chandra Sekhar Azad

5632. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to raise a memorial and a park in the native village of the late Shri Chandra Sekhar Azad ; and

(b) if so, when this work will start ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) and (b). Government have received a proposal from the Gram Panchayat, Bhabra that a suitable memorial be raised at his birth place and Government should extend financial assistance for this purpose. The proposal is under consideration.

मानशाई पुल परियोजना

5633. **श्री दे० कृ० दासचौधरी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने मानशाई नदी पर एक पुल बनाने

की योजना को सर्वोच्च वरीयता देकर केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस पुल को पश्चिम बंगाल में कूच-बिहार जिले में मथभंगा नगर के निकट बनाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितना खर्च आने का अनुमान है और कब तक इसके पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अभी तक नहीं। श्रीमान् जी।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

Post of Deputy Registrar, Vikram University

5634. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have received any representation against the abolition of the post of Deputy Registrar in the Vikram University and the removal of the person working against the said post ;

(b) whether Government have considered the effect of such action on the teaching and on its education policy ; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) to (c). A copy of the representation has been sent to me by the Hon'ble Member. It is primarily the concern of the University authorities and the State Government of Madhya Pradesh.

Mahesh Yogi of Rishikesh

5635. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Mahesh Yogi, who is living in Ashram in Rishikesh, is carrying on espionage activities here for some foreign powers ; and

(b) if so, the steps taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla : (a) The Government have no such information.

(b) Does not arise.

Foreign Missionaries

5636. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of foreign missionaries in Assam, Kerala, Jammu and Kashmir and Uttar Pradesh who have been served notice by the respective State Governments and the Central Government to leave those States since 1963 upto February, 1968 ;

(b) the number of such missionaries among them who have acted upon those orders ; and

(c) the action taken by respective State Governments and the Central Government against the remaining ones ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का इतिहास तैयार करने की योजना

5637. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के संबंध में उनके इतिहास तैयार करने की एक योजना दस वर्ष पूर्व तैयार की गई थी ;

(ख) क्या 1961 की जनगणना के पश्चात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में जाति शास्त्र संबंधी टिप्पणियां तैयार करने के लिये विशेष अध्ययन किये गये थे ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में जाति शास्त्र सम्बन्धी कितनी टिप्पणियां अब तक तैयार एवं प्रकाशित की जा चुकी हैं ;

(घ) उन जातियों तथा आदिम जातियों के नाम क्या हैं, जिनके बारे में अब तक ऐसी टिप्पणियां तैयार तथा प्रकाशित की जा चुकी हैं ; और

(ङ) क्या जाति शास्त्र सम्बन्धी टिप्पणियां तैयार करने के लिये तथ्य एकत्रित करने के लिए सम्बन्धित जातियों के प्रख्यात सामाजिक नेताओं और विद्वानों से परामर्श किया गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने 14 अप्रैल, 1959 को यह सिफारिश की थी कि प्रत्येक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति की जाति शास्त्र सम्बन्धी टिप्पणियां तैयार करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। यद्यपि उस समय कुछ प्रारम्भिक कार्य शुरू किया गया था किन्तु कार्य वास्तविक रूप से 1961 की जनगणना के बाद ही उसके एक सहायक अध्ययन के रूप में किया गया। जाति शास्त्र सम्बन्धी टिप्पणियों को नियमित रूप से तैयार करने की रूपरेखा 1966 में बनाई गई थी।

(ग) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-**658/68]

(घ) तीन अनुसूचित आदिम जातियों नामतः सावर, कोरा तथा तियार की जाति-शास्त्र सम्बन्धी टिप्पणियां तैयार हो चुकी हैं। इनको अभी प्रकाशित किया जाना है।

(ङ) अध्ययन जाति-शास्त्र की कार्यपद्धति के अनुसार किये जाते हैं। इन अध्ययनों के लिए सामाजिक नेताओं तथा विद्वानों समेत, समाज के विभिन्न स्तर के लोगों से परामर्श किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

5638. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में हिमाचल प्रदेश को ऋणों और अनुदानों के रूप में कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है और 1968-69 में कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ;

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1968-69 के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई है ; और

(ग) हिमाचल प्रदेश सरकार के किन प्रस्तावों को अस्वीकार किया गया है और किस आधार पर ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय सहायता	1967-68 (27.3.1968 तक)	1968-69 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित	स्वीकृत
	(रु० लाखों में)		
सहायता अनुदान	1816.47	2930.45	2450.48
ऋण	1226.57	2072.58	1365.19
जोड़	3043.04	5003.03	3815.67

(ग) हिमाचल प्रदेश सरकार के 1968-69 के बजट में दिये गये प्रस्तावों पर विचार किया गया तथा विभिन्न उपादानों नामतः, योजनाओं का तुलनात्मक महत्व, राज्य-क्षेत्र के पिछले कार्य तथा उनका व्यय करने का सामर्थ्य, 1968-69 के लिये स्वीकृत योजना प्रारूप, संसाधनों पर रुकावट के कारण बचत की आवश्यकता आदि को ध्यान में रखकर केन्द्रीय सहायता की अन्तिम राशियां निर्धारित की गई। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई राशि तथा अन्तिम रूप से स्वीकृत राशि के बीच 1187.36 लाख रुपये का अन्तर उक्त उपादानों को ध्यान में रखकर संघ राज्य क्षेत्र सरकार के प्रस्तावों पर कमी करने के कारण हुआ।

सिकन्दराबाद स्टेशन पर सं० सो० पा० कार्य-कर्त्ताओं की गिरफ्तारी

5639. **श्री देवेन सेन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 फरवरी, 1968 को सिकन्दराबाद स्टेशन पर, रेल किराये में वृद्धि का विरोध करते हुये सं० सो० पा० के 16 कार्यकर्त्ता गिरफ्तार किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पार्क होटल, कलकत्ता

5640. **श्री मधु लिमये** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री 8 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 830 के उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति में 19 जुलाई, 1967 को सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच केन्द्र के भ्रष्टाचार विरोधी विभाग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त को इस बात की जांच करने के लिये कहा है कि इस्पात के परमिट प्राप्त किये बिना पार्क होटल, कलकत्ता का निर्माण कैसे किया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उस होटल को अपने कब्जे में करने तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं । होटल के निर्माण के लिये जिस प्रकार के इस्पात की जरूरत थी उस पर किसी प्रकार का कन्ट्रोल नहीं था, तथा उसे प्राप्त करने के लिये किसी 'कोटे' की आवश्यकता नहीं थी ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Hindi Teachers in Kerala

5641. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the salaries to Hindi Teachers working in Kerala are paid wholly or partially by the Central Government :

(b) whether it is a fact that these teachers devote half and not full time on the jobs entrusted to them ;

(c) if so, the steps the Central Government propose to take in the matter ; and

(d) whether there is any proposal to raise the salaries of these teachers ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) Central assistance on 100 per cent basis is rendered to Governments of non-Hindi speaking States,

including Kerala, for appointment of Hindi Teachers. This assistance is available only for a plan period of five years. The level of expenditure reached at the end of a Plan period becomes the liability of the State Government concerned in the subsequent Plan period.

(b) Under the above mentioned scheme, the State Government employ both part-time and whole-time Hindi teachers according to their requirements. In schools where the work-load does not justify the employment of whole-time Hindi teachers, part-time teachers are employed.

(c) The question does not arise.

(d) There is no proposal so far for raising the salaries of Hindi teachers in Kerala.

दिनाजपुर जिले में एक भारतीय ग्राम पर पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा आक्रमण

5642. **श्री प्रेमचन्द्र वर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनाजपुर जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा के निकट एक गांव पर लगभग 100 पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा मारे गये छापे के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्योरा क्या है और छापामारों द्वारा कितनी क्षति पहुंचाई गई ;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया है और यदि हां तो उन्होंने क्या स्पष्टीकरण दिया है ; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि भविष्य में ऐसी घटनायें न हों और पाकिस्तानियों को भड़काने वाली गतिविधियों का प्रभावशाली ढंग से मुकाबला करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 3/4 फरवरी, 1968 की रात को बन्दूकों भालों तथा लाठियों से लैस एक सौ पाकिस्तानी अपराधियों के एक गिरोह ने पश्चिम दिनाजपुर जिले में इस्लामपुर थाने के रोहिया गांव के एक निवासी के घर पर छापा मारा था।

(ख) पाकिस्तानी अपराधियों को जिला पुलिसगश्ती दल द्वारा रोका गया। दोनों ओर से गोली चलाये जाने के परिणामस्वरूप एक पाकिस्तानी अपराधी घटनास्थल पर ही मारा गया तथा एक जिला पुलिस अधिकारी को मामूली चोटें आईं। अपराधी सात मावेशियों के साथ भाग निकले।

(ग) पाकिस्तान से जिला तथा राज्य स्तरों पर विरोध प्रकट किया गया है। अभी तक विरोध पत्रों का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) गश्त तेज कर दी गई है तथा सख्त निगरानी रखी जा रही है।

निजाम का उत्तराधिकारी

5643. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय निजाम के सबसे बड़े पुत्र शाहजादा आजमशाह ने उनसे यह प्रार्थना की है कि उसके पुत्र, जो इस समय निजाम हैं, के स्थान पर उसे निजाम माना जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) शाहजादा आजमशाह से हैदराबाद के स्वर्गीय निजाम के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्रदान किए जाने के बारे में आवेदन प्राप्त हुये थे। राष्ट्रपति ने परम महामान्य नवाब मीर बरकत अली खां को संविधान के अनुच्छेद 366(22) के अधीन स्वर्गीय निजाम के उत्तराधिकार में हैदराबाद के शासक के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है।

Damage Caused to Indian Ship at Dilburi Port

5644. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to the information received from London, a 6,000-ton motor-driven Indian Ship was damaged as a result of fire that broke out in the ship at Dilburi port in February, 1968 ;

(b) if so, the causes of the fire ; and

(c) the extent of loss of life and property suffered as a result thereof ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c). M. V. 'Jalaganga' belonging to M/s Scindia Steam Navigation Co. Ltd. had fire on board on 23rd February, 1968, while she was in Tilbury Docks, London. There has been no loss of life. Deck plates, side battens, electric lines, beams etc. of the vessel are reported to have been damaged due to fire. Essential repairs have been carried out. The exact causes of the fire and extent of loss/damage to vessel and cargo will be known on arrival of vessel at Bombay scheduled for 10th April, 1968, presumably after unloading of affected cargo holds for inspection.

Arvind Arville Colony, Pondicherry

5645. **Shri Y. S. Kushwah :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether any efforts are being made at administrative level, or otherwise, to construct "Arvind Arville" Colony in Pondicherry on international basis ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) The Sri Aurobindo Society, Pondicherry is constructing a cultural township named Auroville to represent the values and

ideals of different cultures. People of different countries are expected to live in the colony and work for the ideals of good will and co-operation. The foundation stone of Auroville was laid on 28-2-1968.

(b) The Government of India welcome the project and have brought it to the notice of National Commissions of UNESCO in foreign countries. On our initiative, the 14th General Conference of UNESCO held in 1966 passed a resolution commending it to all those interested in Unesco's ideals. The Government have not however accepted any financial liability for the project which is completely controlled by the Sri Aurobindo Society.

पंजाब तथा हरियाणा के उच्च न्यायालयों में रिक्त पद

5646. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के बैंच में कितने रिक्त पद हैं ; और

(ख) इन रिक्त पदों को अब तक न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 6

(ख) चूंकि उच्च न्यायालय दोनों राज्यों के लिये समान है। अतः स्पष्ठतः राज्य प्राधिकारियों को रिक्तियों के भरने के लिये सम्मत प्रस्तावों को तैयार करने में समय लगा। अब प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं। उन पर कार्यवाही की जा रही है।

गैर-कानूनी गतिविधियां (रोक) अधिनियम

5647. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने व्यक्तियों (अथवा संगठनों) को राज्यवार अब तक गैर-कानूनी गतिविधियां अधिनियम के अन्तर्गत काबू किया गया है ;

(ख) कितने व्यक्ति (अथवा संगठन) राज्यवार इस अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार होने से या काबू में आने से बचने का प्रयत्न कर रहे हैं ;

(ग) क्या भारत स्थित कोई विदेशी व्यक्ति अथवा विदेशी संगठन भी इसके नियंत्रणाधीन लाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो वे कौन हैं और किस-किस देश के हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गैर-कानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम 1967 के अन्तर्गत असम में मिजो नेशनल फ्रन्ट अवैध संस्था घोषित कर दी गई है।

(ख) मिजो नेशनल फ्रन्ट कार्यकर्त्ताओं या सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों के बारे में सूचना, जिनके विरुद्ध वारंट निलंबित पड़े हैं, एकत्रित की जा रही है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Exercise by the State Governments of the Power Vested in them Under Section 401 of the Cr. P. C.

5648. **Shri S. M. Joshi**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Central Government have ascertained as to the number of times the power vested in the State Governments under Section 401 of the Criminal Procedure Code to grant reprieve or commute the punishment had been utilized by them;

(b) the number of prisoners in various States who were granted reprieve or whose punishment was commuted during the last five years i. e., from 1963 to 1967, year-wise;

(c) whether any complaints have been received against the abuse of the power to grant reprieve or commutation of punishments; and

(d) if so, the steps proposed to be taken by Government to ensure that the said section is not misused in future?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No, Sir.

(b) The information is not readily available.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

पंजाब निर्यात निगम लिमिटेड

5649. **श्री विद्याधर बाजपेयी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब निर्यात निगम लिमिटेड का विभाजन नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो हरियाना निगम ने कैसे कार्य आरम्भ कर दिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). पंजाब निर्यात निगम लिमिटेड जिसका गठन संयुक्त पंजाब राज्य द्वारा हुआ था औपचारिक रूप में अभी विभक्त नहीं की गई है । इस निगम को विभाजित करने का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है तथा कुछ कानूनी औपचारिकताओं पर विचार करना बाकी है । इसी बीच हरियाना सरकार ने कम्पनी अधिनियम के अधीन हरियाना राज्य लघु उद्योग तथा निर्यात निगम लिमिटेड नामक एक संगठन स्थापित कर लिया है ।

Roads in Bulandshahr (U. P.)

5650. **Shri Ram Charan**: Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) the number of roads in Bulandshahr District (Uttar Pradesh) which have remained incomplete for the last five years or more; and

(b) the reasons for not completing the construction thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Ex. I. N. A. Soldiers

5651. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some former I.N.A. soldiers resorted to hunger strike in front of Orissa Vidhan Sabha in Cuttack recently in support of their demand for provision of land to earn their living ;

(b) if so, the reaction of Government thereto and whether Government contemplate any scheme for their rehabilitation ; and

(c) if so, the outlines thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The State Government have intimated that sixty-four ex-I. N. A. personnel were on hunger strike from 28-2-1968 to 4-3-1968 demanding land and cash pensions ; that forty-one ex-I.N.A. men have been granted pensions at the rate of Rs. 40/- per month with effect from 1-4-1964 ; and applications of 127 men were still under their consideration. The relief and rehabilitation of political sufferers, including ex-I. N. A. personnel, are primarily the responsibility of State Governments, who have their own schemes for the purpose.

आसाम का पुनर्गठन

5652. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के पुनर्गठन के प्रश्न पर आसाम के मुख्य मंत्री के साथ कोई बातचीत की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) असम के पुनर्गठन का आपसी मान्य आधार ढूंढने के प्रश्न पर हाल में असम सरकार तथा सर्वदलीय पहाड़ी नेता सम्मेलन के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया । यह देखा गया कि वे अनौपचारिक रूप से मिलते रहे हैं तथा इस विवाद पर विचार करते रहे हैं । आपसी मान्य समझौते को ढूंढने की आवश्यकता पर बल दिया गया तथा प्रतिनिधियों को उचित अवधि में सहमति का आधार खोजने के लिये सलाह दी गई कि वे अपना अनौपचारिक विचार-विमर्श जारी रखें तथा असहमति की बातें भारत सरकार के ध्यान में लायें ।

पालम हवाई अड्डे में गणमान्य व्यक्तियों का विश्राम कक्ष

5653. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम हवाई अड्डे के गणमान्य व्यक्तियों के विश्राम कक्ष

तथा सैक्शन का प्रयोग, जो अति महत्वपूर्ण विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के लिये आरक्षित है, विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम और पदनाम क्या हैं, जिन्हें 1966 से गणमान्य व्यक्तियों के विश्राम कक्ष और सैक्शन का प्रयोग करने की अनुमति दी गई तथा इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). पालम हवाई अड्डे पर नया औपचारिक कक्ष (सेरेमोनिअल लौंज) राजकीय उच्च गणमान्य व्यक्तियों एवं विदेशी गणमान्य व्यक्तियों तथा विदेशी दूतावासों के प्रमुखों के द्वारा औपचारिक अवसरों पर इस्तेमाल किये जाने के लिये है। दूसरे आरक्षित कक्ष को जिसे सामान्यतया 'वी० आई० पी० लौंज' कहा जाता है, इमारत में परिवर्तन एवं परिवर्धन किये जाने तक अस्थायी रूप से बन्द करना पड़ा है। नया अस्थायी 'वी० आई० पी० लौंज,' अन्यत्र दूसरे ब्लाक में स्थापित किया गया है लेकिन औपचारिक कक्ष फिलहाल कभी-कभी अन्य गणमान्य व्यक्तियों के लिये, विशेषतया संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के सिलसिले में अस्थायी व्यवस्था के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।

Suits Filed in Supreme Court

5654. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of suits filed in the Supreme Court of India since 1958 year-wise;

(b) the number of cases out of them decided annually;

(c) the number of cases which remained pending every year; and

(d) the number of cases still pending with the Supreme Court?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). A statement giving the information is attached. **[Plaeed in Library. See No. LT-659/68]**

(d) The number of cases pending on 1st February, 1968, was 5,526.

विदेशी पर्यटकों से विदेशी मुद्रा की आय

5655. **श्री स० कुण्डू** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने विदेशी पर्यटक भारत आये ; और

(ख) गत तीन वर्षों में विदेशी पर्यटकों से सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई है ?

पर्यटक तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :

वर्ष	पर्यटकों की संख्या	विदेशी मुद्रा की आय (करोड़ रुपयों में)
1965	147,900	21.59
1966	159,603	22.61
1967	179,565	25.23 (प्रारंभिक प्राक्कलन)

Riots in Meerut

5656. **Shri Kanwar Lal Gupta:** **Shri Onkar Lal Berwa:** **Shri Shri Gopal Saboo:** **Shrl Bramhanandji:** **Shri Bharat Singh Chauhan:** **Dr. Surya Prakash Puri:** **Shri Ram Gopal Shalwale:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the enquiry being conducted into the riots in Meerut has been completed ;

(b) if so, the findings thereof; and

(c) the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The enquiry by the State C. I. D. into the riots in Meerut is still in progress.

(b) and (c). Do not arise.

Propagation of Hindi

5657. **Shri R. S. Vidyarthi:** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by the Central Government on the propagation and spread of Hindi during the last three years ;

(b) the amount given for the propagation and spread of Hindi in the non-Hindi speaking State during the last three years and the amount out of it utilized in each State ; and

(c) the action being taken by Government for the propagation and spread of Hindi ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) and (b). The Ministry of Education is primarily concerned with the propagation of Hindi in the non-Hindi speaking States. The expenditure incured by this Ministry for propagation of Hindi by way of financial assistance to non-Hindi speaking State for (i) Appointmnnt of Hindi Teachers and Establishment of Hindi Teachers Training Colleges, (ii) Financial assistance to Voluntary Hindi Organisations for implementation of Hindi propagation Scheme in non-Hindi speaking regions and (iii) Award of scholarships to students of non-Hindi speaking States

for study of Hindi at post-Matric level during the last three years is indicated below :—

1964-65	..	Rs. 2,14,39,872/-
1965-66	..	Rs. 1,25,17,956/-
1966-67	..	Rs. 79,18,892/-
		Rs. 4,18,76,720/-

(c) The existing schemes implemented by this Ministry for propagation and spread of Hindi are being continued. A new scheme for teaching of Hindi to non-Hindi speaking people and foreigners by correspondence has also been started this year.

कैदियों के साथ भेंट करने का संसद् सदस्यों का अधिकार

5658. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री गणेश घोष :**
श्री चक्रपाणि : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री उमानाथ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् सदस्य जेलों में कैदियों से भेंट कर सकते हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो किन परिस्थितियों में उनको भेंट करने से मना किया जा सकता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) . 'जेल' राज्य का विषय होने के कारण, संसद् सदस्यों समेत बाहर वालों की कैदियों से भेंट के नियम राज्य सरकारों द्वारा बनाये जाते हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से इस सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अब तक प्राप्त सूचना का विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-660/68] शेष राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना मिलने पर सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Teachers Arrested in Delhi

5659. **Shri Shashibhushan Bajpai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of teachers arrested during the teachers' strike in Delhi some days back ;

(b) the number out of them arrested (i) at their houses, (ii) in Temples, (iii) in Gurdwaras and (iv) in Arya Samaj Mandir ;

(c) the number thereof who were arrested for violating section 144, the number handcuffed, the number in whose case warrants were issurd, the number released on bail and the number of times when the children and citizens were lathi-charged ; and

(d) the details in regard to the action taken on the F. I. R. registered by the Delhi citizens against the treatment meted out by the Police ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). 121 teachers were arrested during the period of teachers' strike in Delhi recently. None of them was reported to have been arrested at their houses, in temples, in Gurdwaras and in Arya Samaj Mandir.

107 teachers were arrested for violating section 144 Cr. P. C. and 5 teachers were hand-cuffed. In no case warrant was issued. All the arrested teachers were released on bail by the courts. No lathi charge was resorted to.

No FIR was registered by the Delhi citizens against the treatment meted out by the Police.

Basic Pay of Delhi Teachers

5660. **Shri Shashibhushan Bajpai :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the difference in the present basic pay of the Delhi teachers, the basic pay recommended by the Kothari Commission as also the pay scales proposed by Government ; and

(b) whether Government have recommended that in the cities where Dearness allowance is paid, particularly in the cities like the Capital, the basic pay should be reduced ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) A statement is attached herewith. **[Placed in Library. See No. LT-661/68]**

(b) No, Sir.

एशिया फाउन्डेशन

5661. **श्री चक्रपाणि :** **श्री एस्थोस :**
श्री नम्बियार : **श्री नायनार :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 23 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1740 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशिया फाउन्डेशन ने भारतीय ऐतिहासिक अध्ययन संस्था को कुल कितना अनुदान दिया ;

(ख) एशिया फाउन्डेशन ने परियोजनावार कितनी सहायता दी है ;

(ग) सरकार की अनुमति देने की कसौटी क्या है ;

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 3,02,390 रु०

(ख) 2,83,390 रु० 3 वर्षों के लिये अन्वेषण परियोजना के लिये तथा 19,000 रु० प्रशिक्षण, पुस्तकालय और विचार गोष्ठियों के लिये अनुदान के रूप में दिये गये ।

(ग) प्रत्येक परियोजना की, जिसको एशिया फाउन्डेशन द्वारा वित्तीय सहायता मिलने का प्रस्ताव था शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमति देने के लिये गुण-दोषों के आधार पर परीक्षा की गई।

(घ) और (ङ). एशिया फाउन्डेशन से पहले ही भारत में अपना कार्यालय बन्द करने के लिये कहा गया है।

उच्च न्यायालयों में मुकदमे

5662. **श्री चक्रपाणि :** **श्री अनिरुद्धन :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मुकदमों को निपटाने के लिये राज्य सरकारों से सरकार को कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आसाम में दंगे

5663. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1968 के पहले सप्ताह में आसाम में करीमगंज में साम्प्रदायिक दंगों में कुछ विदेशी तत्वों का हाथ पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

5664. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 12 महीनों में दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकतर दुर्घटनाएं तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने के कारण हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली यातायात पुलिस दल को सुदृढ़ करने का सरकार का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं। 1 मार्च, 1967 से 29 फरवरी, 1968 तक दिल्ली संघ क्षेत्र में हुई दुर्घटनाओं की कुल संख्या 7967 थी। इसके विपरीत 1-3-1966 से 28-2-1967 तक की अवधि में 8400 दुर्घटनायें हुई थीं।

(ख) जी हां।

(ग) यातायात के नियमों को और अधिक प्रभावकारी ढंग से लागू करने के लिये दिल्ली में यातायात पुलिस की संख्या में हाल ही में एक अधीक्षक पुलिस, 6 निरीक्षिकों, 12 हैड कान्स्टेबल और 60 कान्स्टेबल और बढ़ाए गये।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल का पश्चिम बंगाल में लगाया जाना

5665. **श्री अ० क० गोपालन** : **श्री गणेश घोष** :
श्री भगवान दास : **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा सीमा सुरक्षा बल के खर्च का वहन केन्द्रीय सरकार करती है ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में और ऐसा कितने समय के लिये किया जा सकता है ;

(ग) यदि हां, तो 15 सितम्बर, 1967 से 31 जनवरी, 1968 तक इन पर कुल कितना खर्च किया गया ; और

(घ) क्या ऐसे किसी बल को बिहार अथवा अन्य राज्य में भेजा गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). सीमा सुरक्षा दल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस देश के विभिन्न भागों में स्थित केन्द्रीय दल हैं तथा उनका व्यय केन्द्र से होता है। उपलब्ध होने पर इन दलों की टुकड़ियां विधि तथा व्यवस्था कार्यों के लिये, जिस भी अवधि के लिये उनकी मांग की जाती है, राज्य सरकारों को भेजी जाती हैं। राज्य सरकारों को ऐसी टुकड़ियों का खर्च वहन करना पड़ता है। हाल के महीनों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा दल की टुकड़ियां बिहार तथा पश्चिम बंगाल सरकारों के अनुरोध पर भेजी गईं।

जम्मू तथा काश्मीर में निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

5666. **श्री अ० क० गोपालन :**　　**श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री अब्राहम :　　**श्री उमानाथ :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर में निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत कितने व्यक्ति नजरबन्द किये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से अधिकतर लोगों को कार्मिक संघ की गतिविधियों के कारण नजरबन्द किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). जम्मू और काश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत 165 व्यक्ति नजरबन्द हैं और कार्मिक संघ गतिविधियों के कारण कोई व्यक्ति नजरबन्द नहीं किया गया है।

उखरूल में नागा शिविर

5667. **श्री ओ० प्र० त्यागी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उखरूल क्षेत्र में विद्रोही नागाओं ने नये सैनिक शिविर स्थापित कर लिये हैं और वे हमला करने की जोरदार तैयारी कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो विद्रोही नागाओं की गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) नागा उपद्रवियों की गतिविधियों के लिये सुरक्षा सेनायें लगातार सतर्क और सावधान रहती हैं।

भारतीय न्यायिक सेवा

5668. **श्री ओ० प्र० त्यागी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के समान एक भारतीय न्यायिक सेवा संवर्ग बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह सेवा स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और कब तक इसके स्थापित हो जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस सबन्ध में राज्य सरकार से परामर्श किया जा रहा है । सभी राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त होने पर निर्णय किया जायगा ।

Devanagri Script

5669. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government propose to permit the learning of the Third Indian language in Devanagri script besides Hindi and English under the Three Language Formula, keeping in view the difficulties and the convenience of the students ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b). The matter primarily concerns the State Governments.

Attack on "Mahor" Police Station in Kashmir by Pakistani Supporters

5671. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the 1965 Indo-Pakistan conflict, 35 Pakistani supporters attacked "Mahor" Police Station in Gulmarg in Kashmir ;

(b) whether it is also a fact that 19 of them were arrested and 16 were declared absconding ;

(c) whether it is a fact that 2 of the sixteen persons are still in Kashmir Government service, one as a Kanungo and the other as a teacher ; and

(d) if so, the action taken against both of them and the other 19 arrested persons ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) and (d). The Jammu and Kashmir Government have intimated that 19 persons were arrested and tried. The court acquitted all of them. Eight accused were declared absconding. The State Government have further stated that efforts continue to apprehend the absconders.

(c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Pro-Chinese Communists

5672. **Shri Ram Avatar Sharma :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that extremist pro-Chinese communists have formed a new organisation by the name of Girijan Mahasabha on the lines of Lachit Sena and the said organisation has been actively indulging in anti-national activities in an organised manner in the hill areas covering about 2,500 square miles in Andhra Pradesh and Orissa ;

(b) whether it is also a fact that the said organization has been instigating hilly tribes in those areas against Government officers and the nationalists ; and

(c) if so, the action taken by Government against such anti-national organisation so far ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). It is not correct that a new organization by the name of Girijan Maha Sabha has been formed on the lines of the Lachit Sena. A Girijan Sangh has been in existence since 1958, and is now under the influence of the CPM. However it has been organizing agitations for the last 4 or 5 years during transplantation and harvest seasons, and clashes between Girijans and landlords on the issue of wages have been reported. Recently its activities have been intensified leading to looting of shandies and properties belonging to persons from plains in agency hilly areas of Andhra Pradesh. In Orissa a unit of the Girijan Maha Sabha has been formed in Ganjam District by the extremist elements and the Girijans are being instigated to fell reserve forests and to occupy forcibly areas cleared by them. As a result large scale felling of forests has taken place.

(c) Adequate preventive and other measures have been instituted by the State Government to maintain law and order. Action to redress genuine economic grievances of Girijans and settle their land disputes is also being taken.

Hindi Teaching in Madras Schools

5673. **Shri Ram Avatar Sharma :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Madras Government have issued orders to stop teaching Hindi in Anglo-Indian Schools ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) According to the orders issued by the Madras Government and subject to the provisions under Madras Educational Rules, the language scheme in the Anglo-Indian Schools of that State is as follows :—

Part A : English

Part B : Tamil or mother-tongue if it is different from

Tamil or

Latin or French } French for foreigners only.

Under the above scheme, pupil whose mother tongue is not Hindi, will not be allowed to study Hindi under part B.

(b) The matter is within the jurisdiction of the State Government.

Lateral Road Project in Bihar

5674. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Ministry of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that machinery worth crores of rupees is lying idle and many

technical employees have become unemployed as a result of the suspension of work on lateral road project in Bihar ;

(b) whether Bihar Government have urged that work on the project be resumed ; and

(c) if so, the decision taken by Government in this connection?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) The position is that due to financial stringency, work on the lateral road project, which had gained momentum and was in full swing in 1966-67, had to be slowed down. This necessarily had an impact on the utilisation of machinery, which in the changed situation could not be utilised in full and efforts are, therefore, being made to shift some of them to other States wherever they could be more usefully utilised. Similarly, there may have been an impact on the employment of the technical employees in the project for which necessary information is being gathered from the State Government and will be laid on the table of the Sabha in due course.

(b) and (c). Bihar Government have urged the completion of the project as early as possible. Due to constraint on resources, however, it is now proposed to limit the scope of further work on the project in such a way that the expenditure already incurred does not become infructuous and the main lateral road becomes fit for vehicular traffic.

अनुभाग अधिकारियों तथा सहायकों की वरिष्ठता सूचियां

5675. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा अनुभाग अधिकारियों तथा सहायकों की नवीनतम वरिष्ठता सूची कब जारी की गई थी; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये, कि नवीनतम वरिष्ठता सूचियां प्रतिवर्ष जारी की जायें, क्या कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अनुभाग अधिकारियों तथा सहायकों की अन्तिम वरिष्ठता सूची गृह-मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 1962 में जारी की गई थी ।

(ख) 1 अक्टूबर, 1962 से अनुभाग अधिकारी तथा सहायक के ग्रेडों का विकेन्द्रीकरण किया गया था तथा तब से वरिष्ठता का नियमन तथा विकेन्द्रीकृत ग्रेडों के अधिकारियों की पदक्रम सूचियां बनाने का उत्तरदायित्व संवर्ग प्राधिकारियों को सौंप दिया गया था ।

भारत सरकार के अवर सचिव

5676. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवर सचिवों के विभिन्न पदों पर किस अनुपात से (1) भारतीय प्रशासनिक सेवा (2) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रथम तथा तृतीय श्रेणी के अनुभाग अधिकारी काम कर रहे हैं;

(ख) इन पदों पर कितने अनुभाग अधिकारी 15 वर्षों से भी अधिक समय से निरन्तर काम कर रहे हैं और भारत सरकार के विभिन्न विभागों में अनुभाग अधिकारियों की कुल संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि अधिकांश अनुभाग अधिकारियों के लिये 15 साल से अधिक सेवा का अनुभव होने के बावजूद भी पदोन्नति का कोई अवसर नहीं है; और

(घ) अनुभाग अधिकारियों के संवर्ग में इस गतिरोध को समाप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विभिन्न सेवाओं द्वारा अवर सचिवों के पदों के भरे जाने का कोई निश्चित अनुपात नहीं है। 1-3-1968 को विभिन्न सेवाओं के उन अधिकारियों की संख्या जो अवर सचिव के पद पर आसीन थे (विदेश मंत्रालय में सेवा कर रहे भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों को छोड़ते हुए) निम्नलिखित है :

(i)	भारतीय प्रशासन सेवा	23
(ii)	केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी I	88
(iii)	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी	310

(ख) अनुभाग अधिकारियों की कुल संख्या 2095 है। उन अनुभाग अधिकारियों के विषय में जिन्होंने इस ग्रेड में 15 वर्ष से अधिक की सेवा की है, सूचना शीघ्र उपलब्ध नहीं है।

(ग) उपरोक्त (ख) में निर्दिष्ट सूचना सभी संवर्गों से प्राप्त होने पर पदोन्नति के अवसरों में कमी की सीमा का पता लगेगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Visakhapatnam Port

5677. **Shri Y. S. Kushwah :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the arrangements for loading of goods in large ships at Visakhapatnam are not satisfactory as a result of which the export of articles produced in Bailadilla is hampered and additional expenditure has to be incurred ; and

(b) if so, the action being taken by Government in that regard ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). Presumably, the Honourable Member has in mind the facilities at Visakhapatnam Port for export of iron ore from Bailadilla mines.

Arrangements for mechanical loading of iron ore from Baileadilla in large ships at an average loading rate of about 1500 tonnes per hour exist at Visakhapatnam Port. These arrangements are quite satisfactory and no complaints have been received. All the ore that is being offered from Bailadilla at present is being satisfactorily handled. However, certain modifications and improvements to the mechanical ore loading plant at the port are being carried out with a view to step up its capacity to about 3000 tonnes per hour.

Sheikh Abdullah's Talks with Home Minister

5678. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Sheikh Abdullah had met him recently ; and

(b) if so, the details of the talks held ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla (a) Yes, Sir.

(b) Sheikh Abdullah said that in accordance with the wishes of the people of Jammu and Kashmir, a solution of the Kashmir issue should be found taking into consideration the interests of both India and Pakistan. Home Minister told him that Jammu and Kashmir was an inseparable part of India, in which Pakistan has no right to interfere. It would help if this reality was borne in mind.

Obscene Literature

5679. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have examined the Azad Lok weeklies published from Agra from the point of view of obscenity ;

(b) whether it is a fact that the Magistrate of Kotah, Rajasthan, had seized some such journals from Chaman News Agency, Kotah ; and

(c) if so, the measures proposed to be adopted by Government to stop the publication of such obscene journals ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidhya Charan Shukla):(a) The Government of Uttar Pradesh, within whose jurisdiction the journal is published, have given instructions to the local authorities to examine each issue of the journal and take legal action against the editor, printer and publisher of the weekly in respect of the issue containing obscene material. The State Government have reported that prosecution against the editor of the journal is pending in the court in sixteen cases.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) All the State Governments and Union Territories' Administrations have again been requested to take effective steps to put a check on the production, sale and circulation of all obscene publications. A Private Member's Bill, called the "Indian Penal Code (Amendment) Bill, 1967," which seeks to strengthen the existing provisions of I. P. C. for dealing with obscene publications and to enable the State Governments to forfeit obscene publications, is under the consideration of the House.

Six Year Scheme on Higher Education in Hindi

5680. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Rajasthan Government have submitted a six year scheme for imparting higher education in Hindi ;

(b) if so, the outlines thereof ; and

(c) the estimates of expenditure involved ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) No such proposal has been received in this Ministry.

(b) and (c). Do not arise.

कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी जांच आयोग

5681. **श्री रमानी :** **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री अब्राहम : **श्री जु० कि० मंडल :**
श्री गणेश घोष :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता ट्रामवे जांच आयोग ने ट्राम कम्पनी के लन्दन कार्यालय को मार्च, 1967 में 9 लाख रुपये और मई में 5 लाख रुपये के पारेषण को संदिग्ध बताया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना पश्चिम बंगाल की सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

व्यापारी नौवहन का विकास

5682. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों द्वारा अपने निजी व्यापारी जहाजों के विकास के सम्बन्ध में भारत तथा अन्य कम विकसित देशों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रायः सभी प्रस्तावों को ब्रिटेन ने अस्वीकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन—2 द्वारा स्थापित की गई नौवहन समेत अनभिलिखित संबंधी समिति में इस संबंध में विकासशील देशों द्वारा किन विशिष्ट कार्यवाहियों का सुझाव दिया गया था और उस समिति का क्या मत था और इस संबंध में की गई चर्चा का क्या परिणाम निकला ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) सं० रा० व्यापार और विकास सम्मेलन की चौथी समिति में विकासशील देशों के राष्ट्रीय जहाजी विकास के प्रश्न पर विचार किया गया था । यू० के० के प्रतिनिधियों ने अन्य कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ भारत के इस सुझाव को, जिसको कई विकासशील राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने दोहराया, कि विकासशील देशों द्वारा नये और पुराने जहाज खरीदने के लिये वाणिज्यिक उधार-सुविधाओं को उदार बनाया जाय, नहीं माना । यू० के० के प्रतिनिधि के विचार से वाणिज्यिक उधार बाजार की दशाओं

द्वारा विनियमित होता है और इस संबंध में दी गयी रिआयतें लेन-देन को उधार की शर्तों को उचित समझी जाने वाली हद से आगे धकेलकर जटिल बना सकती है ।

(ख) इस विषय में विकासशील देशों के विचार द्वितीय सं० रा० व्या० और वि० सम्मेलन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रस्ताव में समाविष्ट है जिसका संबद्ध अंश नीचे दिया जा रहा है :

सम्मेलन

सं० रा० व्या० और वि० स० के विकसित देशों के सदस्य राज्यों की सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के मार्फत आमंत्रित करता है कि विकासशील देशों के इस अनुरोध को कि विकासशील संबंधित देशों का विकास योजनाओं या नीतियों के ढांचे के अंतर्गत राष्ट्रीय व्यापारिक बेड़े की स्थापना या विस्तार के लिए सहायता दी जाय, पर बारीकी और सहानुभूति से विचार करें ।

सं० रा० व्या० और वि० सम्मेलन के सदस्य राज्यों के विकसित देशों की सरकारों और विशेषतौर पर समुद्री राष्ट्रों को आमंत्रित करता है कि वे विकासशील देशों द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करें और जहाजी समिति के अगले नियमित अधिवेशन में इसके परिणाम बतावें :

(1) (क) नये जहाजों को विकासशील देशों को स्थगित भुगतान की शर्तों पर बेचा जाये जिसमें जहाज के प्राप्त होने के बाद 10 वर्ष में पुनर्भुगतान किया जाय जिसमें उचित अनुग्रह अवधि हो और ब्याज दर कम हो;

(ख) विकासशील देशों को 8 वर्ष तक की अवधि तक के स्थगित भुगतान शर्तों पर उचित पुराने जहाज बेचे जायें; और

(ग) (1) विकासशील देशों द्वारा खरीदे गये नये और पुराने दोनों प्रकार के जहाजों के स्थगित भुगतान के लिए पर्याप्त बचाव के रूप में विकासशील देशों के राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा दी गयी गारंटी स्वीकार की जानी चाहिए; और

(2) स्थगित भुगतान की शर्तों पर विकासशील देशों के हाथ पुराने जहाज बेचने के लिए वित्तीय सहायता के प्रबन्ध किये जाने चाहिए ।

(3) विकासशील देशों में पोत निर्माण उद्योगों को, जिनमें इन उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का निर्यात भी शामिल है, प्रोत्साहन देने के लिए विकसित देशों की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों को वित्तीय सहायता देनी चाहिए ।

साम्प्रदायिक दंगे

5683. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने सभी दलों के संसद् सदस्यों के एक शिष्ट-मण्डल से भेंट की थी

और उनसे इस संबंध में बातचीत की थी कि देश में साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जाये; और

(ख) यदि हां, तो शिष्ट-मण्डल में किस-किस दल के सदस्य थे, इस सम्बन्ध में क्या विशिष्ट सुझाव दिये गये थे; और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ संसद् सदस्य जिनमें कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, सी०पी०एम०, संयुक्त सोशियलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशियलिस्ट पार्टी तथा निर्दलीय भी शामिल हैं, 17 फरवरी, 1968 को प्रधानमंत्री को मिले। उन्होंने हाल में देश में जो एक साम्प्रदायिक झगड़ों की लहर सी चली थी उस पर चिन्ता व्यक्त की और इस अव्यवस्था को रोकने के लिये सरकार को दृढ़ कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में दृढ़ कार्यवाही करने के लिये सम्बन्धित प्राधिकारियों को उत्तरदायी बनाया जाय और सरकार को विरोधी दलों का सहयोग प्राप्त कर इन साम्प्रदायिक झगड़ों को दबाने के लिये उपाय खोजने चाहिए।

प्रधान मंत्री ने भी इस विषय पर अपनी चिन्ता व्यक्त की और कहा कि सरकार ने राज्य प्राधिकारियों को साम्प्रदायिक झगड़ों के सभी मामलों में दृढ़तापूर्वक कदम उठाने के लिए परामर्श दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता परिषद् को फिर से सक्रिय बनाने के लिए जो कदम पहले ही उठाए गये हैं उनका भी वर्णन किया जिसमें कई राजनीतिक दलों तथा अन्य महत्वपूर्ण बातों का प्रतिनिधित्व होगा।

एयरलाइनों के लिये अधिक विमान

5684. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इण्डिया डगलस डी० सी० 9 तथा बोइंग 737 जैसे अधिक विमान लेकर अपने विमान बेड़े को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यदि इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किये गये हैं, तो क्या;

(ग) इन योजनाओं पर अनुमानतः कितना व्यय होगा; और

(घ) 1968-69 में इन निगमों के विमान बेड़ों को बढ़ाने के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). **एयर इण्डिया** : एयर इंडिया ने 7.69 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक बोइंग 707-320 सी विमान का पहले ही क्रय आदेश दे दिया है। वे इस समय 48.20 करोड़ रुपये की अनुमानित

लागत से दो बोइंग 747 (जम्बो जेट) विमान खरीदने के लिए ऋण के बारे में बातचीत कर रहे हैं। 1968-69 के दौरान, इनके लिए प्रत्याशित व्यवस्था 7.55 करोड़ रुपया है।

इण्डियन एयरलाइन्स : और अधिक धारिता के विमानों की खरीद के प्रश्न की कारपोरेशन द्वारा जांज की जा रही है। 1968-69 के दौरान इसके लिए प्रत्याशित व्यवस्था 0.90 करोड़ रुपया है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

5685. **श्री क० लकप्पा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग के प्रतिवेदन तथा उन पर प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में विवरण समय-समय पर सरकार को मिलते रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना के पश्चात् क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने 1964-65, 1965-66 और 1966-67 वर्षों के लिये तीन वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं जो संसद् के सम्मुख रख दी गई हैं। आयोग भ्रष्टाचार के मामलों को निपटाने और भ्रष्टाचार को रोकने में उपयोगी सिद्ध हुआ है।

उत्तरी भारत के राज्यों में दक्षिण भारत के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार

5686. **श्री क० लकप्पा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत के राज्यों में काम कर रहे सभी श्रेणियों के दक्षिण भारत के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार की कोई शिकायतें सरकार के ध्यान में आई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश-उड़ीसा सीमा पर "नक्सलबाड़ी"

5687. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वामपंथी साम्यवादी उड़ीसा-आन्ध्र प्रदेश सीमा पर "नक्सल-बाड़ी" जैसी स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा की सरकारों ने सूचित किया है कि साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के कुछ तत्व अभी हाल में उड़ीसा की सीमा पर स्थित श्रीकाकुलम जिले ऐजेन्सी में तथा आन्ध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित गंजम के भागों में गिरिजनों को लूट जैसे अवैध कार्य करने के लिये उकसा रहे हैं।

(ग) इस क्षेत्र में विधि तथा व्यवस्था बनाए रखने तथा गैर-कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिये आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा की सरकारों ने पर्याप्त प्रबन्ध किये हैं। इसके साथ ही गिरिजनों की वास्तविक आर्थिक शिकायतों को दूर करने तथा उनके भूमि सम्बन्धी झगड़ों को निपटाने के लिये भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नादिया जिले में जलूसों पर रोक

5688. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णनगर, चेलसार, नवद्वीप, शान्तिपुर और रानाघाट कस्बों में कल्याणी नदी के निकट 27 फरवरी, 1968 को पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के फलस्वरूप, जिसमें कुछ विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई थी तथा कुछ घायल हो गये थे, जलूसों तथा जलसों पर रोक लगा दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 27 फरवरी, 1968 को कृष्णनगर, नवद्वीप, रानाघाट, शान्तिपुर तथा चकदाहा के नगरों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन आदेश प्रख्यापित किये गये थे ताकि हरिघंट पुलिस थाने के जगुली नामक स्थान पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के परिणामस्वरूप नादिया जिले के अन्य क्षेत्रों में तनाव फैलने को रोका जा सके। तनाव कम होने पर 29 फरवरी, 1968 को ये आदेश वापस ले लिये थे।

राष्ट्रीय धातुकार्मिक प्रयोगशाला कर्मचारी संस्था

5689. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय धातुकार्मिक प्रयोगशाला कर्मचारी संस्था, जमशेदपुर ने, जो एक पंजीबद्ध संस्था है, अगस्त 1967 में राष्ट्रीय धातुकार्मिक प्रयोगशाला के प्रभारी वैज्ञानिक (साइंटिस्ट-इन-चार्ज) को एक मांग-पत्र पेश किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां।

(ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान नहीं की गई है क्योंकि यह, कर्मचारी संघों की मान्यता के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप नहीं है। तथापि, व्यक्तिगत मामलों की, जब भी तथा जिस किसी भी व्यक्ति द्वारा वे सामने लाए जाते हैं, जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

पार्श्ववर्ती सड़क परियोजना

5690. **श्री भोगेन्द्र झा:** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री 23 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1680 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित सड़कों के निर्माण के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है और उनको कब तक पूरा हो जाने की आशा है :

(1) बरेली से सिलीगुड़ी तक पार्श्ववर्ती सड़क ;

(2) मुजफ्फरपुर से दरभंगा तक सम्पर्क सड़क ; और

(3) लागौली से बेतिया तक सम्पर्क सड़क ;

(ख) क्या सरकार ने मुजफ्फरपुर दरभंगा-सम्पर्क सड़क का कोसी बांध तक बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में विचार किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जैसा लिखित प्रश्न संख्या 1680, दिनांक 23 फरवरी, 1968 के उत्तर में कहा, जा चुका है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण इन सब सड़कों का निर्माण-कार्य बीमा कर दिया गया है। कार्यों का पूर्ण होना धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

(ख) और (ग). जैसी इस समय स्वीकृति है, पार्श्व सड़क परियोजना में मुजफ्फरपुर-दरभंगा लिंक मार्ग को आगे अर्थात् कोसी बांध तक विस्तृत किये जाने की व्यवस्था नहीं है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस परियोजना पर आगे कार्य के क्षेत्र को सीमित कर देने का निश्चय किया गया है। अतएव इस अतिरिक्त कार्य को हाथ में लेने का न तो प्रश्न ही उठता है और न इस पर विचार ही किया गया।

पालम हवाई अड्डे पर गणमान्य व्यक्तियों का कक्ष

5691. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम हवाई अड्डे का गणमान्य व्यक्तियों का कक्ष अब भी अपूर्ण है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हवाई अड्डे के संचालन के लिये धन की व्यवस्था करते समय व्यय में बचत के उपाय नहीं किये जा रहे हैं और गणमान्य व्यक्तियों के कक्ष तथा खंड की सजावट बहुमूल्य वस्तुओं से करके धन पानी की तरह बहाया जा रहा है, जैसे उनके कर्मचारियों के लिये आरक्षित शयन कक्षों की दीवारों पर कच्चे रेशम के पैनल लगाना और कच्चे रेशम के पर्दे तथा कालीन और सोफों की व्यवस्था करना जिसके कारण सरकारी खर्चे का आवश्यक स्तर बनाये रखने पर भारी व्यय करना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पालम हवाई अड्डे पर मुख्य इमारत में परिवर्तन एवं परिवर्धन किये जाने तक आरक्षित कक्ष को, जिसे सामान्यतया 'वी० आई० पी० लौंज' कहा जाता है दूसरे ब्लाक में स्थानांतरित कर दिया गया। परिवर्तन व परिवर्धन कार्य पूरा हो जाने पर यह कक्ष फिर मुख्य इमारत में ले आया जायगा।

(ख) और (ग). संभवतया यह संकेत उस औपचारिक कक्ष (सेरेमोनिअल लौंज) की ओर है जो मुख्यतया विदेशी गणमान्य व्यक्तियों (डिग्नीटरीज) के लिये अभिप्रेत है। यह लौंज तथा कुछ शयन-कक्ष फिजूल खर्च न करते हुए सुरुचिपूर्ण ढंग से भारतीय कला पद्धति से सज्जित एवं अलंकृत किये गये हैं। कच्चे रेशम तथा अन्य भारतीय कपड़ों का प्रयोग विदेशी पर्यटकों के स्वागत के लिये भारतीय परिवेश का आयोजन करने की दृष्टि से किया गया है तथा इनकी बड़ी सराहना हुई है।

विदेश भेजे गए इन्जीनियर

5692. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 10 वर्षों में विभिन्न इंजीनियरी संस्थाओं से उच्चतर अध्ययन के लिये कितने-कितने इंजीनियर विदेश भेजे गये ;

(ख) इन इंजीनियरों के क्या नाम हैं जो अब तक लौट कर नहीं आये तथा उनके अध्ययन पर सरकारी कोष से पृथक-पृथक कितनी राशि कम की गई ; और

(ग) उनके विदेशों में रहने के प्रत्येक मामले में क्या-क्या कारण हैं तथा उन्हें वापस बुलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (डा०त्रिगुण सेन) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है। इस जानकारी को पूरा करने के लिये देश की अनेक संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करने जरूरी होंगे। इससे संबंधित काम काफी है और इसमें निश्चय ही कुछ समय लगेगा। माननीय सदस्य विचार करें कि क्या तत्संबंधी जानकारी के लिये यह अध्ययन ठीक होगा, जबकि इसके लिये बहुत प्रयत्न करने होंगे और सरकारी कोष से व्यय भी बहुत होगा।

इंस्टीट्यूट आफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च का सर्वेक्षण संबंधी प्रतिवेदन

5693. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्टीट्यूट आफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च द्वारा भारत और विदेश में भारतीय औद्योगिक संस्थाओं के स्नातकों के बारे में किया गया सर्वेक्षण संबंधी प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् । रिपोर्ट की प्रतियां लोक-सभा पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

Text Books and Admission to Schools in U. P.

5694. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaint in regard to the irregularities being committed in the publication of text-books and in the matter of admission of boys to schools in Uttar Pradesh ; and

(b) if so, whether any procedure, based on merit and impartiality, has been laid down by Government to check such irregularities?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b). Information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House when received.

Enquiry into Corruption cases in U. P.

5695, **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Governor of U. P. had promulgated an ordinance, in October, 1967 under which cases of corruption against some high officials could be looked into ;

(b) if so, the persons against whom inquiries can be instituted under the Ordinance ;

(c) the district-wise number of persons against whom inquiries have been instituted so far ; and

(d) the number of persons found guilty and the nature of action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The Governor of U. P. promulgated on October 21, 1967, the U. P. Public Men Inquiries Ordinance, 1967. The Ordinance related to public men and not to officials.

(c) Nil.

(d) Does not arise,

Transfer of Senior Assistants in U. P. Collectorate and Commissioners' Offices

5696. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the district-wise number of such Senior Assistants in collectorate and Offices of Commissioners in Uttar Pradesh who have been continuing in the same place for more than five years ;

(b) whether the Government of Uttar Pradesh have issued any orders under which senior Assistants would not be allowed to serve at a place for more than five years ; and

(c) if so, the details about the transfer made district-wise under this order ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The information is being collected from the State Government and it would be laid on the Table of the House.

विज्ञान की प्रतिभा वाले व्यक्तियों की खोज के लिए परीक्षा

5697. **श्री ब० ना० कुरील :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विज्ञान की प्रतिभा वाले व्यक्तियों की खोज के लिये प्रतिवर्ष परीक्षा लेती है ;

(ख) यदि हां, तो इस परीक्षा में वर्ष 1968 में बैठे विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी और कितने विद्यार्थियों को चुना जाना है ;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये कुछ स्थान आरक्षित हैं ; और

(घ) चुने गये अभ्यार्थियों को क्या सुविधाएं दी जाती हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां। परीक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा ली जाती है।

(ख) क्रमश: 7689 और 350.

(ग) जी नहीं।

(घ) (i) बी० एस-सी० डिग्री पाठ्यक्रम के लिए 100 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति और 100 रुपये वार्षिक पुस्तकों के लिए।

(ii) एम० एस-सी० पाठ्यक्रम के लिए 250 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति और 250 रुपये मासिक पुस्तकों के लिए।

(iii) पी० एच० डी० डिग्री के लिए 350 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति और 500 रुपये वार्षिक पुस्तकों के लिए।

इसके अतिरिक्त सभी स्तरों पर ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति अर्थात् बी० एस-सी० स्तर पर 15 रुपये मासिक, एम० एस-सी० स्तर पर 18 रुपये मासिक और पी० एच० डी० स्तर पर 20 रुपये मासिक दिये जाते हैं।

Directorate of Vigilance, Uttar Pradesh

5698. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of cases against the gazetted and the non-gozetted officers, which have been investigated by the Directorate of Vigilance, Uttar Pradesh, during the period from the 3rd April to 31st December, 1967 ;

(b) the names and designation of officers, among them, who were found guilty ;

(c) the action taken against them by Government ; and

(d) the number of officers among them, who retired on attaining 55 years of age ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). 299 cases were taken up for investigation during the period from 3rd April to 31st December, 1967. Action has been taken in 41 cases in the following manner :—

Exonerated :	..	3 cases
Departmental action initiated	..	20 cases
Board of enquiry ordered	..	1 case
Resignation accepted	..	1 case
Sent to High Court for necessary action	..	1 case
Referred to U. P. Administrative Tribunal for further enquiry	..	8 cases
Cases still under consideration.	..	7 cases

Besides these, in 12 other cases no action was taken as the persons concerned had either retired or their services were terminated for other administrative reasons.

चण्डीगढ़ सलाहकार समिति

5700. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चण्डीगढ़ सलाहकार समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और उसके कृत्य क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

1. गृह-मंत्री से सम्बद्ध चण्डीगढ़ संघ राज्य-क्षेत्र की सलाहकार समिति के सदस्य निम्नलिखित रूप से होंगे :

(i) चण्डीगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संसद् सदस्य ।

(ii) चण्डीगढ़ के मुख्यायुक्त ।

(iii) पंजाब विश्वविद्यालय के उप-कुलपति ।

(iv) श्री लच्छमन सिंह ।

(v) श्री सूरज मल ।

2 **कृत्य** : सलाहकार समिति से निम्नलिखित विषयों में परामर्श लिया जाएगा :

(i) राज्य-क्षेत्र में इस क्षेत्र की प्रशासन-संबंधी नीति का सामान्य प्रश्न ।

(ii) किसी राज्य अधिनियमों का इस क्षेत्र के लिए विस्तार करने के प्रस्ताव समेत, राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर इस क्षेत्र से संबंधित सभी वैधानिक प्रस्ताव ।

(iii) संघ के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित ऐसे मामले जो इस क्षेत्र से संबंध रखते हैं तथा ऐसे अन्य वित्तीय प्रश्न जिनका राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नियमों में उल्लेख हो ।

(iv) कोई अन्य मामला जहां गृह-मंत्री यह आवश्यक अथवा वांछनीय समझें कि उस पर सलाहाकार समिति से परामर्श किया जाय।

टिप्पणी :- सलाहकार समिति में चण्डीगढ़ से दो और गैर-सरकारी सदस्यों को नामित करने का सुझाव है ।

पंजाब और हरियाणा में योग्यता-छात्रवृत्तियां

5701. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य के पुनर्गठन से पूर्व पंजाब राज्य को सरकार द्वारा कितनी योग्यता छात्रवृत्तियां दी जा रहीं थीं ; और

(ख) पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ संघ क्षेत्र में इन छात्रवृत्तियों का किस प्रकार वितरण किया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अधीन 1966-67 के दौरान पंजाब राज्य को 377 और हिमाचल प्रदेश को 28 छात्रवृत्तियां आवंटित की गई थीं ।

(ख) छात्रवृत्तियां, राज्यों/संघीय क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से दी जाती हैं । किन्तु किसी राज्य में स्कूल लीविंग और प्रथम डिग्री की शिक्षा की विभिन्न मुख्य धाराओं पर ध्यान दिया जाता है और तदनुसार छात्रवृत्तियों की वास्तविक संख्या, छात्रवृत्ति के वर्ष से पहले वर्ष में आयोजित संबंधित परीक्षाओं में बैठे विद्यार्थियों की संख्या पर निर्भर करती है । उपर्युक्त सिद्धान्त के आधार पर 1967-68 के लिये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और

चण्डीगढ़ को निम्नलिखित छात्रवृत्तियां आवंटित की गई :

निम्नलिखित परीक्षाओं के आधार पर दी जाने वाली छात्रवृत्तियों का अनुपात :

राज्य संघीय क्षेत्र का नाम	**स्कूल लीविंग परीक्षा**	**प्रथम डिग्री परीक्षा**
पंजाब	125	63
हरियाणा	85	55
हिमाचल प्रदेश	32	15
चण्डीगढ़	8	23

Find of Ancient Coins in Madhya Pradesh

5702. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some ancient coins were recovered from a house in Garoth Tehsil of Mandsaur district of Madhya Pradesh ; and

(d) if so, the period to which they relate ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) (a) and (b). Government have no information and are making enquiries from the State Government.

Scholarships to Students belonging to Scheduled Castes and Low Income Group

5703. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that scholarships for the first year students belonging to the Scheduled Castes and low-income group have not been granted in the Polytechnics in Delhi during 1968 :

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the number of the said students of the first year who applied for scholarships in all the three Polytehnics in Delhi in 1967 ; and

(d) the rule laid down in this regard ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) 18 students belonging to Scheduled Castes and 40 students belonging to low-income group applied for scholarships in 1967.

(d) (i) All students belonging to Scheduled Castes whose parents/guardians total annual income does not exceed Rs. 6,000/- per annum are eligible for scholarships. (ii) Scholarships for low income group students are awarded on the basis of the total annual income from all sources of the parents/guardians of the applicant. For this purpose, the applicants will be divided into two slabs, one for incomes upto Rs. 1,500/- per annum and the other for incomes over Rs. 1,500/- but not exceeding Rs. 2,400/- per annum. The students from the first slab will be considered first for the grant of scholarships, and if any amount is left over from the allotted funds, students from the second slab may be considered. Scholarships to eligible students in

the first slab will be awarded on the basis that a student whose parents/guardians income is less, gets precedence over the students whose parents/guardians income is more. In the slab of Rs. 1,501-2,400/- merit test may be applied.

आधुनिक होटल

5704. **श्री मधु लिमये** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री आधुनिक होटलों के बारे में 6 दिसम्बर, 1967 के आतारांकित प्रश्न संख्या 3255-घ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इण्डियन होटल्स लिमिटेड (टाटाज) और अमरीका की इन्टरकोन्टि-नेन्टल होटल्स कारपोरेशन (आइ० एच० सी०) के बीच हुए करार के अनुसार उनके विकास, आरक्षण तथा अन्य तकनीकी सहायता प्रभारों के लिये टाटाओं द्वारा और कितनी राशि दी गई ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): इंडियन होटेल्स कम्पनी लिमिटेड (टाटाज) और यू० एस० ए० के इन्टरकॉन्टिनेन्टिल होटेल्स कारपोरेशन (आई० एच० सी०) के बीच सहयोग सम्बन्धी करार के अनुसार यू० एस० ए० के इन्टरकॉन्टिनेन्टिल होटेल्स कारपोरेशन को प्रारम्भिक सर्वेक्षण के लिए 20,000 डालर, और तकनीकी सेवाओं के लिए 170,000 डालर दिया जायगा। प्रायोजना पूरी हो जाने पर आई० एच० सी० को करार की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष, होटल आवास को बढ़ावा देने तथा उसकी बिक्री एवं बुकिंग आरक्षण सुविधाओं के लिए होटल चलाने से हुई वार्षिक कुल आय के 3% के बराबर राशि दी जायेगी।

विमान यात्रा के लिए निःशुल्क पास

5705. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के किसी श्रेणी के कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को विमानों में यात्रा करने के लिये निःशुल्क पास दिये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे निःशुल्क पास जारी करने के नियम क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दो कारपोरेशनों के कर्मचारियों को मुफ्त पास देने की योजना की मुख्य-मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :

(1) एक कर्मचारी को एक वर्ष के दौरान दिये जा सकने वाले मुफ्त टिकटों (फ्री पैसेजेज) की अधिकतम संख्या दो है।

(2) ये टिकट कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को भी हस्तान्तरित किये जा सकते हैं। एयर इन्डिया के मामले में परिवार का तात्पर्य पति अथवा पत्नी, बच्चों और पूर्णतया आश्रित माता-पिता एवं ऐसे अन्य संबंधियों से है जिन्हें महाप्रबंधक प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में अनुकम्पामूलक दृष्टिकोण से शामिल करना चाहे। इन्डियन एयरलाइन्स के मामले में परिवार का

तात्पर्य कर्मचारी का पति अथवा पत्नी, आश्रित बच्चों और आश्रित माता-पिता से है।

(3) इन टिकटों को अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता।

(4) इन टिकटों को विमान में ऐसे सभी यात्रियों को जिनसे आय प्राप्त होती है, स्थान मिलने के बाद भार व धारिता उपलब्ध रहने की शर्त पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है।

(5) ये टिकट कारपोरेशन द्वारा परिचालित मार्गों और सेवाओं पर ही चल सकते हैं।

पर्यटकों की रुचि के स्थानों का विकास

5706. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक वर्ष 1967 में पर्यटकों की अभिरुचि के स्थानों का विकास करने पर सरकार ने कुल कितना धन व्यय किया ; और

(ख) उसका मोटा ब्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1967-68 के वित्तीय वर्ष के दौरान, जोकि अधिकांशतौर पर 1967 के पर्यटन वर्ष के समवर्ती रूप से चला है, पर्यटक रुचि के स्थानों के विकास के बारे में स्कीमों पर 28.92 लाख रुपये का खर्च संभावित है।

(ख) इस व्यय का मोटा-मोटा ब्योरा देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-662/68]

राष्ट्रीय ध्वज को जलाये जाने की घटना

5707. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भाषा आन्दोलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को जलाने के कितने मामलों में पुलिस द्वारा अभियोग चलाया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है।

राजनैतिक दलों के छापेखाने

5708. **श्री समर गुह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राजनैतिक दलों के किन-किन छापेखानों में भारत स्थित विदेशी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों की पत्रिकायें, साप्ताहिक समाचार-पत्र समीक्षायें, रिपोर्ट्स तथा अन्य सामग्री छपती है ;

(ख) इन विदेशी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों की सामग्री छापने से इन छापेखानों को प्रतिवर्ष कितनी आय होती है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारत के राजनैतिक दल अथवा दलों और भारत स्थित विदेशी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के बीच इस प्रकार के वित्तीय सहयोग को रोकने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

Tamil Conference

5709. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2442 on the 1st March, 1968 and state :

(a) whether it is a fact that the Madras Government had entered into direct correspondence with foreign Governments and individuals for inviting representatives from foreign countries to the International Tamil Conference held in January, 1968 :

(b) if so, Governments reaction thereto ;

(c) whether Government would allow and extend necessary facilities for convening a World Conference on other regional languages by any other State Government ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b). The information has been called for from the Madras Government and will be laid on the Table of the Houre in due course.

(c) Yes, Sir.

(d) Does not arise.

Service Records of Class IV Employees

5710. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether bilingual Hindi-English forms and registers have been printed for the maintenance of service records of Class IV employees ;

(b) whether these forms have also been supplied to the various Ministries ;

(c) if so, whether his Ministry has permitted various Ministries to maintain service records of Class IV employees in Hindi ; and

(d) whether any Office Memorandum has also been issued on the subject and if not, when it will be issued ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : Not as yet, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) , Executive instructions for the implementation of the provisions of the Official Languages Act, as amended will be issued shortly.

पर्यटक यातायात

5711. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह देखने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है कि आगामी दो वर्षों में देश में पर्यटन यातायात कितना होगा ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इस बारे में भी कोई अनुमान लगाया गया है कि इस समय आवास-स्थान कितना है तथा आगामी दो वर्षों में कितना आवास स्थान उपलब्ध हो जायगा और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) क्या होटलों का कोई वर्गीकरण किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) . यद्यपि आगामी दो वर्षों में देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या मालूम करने के लिए अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, पिछले वर्षों में देश में आये पर्यटकों के आंकड़ों पर आधारित अनुमानों के मुताबिक 1968 में कम से कम 2,00,000 पर्यटक और 1969 में 2,30,000 पर्यटक भारत आयेंगे ।

(ग) इस समय देश में 221 होटल, जिनमें कुल 16,426 शय्याएं हैं, ऐसे हैं जिनका अनुमोदन एक स्टार या इससे ऊंचे अन्तर्राष्ट्रीय अंकन (रेटिंग) के लिये योग्य के रूप में किया है। इनमें से 3,4 और 5 स्टार वर्ग के होटलों में जो कि विदेशी पर्यटकों के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं, कुल लगभग 7000 शय्याएं हैं । आगामी दो वर्षों के अन्दर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के अन्तर्गत आयोजित या निर्माणाधीन प्रायोजनाओं से 2,700 शय्याओं की और वृद्धि होने की आशा है । मार्च, 1974 के अन्त तक पर्यटन केन्द्रों पर आवास की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण सरकार द्वारा स्थापित एक समिति द्वारा किया जा रहा है, और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने का हर प्रयत्न किया जायेगा जिनसे कि जहां कहीं आवास की कमी हो उसे निश्चित रूप से पूरा किया जा सके।

(घ) जी, हां । सरकार द्वारा स्थापित होटल वर्गीकरण समिति ने जिसने अपनी रिपोर्ट 1963 में प्रस्तुत की, अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत स्टार प्रणाली के अनुसार 186 होटलों का वर्गीकरण किया जोकि निम्न प्रकार हैं । इसमें 5 स्टार वर्ग के लक्जरी होटलों से लेकर एक स्टार वर्ग के होटल आ जाते हैं जोकि पर्याप्त स्तर का आराम और स्वच्छता प्रस्तुत करते हैं :

वर्ग	होटलों की संख्या
पांच स्टार होटल	7
चार स्टार होटल	12
तीन स्टार होटल	26
दो स्टार होटल	71
एक स्टार होटल	70

सरकार ने पिटली होटल वर्गीकरण समिति द्वारा किये गये होटलों के वर्गीकरण का पुनरालोकन करने और ऐसे होटलों का वर्गीकरण करने के लिए जोकि तब से अब तक स्थापित किये गये हैं, हाल में एक नयी समिति नियुक्त की है।

इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा बैटरियों का आयात

5712. **श्री भगवान दास :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री गणेश घोष :
श्री वि० कु० मोडक:
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने विदेशों से कितनी बैटरियां (केरावेल विमान के प्रयोग के लिए आवश्यक बैटरियों समेत) आयात की थीं ;

(ख) ये बैटरियां औसतन कितनी देर तक चलती हैं और उनकी कीमत कितनी हैं ;

(ग) जब वे बैटरियां चलनी बन्द हो जाती हैं तो उनका क्या उपयोग किया जाता है ;

(घ) क्या उन्हें फिर से चालू करने का कोई तरीका निकाला गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) . 1-1-1965 से 31-12-1967 तक आयात की गयी बैटरियों/सैलों की संख्या निम्न प्रकार से है :

प्रकार	मात्रा	कीमत (रुपये)
गूल्ड बैटरियां डी 88	25	5,436
साफ्ट बैटरियां	8	13,959.52
साफ्ट सैल	20	2,882.40
डैगेनाइट ई० डी० सी०/आर० बैटरियां	50	25,663.94
ई० डी० सी०/आर० सैल	300	1,73,591.00

विमान बैटरी के लिये कोई निश्चित पूर्व निर्धारित जीवनकाल नहीं होता। बैटरी की कार्योपयोगिता इसकी निर्दिष्ट अंतरों पर क्षमता परीक्षा करके निर्धारित की जाती है।

(ग) जब गूल्ड और डैगेनाइट बैटरियां विमानों में उपयोग के स्तर से नीचे पाई जाती हैं तो उनका भूमि पर उपयोग किया जाता है। और जब वे भूमि उपस्कर के रूप में प्रयोग के लिये भी उपयुक्त नहीं पाई जातीं तो उन्हें रद्दी के तौर पर बेच दिया जाता है।

साफ्ट बैटरियां जिनका कारवेल विमानों में उपयोग किया जाता है पूर्णरूप से रद्द नहीं

कर दी जातीं, अपितु उनके अलग-अलग सैलों के स्थान पर जब वे निर्धारित स्तर से नीचे गिर जाते हैं नये सैल लगा दिये जाते हैं।

(घ) और (ङ). इस्तेमाल की हुई पुनर्निर्मित बैटरियों का विमानों पर उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि बैटरी के फेल हो जाने से सारी बिजली फेल हो सकती है और उससे विमानों की सुरक्षा तथा यात्रियों व कर्मीदल के जीवन को खतरा हो सकता है। इन पुनर्निर्मित बैटरियों के भूमि उपस्कर में प्रयोग के लिये परीक्षण किये गये परन्तु उनका कार्य बड़ा असंतोष-जनक पाया गया है।

हिन्दी अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण कालेज

5713. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में हिन्दी शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण कालेज अब तक स्थापित नहीं किये गये हैं ;

(ख) उनको न खोलने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन कालेजों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अध्यापन अर्हताएं मिलने पर हिन्दी शिक्षकों को पूर्णकालिक रोजगार मिल जाता है ; और

(घ) क्या इन कालेजों में ऐसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जिससे कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षक हिन्दी अध्यापन में सक्षमता के अतिरिक्त अन्य विषयों के अध्यापन की भी अर्हताएं प्राप्त कर सकें ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) हिन्दी शिक्षकों के प्रशिक्षण कालेज जम्मू व काश्मीर, पंजाब और नागालैण्ड के अहिन्दी भाषी राज्यों में स्थापित नहीं किये गये हैं।

(ख) हिन्दी शिक्षकों के प्रशिक्षण कालेज स्थापित करने के लिये अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रचारार्थ केन्द्रीय सरकार की योजनाओं में से एक के अन्तर्गत पांच वर्ष की अवधि के लिए शत प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना से लाभ उठाने में नागा-लैण्ड ने कोई रुचि नहीं ली है। इस योजना की सुविधा से लाभ न लेने के लिये जम्मू व काश्मीर तथा पंजाब ने निम्नलिखित कारण दिये हैं :

जम्मू व काश्मीर : राज्य सरकार का विचार है कि मौजूदा प्रशिक्षण कालेजों में हिन्दी पढ़ाने के लिये मौजूदा उर्दू शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाये। राज्य सरकार यह जरूरी नहीं समझती है कि इस कार्य के लिए एक अलग कालेज खोला जाये।

पंजाब : राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें केवल हिन्दी अध्यापकों के लिए प्रशि-क्षण पाठ्यक्रमों की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी विद्यार्थियों द्वारा तथा सभी जूनियर बेसिक प्रशि-क्षण प्राप्त अध्यापकों द्वारा हिन्दी और पंजाबी का अध्ययन किया जाता है।

(ग) रोजगार के अवसर भिन्न-भिन्न राज्यों में अलग-अलग हैं, कुछ राज्यों में रोजगार अंशकालिक है।

(घ) ऐसे कालेजों में दी गयी सुविधाएं केवल हिन्दी अध्यापन के प्रशिक्षण के लिये सीमित हैं।

Agricultural Engineering Colleges

5714. **Shri Deorao Patil:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the names of the States where Agricultural Engineering Colleges and Colleges for Home Science were opened during 1967-68 and are proposed to be opened during 1968-69; and

(b) the details of the proposal?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) and (b). As far as is known to the Government of India, only one Agricultural Engineering College was started at Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur, Madhya Pradesh during 1967-68. No proposal for starting an Agricultural Engineering College or a Home Science College as a constituent unit of an Agricultural University during 1968-69 has so far been received from any of the States where Agricultural Universities are situated.

As regards Home Science Colleges outside the Agricultural Universities, the matter concerns primarily the State Governments and according to the available information, no such college was established during 1967-68.

Painting of I. A. C. Aircraft

5715. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a firm of Ahmedabad has been given contract for painting aircrafts of the Indian Airlines Corporation; and

(b) if so, the name of the firm and the value of the contract?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) and (b). No, Sir. The Indian Airlines did not give any contract for the painting of its aircraft to any firm. The work is done by the Corporation departmentally, but they took the assistance of the National Design Institute, Ahmedabad in designing the new emblem, logotype and livery for their aircraft. For this the Corporation paid a fee of Rs. 3,000/- to the Institute.

Construction of Main Gate at Palam Airport

5716. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the amount spent on the construction of the main gate at Palam and the names of the firms to whom contract of this work was given?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): Now new main gate has been constructed at Palam airport. However, an estimate for improving the facade on the airfield side to give the airport building a distinctive look and to provide additional facilities for passengers etc. at a total cost of about Rs. 3.5 lakhs has been sanctioned by

Government. The main items of the facade, namely, arches, platform, canopies and the Ashoka emblem are estimated to cost about Rs. 98,000.

The work on this project has not so far been awarded to any firm.

Khosla Commission on Delhi Police

5717. **Shri Nihal Singh:**
Shri Deven Sen:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 746 on the 16th February, 1968 and state:

(a) the date on which the report of the Khosla Commission on pay etc. of police personnel was submitted to Government;

(b) the scales of pay and allowances which were existing before the submission of the report and the scales of pay and allowances recommended by the Commission and the details of the revised scale introduced by Government and the date on which they were introduced; and

(c) the number of members of the Khosla Commission and the expenditure incurred on the Commission?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The interim Report of the Khosla Commission was submitted to Government on 28-4-1967.

(b) Three statements marked 'A', 'B' and 'C' are attached. **[Placed in Library. See No. LT-663/68]**

(c) The number of members of the Commission (including its Chairman) is 3. Upto 22-3-68, a sum of Rs. 2,63,181.85 Paise was spent on the Commission.

Muradnagar-Ravli Road in Meerut District

5719. **Shri Prakash Vir Shastri:** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a portion of Muradnagar-Ravli road in Meerut District of Uttar Pradesh is still incomplete;

(b) whether it is also a fact that the residents of these areas have to experience great inconvenience during the rainy season because of this incomplete road; and

(c) if so, the time by which this portion of the road is proposed to be constructed?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) to (c). The Muradnagar-Ravli Road is a State road and its construction is the concern of the Government of Uttar Pradesh. It is understood that four miles of the road have already been completed as a sugar fatory road. It is also understood that the State Government have no proposal under consideration for the construction of the remaining portion of the road and there has been no representation from the residents of the area concerned about any inconvenience on this account.

मालवाहक जहाजों और तेलास्क जहाजों की खरीद

5720. **श्री श्रीधरण :**

श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आस्थगित भुगतान के आधार पर मालवहक जहाज और तेलवाहक जहाज खरीदने के लिए ब्रिटेन की फर्मों के साथ बातचीत कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का मोटा ब्योरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

National Highway No. 2

5721. **Dr. Surya Prakash Puri :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Highway No. 2 between Palwal and Mathura has been badly in need of repairs for the last several months ; and

(b) if so, the reasons for delay in repairing it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). Certain stretches of the Palwal-Mathura section of National Highway No. 2 in the States of Haryana and Uttar Pradesh were damaged as a result of heavy rains, and consequent floods, during the monsoon of 1967. Repairs required to pass traffic were carried out soon thereafter. Regular repairs have subsequently been carried out to the affected portions of the road in Uttar Pradesh. Similar work on the portions affected in Haryana is in an advanced stage and is expected to be completed soon.

आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ

5722. **श्री नरसिम्हा राव :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ मीलों में कम है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय मुख्य मार्ग की मीलदूरी पांच मिले हुये राज्यों में से दो में अपेक्षया कम है अर्थात् मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में और तीन अन्य मिले हुये राज्यों अर्थात् मैसूर, उड़ीसा और मद्रास की अपेक्षा अधिक है।

(ख) राष्ट्रीय मुख्य मार्गों के रूप में विकसित करने के लिये सड़कों के चुनाव के लिये आधार भूत अभिलक्षण राष्ट्रीय हैं क्षेत्रीय या स्थानीय नहीं। जिन अभिलक्षणों का विचार किया जाता है उनमें से एक या दो निम्न हैं :

(1) वे मुख्य राजपथ होना चाहिए जो देश की लम्बाई चौड़ाई में जाने हों।

(2) वे विदेशी मुख्य-पथों को मिलाने वाले होने चाहिये।

(3) वे राज्यों की राजधानियों को मिलाने वाले हों।

(4) वे बड़े पत्तनों, औद्योगिक, वाणिज्यिक और पर्यटक महत्व के केन्द्रों को मिलाने वाले हों; और

(5) वे देश की सामरिक महत्व की आवश्यकता की पूर्ति करते हों। इसके अतिरिक्त आर्थिक विचारों पर भी जोर दिया जाता है।

विभिन्न राज्यों के मौजूदा राष्ट्रीय मुख्य मार्ग ऊपर निर्देशित विचारों पर चुने गये हैं।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5

5723. **श्री नरसिम्हा राव** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता मद्रास राष्ट्रीय राजपथ सड़क संख्या 5 के द्विमार्ग निर्माण पर कितनी लागत आने का अनुमान है और इसे पूरा करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : राष्ट्रीय मुख्यमार्ग संख्या 5 पर इकहरी गली के गाड़ी मार्ग की 649 मील की शेष लंबाई को दोहरी गली में चौड़ा करने में 11.5 करोड़ रुपये से ऊपर की लागत का अनुमान है।

90 मील की पूरी लंबाई पर 73.80 लाख रुपये की लागत के कार्य प्रगति पर हैं और उनके लगभग दो वर्षों की अवधि में प्रावस्थाओं में पूर्ण होने की आशा है।

राष्ट्रीय मुख्य मार्ग के शेष भाग पर इकहरी गली के गाड़ी मार्ग को दोहरी गली में चौड़ा करने की आवश्यकता की परीक्षा चतुर्थ योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद की जायेगी। उसका प्रारम्भ किया जाना और पूर्ण होना ऐसे कार्यों के लिये उपलब्ध साधनों और आवंटनों पर निर्भर करेगा।

दिल्ली में अपहरण के मामले

5724. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में नई दिल्ली क्षेत्र में लड़कियों और बच्चों के अपहरण के बहुत से मामलों में कोई सुराग नहीं मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी संख्या कितनी है ; और

(ग) कितने मामलों में अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है तथा लड़कियों और बच्चों का पता लगाकर उन्हें उनके संरक्षणों को सौंपा गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-664/68]

दिल्ली में केन्द्रीय स्कूल

5725. **श्री दीवीकन :**
श्री अंबचेजियान :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में दो केन्द्रीय स्कूलों में काम करने की स्थिति बहुत असंतोषजनक है ;

(ख) क्या अध्यापिकाओं को स्कूल में काम करने के घण्टों के बाद प्रायः रोक लिया जाता है ;

(ग) क्या छुट्टियों से पहले तथा बाद में अध्यापिकाओं को निरन्तर कई दिनों तक स्कूलों में उन कार्यों के लिये बुलाया जाता है जो काम आमतौर पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को करने होते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) यद्यपि रामकृष्णपुरम और दिल्ली छावनी, दोनों स्थानों के स्कूलों में सुधार की विशेषरूप से खेल के मैदान की व्यवस्था के संबंध में सुधार की गुंजाइश है, किन्तु स्थिति को असंतोषजनक नहीं कहा जा सकता।

(ख) और (ग). जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तानी और चीनी एजेंट

5726. **श्री दीवीकन :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री अंबचेजियान :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में पाकिस्तानी और चीनी एजेन्ट सक्रिय हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल में कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं और यह पता चला है कि ये लोग राज्य में अशांति तथा बड़बड़ी करने की योजना बना रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी गतिविधियों को दबाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :(क) से (घ). केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें सतर्क हैं और संदेहात्मक व्यक्तियों की गतिविधियों पर तीव्र दृष्टि रखती हैं। कुछ उपद्रवी एजेंटों की कुछ समय तक छिपे रहने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अभी हाल में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

अमरीका में बने बमों का सान्तिपुर में बरामद होना

5727. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस द्वारा सान्तिपुर (नादिया जिला) में एक स्थान से हाल में बरामद किये गये अत्यधिक विस्फोटक बमों की जांच से यह पता चला है कि ये बम अमरीका में बने नकली हथगोले हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो अमरीका में बने हुये ये बम कलकत्ता में कैसे पहुंचे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). गत दिसम्बर में, 2 विस्फोटक जो अमरीकन किस्म के नकली हथगोले बतलाये जाते हैं ; जिनका सामान्यतः सेना में प्रशिक्षण के लिये इस्तेमाल होता है, एक व्यक्ति से बरामद किये गये थे। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।

National Highways in M. P.

5729. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have requested the Central Government to declare Eleven roads in Madhya Pradesh as National Highways ;

(b) if so, the roads to be declared as National Highways ; and

(c) the reasons for not declaring others as National Highways ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The proposals will be considered after the allocations under the new fourth Five-Year Plan commencing from 1.4.1969 have been finalised.

Road and Bridges on Inter-State Importance in M. P.

5730. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have requested the Central Government for funds for the construction of roads and bridges of inter-State importance ;

(b) whether the Central Zonal Council had also sent three proposals to the Central Government in this regard ; and

(c) if so, the action taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The Central Zonal Council did not make any such proposals to the Government of India. Its functions are to consider matters suggested by the State Governments concerned and to make appropriate recommendations for the consideration of the concerned State Governments and the Central Government. In the Central Zone, the solitary road bridge project of inter-State importance recommended by the Council for Central financial assistance relates to the construction of bridges over the Chambal and the Yamuna on the Bhind-Etawah road passing through Madya Pradesh and Uttar Pradesh. Grants-in-aid aggregating Rs. 54·26 lakhs to meet 1/3rd of cost of these two bridges have already been sanctioned by the Government of India and the work is in progress. As regards the proposals sent by the State Government, decision will be taken only after the **New** Fourth Five Year Plan has been finalised.

भारत कनाडा संस्थान

5732. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिये भारत कनाडा संस्थान स्थापित करने के लिये प्रस्ताव को तब तक के लिये स्थगित कर दिया गया है जब तक कि भारत अमरीका शिक्षा प्रतिष्ठान के बारे में कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता ;

(ख) यदि हां, तो इस देश में पी० एल० 480 के अन्तर्गत जमा हुई भारी राशि से स्थापित किये जाने वाले भारत-अमरीका प्रतिष्ठान के बारे में दोनों सरकारों के बीच हुई बातचीत से क्या निर्णय लिया गया है ; और

(ग) इस समय प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग). दोनों प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन हैं ।

जम्मू तथा काश्मीर के लोगों की स्थानीय शिकायतों का संसद् सदस्यों द्वारा स्थल पर अध्ययन

5733. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद् सदस्यों ने ऐसा सुझाव दिया है कि लोगों की कठिनाइयों के प्रति

सहानुभूति और सोच-विचार तथा यथार्थता की भावना उत्पन्न करने की दृष्टि से जम्मू तथा काश्मीर के लोगों की स्थानीय शिकायतों के बारे में संसद् सदस्यों समेत उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा वहां जाकर अध्ययन कराया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). यह मालूम नहीं पड़ता कि ऐसा कोई सुझाव सरकार को प्राप्त हुआ था । वे संसद् सदस्यों से इस सम्बन्ध में सुझावों का स्वागत करेंगे। जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने राज्य के अधीन विकास तथा नियोजन के अवसरों के लाभों का न्यायोचित बंटवारे से सम्बन्धित क्षेत्रीय तथा अन्य शिकायतों पर विस्तृत जांच करने के लिये भारत के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश श्री पी० बी० गजेन्द्रगदकर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया है । आयोग मोटे तौर पर उन कारणों पर भी विचार करेगा जिनसे उत्तेजना तथा तनाव पैदा होते हैं और उपचारिक उपायों की सिफारिश करेगा । आयोग की नियुक्ति राज्य सरकार के दिनांक 6 नवम्बर, 1967 के आदेश द्वारा हुई तथा उसने अपना कार्य आरम्भ भी कर दिया ।

इन्डो-कनाडियन संस्था के लिये नियतन

5734. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शास्त्री इन्डो-कनाडियन संस्था के लिये नियत छः लाख रुपये की राशि का चालू वित्तीय वर्ष में कोई उपयोग नहीं किया गया ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) आगामी वित्तीय वर्ष के लिये कितनी राशि नियत की गई ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्ताव को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है ।

(ग) केवल बजट प्रयोजनों के लिये 10 लाख रुपये की राशि का प्रस्ताव है ।

विदेशों से पुस्तक सहायता

5735. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को विदेशों से पुस्तकों के रूप में कोई सहायता प्राप्त हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) ब्रिटेन और सोवियत रूस की सरकारें कम मूल्यों पर अपने-अपने देशों की कुछ स्तरीय शैक्षिक-कृतियों को भारतीय विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था करती हैं । अमरीका

सरकार छात्रों के लिये अमरीकी लेखकों की चुनींदा कृतियों के कम मूल्य के भारतीय मुद्रित लेखों पर सहायता के रूप में रकम देती है। इनके अतिरिक्त, पुस्तकों के विभिन्न उपहार भी समय-समय पर मिलते रहते हैं।

जासूसी सम्बन्धी कानून

5736. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में भारत में कितने व्यक्तियों अथवा संगठनों को विदेशों के लिये जासूसी करने के सम्बन्ध में कानून के दायरे में लाया गया है ;

(ख) इन व्यक्तियों अथवा संगठनों के नाम क्या हैं और वे किन देशों के लिये जासूसी कर रहे थे ; और

(ग) देश में ऐसी गतिविधियों का उन्मूलन करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्य-वाही करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनकपुर का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

5737. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जनकपुर को भारतीय पर्यटन केन्द्र मानती है ;

(ख) यदि हां, तो वहां पर पर्यटन संबंधी कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान की गई हैं ; और

(ग) सीमावर्ती स्टेशन जयनगर में सरकार द्वारा पर्यटन सम्बन्धी कौन-कौन सी विशिष्ट सुविधायें प्रदान की गई हैं और यदि ऐसी कोई सुविधायें प्रदान नहीं की गई हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). भारत सरकार ने जनकपुर और जयनगर में कोई सुविधायें नहीं प्रदान की हैं।

ट्रक मालिक (उत्तर प्रदेश)

5738. **श्री बलराज मधोक :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों से ट्रकों आदि के टायरों तथा अन्य सामान के मूल्य तेजी से बढ़ रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश के ट्रक मालिकों ने सरकार से अभ्यावेदन किया है कि ट्रकों आदि को रखने की लागत बढ़ जाने की बात को ध्यान में रखते हुये उन पर नये कर नहीं लगाए जाने चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

खान प्रबन्धक परीक्षा

5739. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1967 तक कितने स्नातकों तथा क्षेत्र-छात्रों ने खान प्रबन्धक परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है ;

(ख) भारत में विभिन्न खनन संस्थाओं से प्रति वर्ष कितने स्नातक पास होकर निकलते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार खनन स्नातकों का एक केन्द्रीय पुंज (पूल) बनाने का है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या इतनी अधिक बेकारी को दृष्टि में रखते हुये सरकार का खनन संस्थाओं में प्रवेश संख्या घटाने का विचार है ; और

(ङ) क्या खनन इंजीनियरी स्नातक को अन्य सेवाओं के लिए भी उपयुक्त समझा जाता है और यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) स्नातक ... 1537

क्षेत्री विद्यार्थी ... 821

(1957-67 की अवधि के लिए)

(ख) लगभग 200

(ग) जी, नहीं ।

(घ) दाखिले के लिए संख्या पहले ही, डिग्री पाठ्यक्रमों के लिये 1966 में 290 से घटा कर 1967 में 140 और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये 400 से घटाकर 200 कर दी गई है । कार्यकलाप के इस क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्तियों की भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुये इस प्रश्न की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी ।

(ङ) खनन इंजीनियरी के स्नातक, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए आयोजित प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के जरिए इन्जीनियरी सेवाओं और इन्जीनियरी सेवाओं (इलैक्ट्रौनिक्स) में भर्ती के लिए पात्र हैं । वे आई० ए० एस० तथा अन्य सेवाओं की परीक्षाओं में बैठने के लिए भी पात्र हैं ।

उड़ीसा में सार्वजनिक पुस्तकालय

5740. **श्री श्रीनिवास मिश्र :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में और उसके बाद उड़ीसा में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिये कितना केन्द्रीय अनुदान दिया गया ; और

(ख) क्या कम विकसित राज्यों के मामले में ऐसे अनुदानों की शर्तें उदार बनाने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 1966-67 के दौरान उड़ीसा के सार्वजनिक पुस्तकालयों को 2000 रुपया मंजूर किया गया था। 1967-68 के दौरान कोई अनुदान मंजूर नहीं किया गया है।

(ख) जी नहीं।

आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा कर वसूल किये जाने पर उड़ीसा सरकार की शिकायत

5741. **श्री श्रीनिवास मिश्र :**
श्री स० कुण्डू :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा कोरापुट जिले के तीन गांवों से जबरदस्ती कर वसूल करने तथा उस क्षेत्र में पुलिस स्टेशन बनाने के हाल ही के प्रयास के बारे में उड़ीसा सरकार ने शिकायत की है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्यों पर रोक लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकार के बीच कोटिया ग्राम समूह पर अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर झगड़ा है जो उड़ीसा सरकार के अनुसार कोरापुट जिले का भाग है और आन्ध्र प्रदेश सरकार के अनुसार श्रीकाकुलम जिले का भाग है। दोनों तरफ से शिकायतें हैं कि अन्य राज्य कर आदि वसूल करके उनकी सीमा में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है। एक समय उड़ीसा सरकार ने सूचित भी किया था कि आन्ध्र प्रदेश सरकार कोटिया गांव में पुलिस स्टेशन बनाने की कार्यवाही कर रही है। इस क्षेत्र में किस राज्य का क्षेत्राधिकार हो इस प्रश्न की परीक्षा की जा रही है।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में अन्तर्देशीय जल परिवहन

5742. **श्री रमानी :**
श्री एस्थोस :
श्री प० गोपालन :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में अन्तर्देशीय जल परिवहन का

राष्ट्रीयकरण करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इसका राष्ट्रीयकरण किये जाने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). संभवत: माननीय सदस्य अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूहों में अन्तर्द्वीपीय सेवाओं का सन्दर्भ कर रहे हैं । सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

कार निकोबार से नानकोवरी तक यात्रा

5743. **श्री रमानी** : **श्री नम्बियार** :
श्री प० गोपालन : **श्री अब्राहम** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार निकोबार से नानकोवरी द्वीपसमूह तक यात्रा के लिये एक पृथक पास की आवश्यकता होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दोनों द्वीपसमूहों में एक समान आदिम जाति नियम तथा विनियम लागू हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस पास प्रणाली को समाप्त करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). अन्डमान तथा निकोबार द्वीप (आदिवासी जातियों के संरक्षण) विनियम, 1956 के खण्ड 7 की शर्तों के अनुसार आदिवासी जाति के सदस्य के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति इन द्वीपों के किसी रिजर्व क्षेत्र में उक्त विनियम के अधीन दिये गये वैध पास के बिना प्रवेश नहीं कर सकता । यह पास केवल उसमें विशिष्ट रूप से उल्लिखित क्षेत्र या क्षेत्रों में प्रवेश के लिये वैध है । यदि कोई व्यक्ति जिसे किसी विशेष क्षेत्र में प्रवेश के लिये पास प्राप्त हुआ है, किसी अन्य क्षेत्र में, जिसका उल्लेख उसके पास में नहीं है, प्रवेश करना चाहता है तो उसे इस उद्देश्य के लिए अन्य पास प्राप्त करना पड़ेगा ।

(ग) और (घ). चूंकि यह प्रतिबन्ध आदिम जातियों के हितों की रक्षा के लिये लगाया गया है, इस व्यवस्था को समाप्त करने का विचार नहीं है ।

सियालदह में लाठी प्रहार

5744. **श्री एस्थोस** : **श्री मुहम्मद इस्माइल** :
श्री भगवान दास : **श्री वि० कु० मोडक** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस ने 25 फरवरी, 1968 को कलकत्ता में सियालद रेलवे

स्टेशन के पास विद्यार्थियों पर लाठी चलाई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि 24 फरवरी, 1968 को सियालदह रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टाफ द्वारा 6 व्यक्तियों को बिना टिकट सफर करने के कारण रेलवे पुलिस के हवाले किया गया था। गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में एक विद्यार्थी था। इसके तुरन्त बाद एक स्थानीय कालेज के लगभग 200 विद्यार्थियों की भीड़ ने रेलवे कार्यालय में प्रवेश किया तथा पकड़े गये विद्यार्थी को बिना शर्त छोड़ने की मांग की। चूंकि भीड़ ने कार्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई, पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिये हलकी लाठी चलानी पड़ी।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

5745. **श्री पी० राममूर्ति** : **श्री नम्बियार** : **श्री वी० कु० मोडक** : **श्री अब्राहम** : **श्री विश्वनाथ मेनन** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 16 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 844 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के उन सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के प्रश्न पर विचार कर लिया है जिनको सेवा करते हुए 15 वर्ष हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारी

5746. **श्री विश्वनाथ मेनन** : **श्री पी० राममूर्ति** : **श्री अनिरुद्धन** : **श्रीमती सुशीला गोपालन** :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने के लिये नियुक्त समिति ने कितनी प्रगति की है ;

(ख) प्रतिवेदन के कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ;

(ग) क्या प्रतिवेदन देने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (घ). इस प्रयोजन के लिये विश्व विद्यालय द्वारा नियुक्त समिति, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की शिकायतों पर तुरन्त विचार करने के लिये एक स्थायी समिति के रूप में कार्य करेगी और जहां कहीं आवश्यक हो, अपनी सिफारिशें विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् को पेश करेगी । फिर भी विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने ऐसी कुछ शिकायतों पर पहले ही से कार्रवाई की है, जो उनकी जानकारी में लाई गई है ।

Class IV Employees of Delhi Schools

5747. **Shri Hardayal Devgun**: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Class IV employees of Delhi Schools have submitted a memorandum of their demands to the Directorate of Education, Delhi;

(b) if so, the details of the said memorandum; and

(c) the action taken by Government thereon?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) Yes, Sir.

(b) A copy of their memorandum is attached. **[Placed in Library. See No. LT-665/68]**

(c) The demands are being examined by the Delhi Administration.

Separate Universities for Women

5748. **Shri Gunanand Thakur**: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the reasons for which separate universities have not been set up for women in the country;

(b) whether Government propose to set up a women's university in each State;

(c) if so, the time by which such universities would be set up and the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) to (d). The establishment of Universities is primarily the concern of the State Governments. There is no proposal under consideration of the Central Government to set up separate Universities for women. The Government is of the view that at the post-graduate level it is not necessary to establish separate institutions for women.

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में विस्तार सेवा केन्द्र

5749. **श्री जे० एच० पटेल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में विस्तार सेवा केन्द्रों के कार्यकरण का कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां। 1958-59 और 1964-65 में दो बार मूल्यांकन किया गया था।

(ख) मुख्य निष्कर्ष है कि विस्तार सेवा केन्द्र शिक्षा के सुधार के लिये सक्षम साधन है; विस्तार तकनीक और कार्यक्रमों का विकास किया है; और शैक्षिक समस्याओं और उनका सम्भावय: हल के प्रति जागरूकता उत्पन्न की है। कार्यक्रम से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये मूल्यांकन दलों में राज्य शैक्षिक निरीक्षणालयों और स्कूल प्रशासन द्वारा और अधिक रुचि लिया जाना तथा निर्देशात्मक सामग्री का विकास, इस प्रकार की विभिन्न सिफारिशें की हैं।

बुनियादी शिक्षा

5750. **श्री जे० एच० पटेल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के बुनियादी शिक्षा विभाग को समाप्त कर दिया गया है ; और

(ख) बुनियादी शिक्षा के बारे में सरकार की नवीनतम नीति क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार का अलग से कोई बुनियादी शिक्षा विभाग नहीं है। दूसरे कार्यों के साथ-साथ बुनियादी शिक्षा की योजनाओं से सम्बन्धित कार्य शिक्षा मंत्रालय के एक प्रभाग द्वारा किया जाता है।

(ख) बुनियादी शिक्षा के प्रति केन्द्रीय सरकार की नीति में हाल ही में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

Uniform Pay Scales of Teachers

5751. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri S. M. Banerjee:

Will the Ministers of **Education** be pleased to state :

(a) whether any decision has been taken in regard to the uniform scales of pay for teachers all over the country on the basis of suggestions made by the Kothari Commission ;

(b) if so, when the uniform scales would be given to teachers ; and

(c) whether Government are contemplating to take immediate steps for enhancement of pay of Primary and Secondary School teachers of Uttar Pradesh where these teachers are getting the lowest pay ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b). The Education Commission has not suggested a uniform scale of pay all over the country for teachers at the school stage, but only the laying down of a minimum scale, the equivalent of which or something higher could be adopted by State Government/Union Territory to suit its local conditions and in accordance with their resources.

In so far as college teachers are concerned, the Governments of Assam, Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Jammu and Kashmir, Kerala, Madras, Maharashtra, Punjab, Uttar Pradesh,

West Bengal and Pondicherry have issued orders revising pay scales for University and/or college teachers. These are scales approved by the Central Government and are identical with those recommended by the Kothari Commission. The proposals of the Government of Bihar, for revision of pay scales have also been approved by the Central Government. The Governments of Mysore, Himachal Pradesh and Goa, Daman and Diu have also accepted the scheme in principle.

(c) The matter primarily concerns the State Government.

Sanskrit Education

5752. **Shri Gunanand Thakur**: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the standard of Sanskrit education has gone down in the country after the independence;

(b) whether it is due to the fact that the scales of Sanskrit teachers and lecturers and the facilities available to them are less compared to other teachers; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government for promoting Sanskrit education?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) There is no objective evidence to suggest that the standard of Sanskrit Education in the country has gone down since independence.

(b) and (c). The questions, therefore, do not arise.

कलकत्ता-इम्फाल उड़ान में डकोटा विमानों को हटाना

5753. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन कलकत्ता-इम्फाल विमान उड़ान (उड़ान संख्या 255) के लिये डकोटा विमानों को हटाकर उनके स्थान पर अधिक आधुनिक तथा बड़े विमान प्रयोग में लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां। धावन पथ के फ्रेण्डशिप या अवरों जैसे विमानों के चलाने के लिये तैयार होते ही डकोटा के विमान स्थान पर फ्रेण्डशिप या अवरो विमानों को ले लेने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मनीपुर में गैर-सरकारी कालेज के अध्यापक

5754. **श्री मेघ चन्द्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापकों ने सरकार का वेतन पुनरीक्षण की मजूरी के लिये अत्यावश्यक प्रार्थना पत्र भेजा है जिसमें मनीपुर सरकार द्वारा उनको दिये गये

आश्वासनों को 21 मार्च, 1968 तक पूरा करने की मांग की गई है अन्यथा अध्यापक 1 अप्रैल, 1968 से हड़ताल करेंगे ;

(ख) यदि हां, तो मनीपुर सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों का स्वरूप क्या है और अध्यापकों की सामान्य मांगें क्या हैं ;

(ग) क्या अध्यापकों की मांगें पूरी कर दी गई हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो आश्वासनों को पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) मनीपुर में गैर-सरकारी कालिजों के अध्यापकों की मांगें तथा मनीपुर सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन इस प्रकार हैं :

मांगें :

1. सहायता-प्राप्त कालिजों के अध्यापकों को सरकारी वेतन मान देना।
2. भविष्य-निधि की सुविधाओं की व्यवस्था।
3. अनुमोदित आय तथा अनुमोदित व्यय के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिये 100% सहायक अनुदान की अदायगी ; तथा
4. ये मांगें पूर्वव्याप्ति सहित 1 अप्रैल, 1966 से लागू होनी चाहिए।

मनीपुर सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन :

मनीपुर सरकार ने आश्वासन दिया है कि वे निम्नलिखित मदों के लिये सहायक अनुदान नियमों में व्यवस्था करेंगे :

1. सहायता प्राप्त कालिजों के अध्यापकों को सरकारी वेतनमान देना ;
2. सरकार द्वारा भविष्य-निधि अंशदान ;
3. अनुमोदित आय तथा अनुमोदित व्यय के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिये 100% सहायक अनुदान ; और
4. उन नियमों को 1 अप्रैल, 1966 से पूर्वव्याप्ति सहित लागू करना।

(ग) मनीपुर सरकार द्वारा उपरोक्त उपबन्धों को समन्वित करने वाले सहायक-अनुदान संबंधी नियमों को अनुमोदन के लिये शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया, उन नियमों का भारत सरकार ने अनुमोदन किया है और 16.3.1968 को आदेश जारी कर दिये गये हैं, अब उनको कार्यान्वित करना मनीपुर सरकार का काम है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

महिलाओं में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा

5755. **श्री नारायण रेड्डी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में महिलाओं में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये केन्द्रीय सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भवनों, होस्टलों, स्टाफ क्वार्टरों तथा अन्य मामलों के उद्देश्य हेतु महिलाओं के कालेजों को अनुदान देने के लिये कुछ रियायतें तथा सामान्य नियमों को ढीला नहीं कर रहा है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में वर्तमान नियमों को ढीला करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग). विश्वविद्यालय स्तर पर महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग महिलाओं के छात्रावासों के निर्माण के लिए कुल लागत का 75 प्रतिशत सहायता के रूप में देता है जबकि लड़कों के छात्रावासों के मामले में लागत का 50 प्रतिशत दिया जाता है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अध्यापकों के संशोधित वेतनमान लागू करने के लिए तीसरी पंच-वर्षीय आयोजना के दौरान आयोग ने महिलाओं के कालेजों में अतिरिक्त खर्च का 75 प्रतिशत भाग पूरा करने के लिए अनुदान दिये थे जबकि सामान्य सूत्र 50 प्रतिशत अनुदान का है।

भारतीय वन सेवा

5756. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964 तक भारतीय वन सेवा परीक्षा पास करने वालों तथा इससे बाद यह परीक्षा पास करने वालों के लिये भारत वन सेवा नियम एक समान नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). भारतीय वन सेवा की सीधी भर्ती के लिए प्रथम परीक्षा संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा 1967 में ही ली गई थी। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य के ध्यान में वे राज्य वन सेवा अधिकारी हैं जिन्होंने देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान तथा कालेजों से 1964 तक वन-विद्या में डिप्लोमा प्राप्त किया था तथा वे अधिकारी हैं जिन्होंने उसके बाद डिप्लोमा प्राप्त किया था।

राज्य वन-सेवा के उन अधिकारियों पर, जिन्होंने 1-7-66 को (भारतीय वन सेवा के गठन की तिथि) चार वर्ष की (वन अनुसंधान संस्थान तथा कालेजों में दो वर्ष के प्रशिक्षण को मिलाकर) राजपत्रित सेवा की थी, भारतीय वन सेवा के प्रारम्भिक गठन में कनिष्ठ वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया गया। जिन्होंने 1964 के बाद अपना डिप्लोमा प्राप्त किया था तथा इस प्रकार निर्णायक तिथि को जिनकी चार वर्ष से कम की सेवा-अवधि

थी, उन पर ऐसा विचार नहीं किया गया, क्योंकि उनके रिकार्ड के आधार पर निर्णय करने की दृष्टि से उन्होंने बहुत थोड़ी अवधि की वास्तविक सेवा की थी। फिर भी उन्हें सेवा में सीधी भर्ती के लिये संघ लोक सेवा आयोग की पहली दो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए आयु-छूट दी गई है।

दिल्ली के उप-राज्यपाल के लिए निवास-स्थान

5758. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के उप-राज्यपाल के सरकारी निवास के लिये एक नये भवन के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है ; और

(ग) क्या वर्तमान निवास में ही कुछ वृद्धियां तथा परिवर्तन कर दिये जाने से वह उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हो जाता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मूल सुविधाएं उपलब्ध करने की दृष्टि से उपराज्यपाल के निवास-स्थान में कुछ अतिरिक्त रचना व परिवर्तन किये जा रहे हैं।

करीमगंज सब-डिवीजन में रेलवे सुरक्षा दल पर आक्रमण

5759. **श्री स्वैल** :

श्री रणजीत सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 मार्च, 1968 को आसाम में करीमगंज सब-डिवीजन के रेतबाड़ी नामक स्थान में लगभग 2000 व्यक्तियों की हिंसक भीड़ ने रेलवे सुरक्षा दल पर आक्रमण कर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बीजापुर के स्मारकों में रोशनी का प्रबन्ध

5760. **श्री अगाड़ी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में बीजापुर जिले में गोल गुम्बज और इसके इर्द-गिर्द के उद्यानों

में रोशनी की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी तथा कब इस काम को पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मूल तखमीनों के अनुसार जैसा कि 1963 में तैयार किये गये थे 1.30 लाख रुपये की लागत थी। किन्तु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा नये तखमीने तैयार किये जा रहे हैं। इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि रोशनी का कार्य कब समाप्त होगा, क्योंकि यह धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

बम्बई में एयर इण्डिया के विमान को क्षति

5761. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1968 के अन्तिम सप्ताह में बम्बई में सान्ताक्रूज हवाई अड्डे से न्यूयार्क रवाना होते समय एयर इण्ड्या के एक बोइंग विमान के अवचक्र (अंडर कैरिज) के नीचे एक गाय किस तरह आ गयी थी, इसके बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ख) विमान को अनुमानतः कितनी क्षति पहुंची है ;

(ग) इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप यात्री यातायात तथा अन्य प्रकार से आय में कितनी हानि हुई है ; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-666/68]

University Grants Commission's Recommendations

5762. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Uttar Pradesh Government had received the recommendations of the University Grants Commission which were forwarded to them by his Ministry with their letter No. F. 30-35/U-66, dated the 7th April, 1966 ;

(b) whether it is also a fact that these recommendations had been accepted in respect of professors ;

(c) whether the Uttar Pradesh Government now want to implement them in respect of Heads and Deputy Heads of Departments only ; and

(d) if so, the reasons for not implementing them as far as Professors are concerned ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d). The State Government of Uttar Pradesh has reported that the recommendations which related to the revision of salary scales of pay have been accepted and implemented in respect of all categories of teaching posts in the Universities and non-Government Degree Colleges.

Land for Political Sufferers

5763. **Dr. Surya Prakash Puri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Uttar Pradesh Government had proposed to allot land to political sufferers in 1949-50 under a colonization scheme ; and

(b) if so, the number of persons who have been allotted land under the said scheme so far ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). According to information received from the Uttar Pradesh Government, land grants to political sufferers were made by them in colonization areas and 13,690.70 acres of land had been allotted to 847 political sufferers.

रत्नगिरि पत्तन

5764. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने रत्नगिरि का एक बड़े पत्तन के रूप में विकास करने का प्रस्ताव पेश किया है ;

(ख) क्या यातायात की क्षमता तथा बड़े पत्तन के रूप में उसका विकास करने पर होने वाले खर्च के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ;

(ग) क्या सरकार का विचार बड़े पत्तन के रूप में उसका विकास करने की योजना आरम्भ करने का है ; और

(घ) इस कार्य के कब पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). तीसरी योजना में 20 फीट तक डुबाव के पोतों के लिए रत्नागिरि (मिरया वे) को सब ऋतुओं में काम में लाये जाने के बंदरगाह के रूप में विकास करने के लिये 60 लाख रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता सहित 2 करोड़ रुपये को प्राक्कलित लागत मंजूर की गई थी। स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अनुमोदन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस पत्तन को बड़े पत्तन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया था। जो कुछ यातायात मान्यताओं पर आधारित था फिर भी यातायात संभाव्यता का कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया और न ही लागत प्राक्कलन

तैयार किया गया। प्रस्ताव का विचार, यातायात की पर्याप्तता, तकनीकी शक्यता लागत प्राक्कलनों और साधनों की उपलब्धता तथा बड़े पत्तनों के विकास के सम्बन्ध में राष्ट्रीय आवश्यकताओं की संपूर्ण विचार भावना पर निर्भर करता है।

वालकॉट द्वारा प्रयोग में लाये गए विमान की नीलामी

5765. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेनियल वालकॉट द्वारा तस्करी के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले विमान को नीलाम कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और किसने इसे खरीदा तथा कितने मूल्य में ; और

(ग) क्या विमान को खड़ा करने का किराया वसूल कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). डेनियल वालकॉट द्वारा प्रयुक्त किये गये विमान भारत में पड़े हैं—एक पालम और दूसरा जुहू हवाई अड्डे पर। पालम हवाई अड्डे वाला विमान अदालत के आदेशानुसार 16 अप्रैल को नीलाम किया जाना है। जुहू वाला विमान मामले की अदालती जांच के सिलसिले में पुलिस की अभिरक्षा (कस्टोडी) में है।

पार्किंग और लैंडिंग से सम्बन्धित प्रभार केवल पालम पर पार्क किये गये विमान के बारे में वसूल किये जाने हैं। इनकी वसूली यथासम्भव नीलामी के धन से की जायेगी।

सदाचार समितियां

5766. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त सदाचार समिति अब भी उनके मंत्रालय के अधीन काम कर रही है ;

(ख) क्या इस समिति के कर्मचारियों के वेतनों और कार्यालय-भवनों के किराये का अब भी सरकार द्वारा भुगतान किया जा रहा है और यदि हां, तो किस खाते में से ;

(ग) क्या इस समिति के कर्मचारियों के वेतन की कोई राशि बकाया है और यदि हां, तो कितनी ;

(घ) इस समिति के कितने अधिकारियों तथा/अथवा कर्मचारियों को निःशुल्क रेलवे पास दिये गये थे और क्या ये पास अब भी प्रयोग किये जा रहे हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इन समिति के मामलों की जांच कराने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) और (ङ). संयुक्त सदाचार समिति एक गैर-सरकारी संस्था है। इसकी गतिविधियां और मामले सरकार के अधिकार-क्षेत्र में नहीं आते हैं।

(घ) रेलवे मंत्रालय द्वारा समिति को सम्मानार्थ दो पास जारी किये गये हैं तथा उनका प्रयोग अभी हो रहा है।

Bridge at Ghughta Ghat on River Jamuna

5767. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the scheme of construction of a bridge over the Jamuna river at Ghughta Ghat by Uttar Pradesh and Madhya Pradesh is now under the consideration of the Central Government ;

(b) when the scheme is likely to be given the Central Government's approval ; and

(c) the expenditure likely to be incurred thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) (a) to (c). Presumably, the Hon'ble Member is having in mind the proposed bridge over the Jamni river at Ghumtaghat. If so, a proposal for a grant for its construction has been received by the Government of India ; but a decision can be taken only after the allocations under the new Fourth Five-Year Plan have been finalised. According to the Government of Madhya Pradesh, the bridge is estimated to cost Rs. 16 lakhs.

कलकत्ता की एक सभा में उप-प्रधान मंत्री के भाषण के दौरान गड़बड़ी

5768. **डा० रानेन सेन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 मार्च, 1968 को कलकत्ता के देशबन्धु पार्क में जब भारत के उप-प्रधान मंत्री ने बोलना शुरू किया तो सभा में कुछ गड़बड़ी हो गई ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

"स्कूल फीस"

5769. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 11 मार्च, 1968 के इण्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली में "अरांउड दी टाउन" कालम के अन्तर्गत छपे स्कूल फीस लेख की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) सरकार भवनों के लिए धन अथवा चंदा एकत्र करने के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए विद्यार्थियों अथवा उनके अभिभावकों को, किसी भी तरीके से बाध्य करने वाले किसी स्कूल को स्वीकृति नहीं देती है। दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय ने इस मामले में उन सभी स्कूलों को पहले ही अनुदेश जारी कर दिये हैं, जिन्हें सरकार से अनुदान मिलते हैं और जो उनके प्रशासकीय नियंत्रण में हैं।

हरियाणा पुलिस

5770. **श्री सूरज भान :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा पुलिस में, हरियाना सशस्त्र पुलिस को छोड़कर, सिपाही के दर्जे से लेकर इंस्पेक्टर जनरल के दर्जे तक के सभी पदों पर पृथक-पृथक अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की प्रतिशतता कितनी है ;

(ख) सभी पदों में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या इन पदों में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए कुछ और उपाय करने का विचार है ; और

(घ) इस कमी को कितने समय में पूरा किये जाने की आशा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-667/68]

हरियाना में पुलिस सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती

5771. **श्री सूरज भान :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाना में हाल में पुलिस सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों तथा अन्य जातियों के कितने-कितने व्यक्ति भर्ती किये गये ; और

(ग) अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये कितने पद आरक्षित थे, जिनके लिए अनुसूचित जातियों के सदस्य नहीं चुने जा सके और इसके क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

राजस्थान में सीमा सड़कें

5772. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में विशेषकर सीमा सड़कें बनाने के लिये 1967-68 के बजट में कितनी धनराशि रखी गई थी और इस उपबन्ध के अन्तर्गत कितने मील लम्बी सड़क बनाई जाने की आशा थी;

(ख) अब तक वास्तव में कितनी राशि खर्च हुई है और कितने मील लम्बी सड़क बन चुकी है;

(ग) यदि कार्यक्रम के अनुसार कार्य पिछड़ गया है तो उसका ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1968-69 में सीमा सड़क निर्माण के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) राजस्थान की सामरिक महत्व की उच्चतम और निम्नतर प्राथमिकता वाली दोनों प्रकार की सड़कों के लिये 1967-68 के बजट में 8·45 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। यद्यपि 920 मील उच्चतम प्राथमिकता की सड़कों का 1968-69 के अंत तक पूरा होना निश्चित है, परन्तु विशिष्ट मीलों के लिए 1967-68 में पूरी तरह से पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित करना व्यौहारिक नहीं था। जहां तक 690 मील की निम्नतर प्राथमिकता की सड़कों का प्रश्न है, उनका निर्माण धन की उपलब्धता पर निर्भर रहा है।

(ख) वित्तीय वर्ष 1967-68 के अंत तक 7 करोड़ धनराशि के खर्च होने की संभावना है। जनवरी, 1968 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 920 मील की उच्चतम प्राथमिकता की सड़कों के विरुद्ध 291 मील पर काम पूर्णरूप से पूरा हो गया है, 203 मील पर पानीकुटी मैकेडैम अवस्था तक पूरा हो गया है और शेष 426 मील पर प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। निम्नतर प्राथमिकता की सड़कों का निर्माण-कार्य 312 मील तक पूरा हो गया है।

(ग) लगभग 1.45 करोड़ रुपये तक के व्यय के कार्य के पिछड़ जाने की संभावना है। काम के पिछड़ने के कारणों के बाबत राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी।

(घ) उच्चतम प्राथमिकता की सड़कों के निर्माण के कार्यक्रम के 1968-69 के अन्त तक पूरा होना निश्चित किया गया है।

Theft of Photographs of Strategic Importance

5773. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the photographs of the Testom bridge and those of places of

the strategic importance in District Jalpaiguri were stolen from the exhibition organised on the eve of Gandhi Memorial Fund Conference in Dalimpur, 50 miles away from Jalpaiguri (Assam);

(b) if so, whether agents of some enemy countries had a hand in that theft ;

(c) if so, the results of the enquiry made in the matter ; and

(d) the reasons for which Government permitted the photographs of places of strategic importance to be exhibited ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Two photographs of the Teesta bridge and some other photographs were stolen from the exhibition. These exhibits were not of strategic importance.

(b) and (c) . The case is under investigation. Enquiries made so far reveal that it was a simple case of theft.

(d) Does not arise.

भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा प्रतिनियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

5774. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारी इस समय राजस्थान में प्रतिनियुक्त हैं और क्या पिछले दो वर्षों की अवधि में उनमें से किसी के द्वारा भ्रष्टाचार अथवा अधिकार का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में उन पर कोई आरोप लगाये गये हैं और यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ;

(ख) क्या भ्रष्टाचार अथवा अधिकार का दुरुपयोग करने के आरोपों के बारे में कोई विभागीय अथवा अन्य प्रकार की जांच की गई है और यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) उन पर चलाये गये अभियोगों का विवरण क्या है और क्या उनकी मुअत्तिली अथवा तबदीली की सिफारिश की गई थी, और यदि हां, तो कितने मामलों में ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). राजस्थान संवर्ग के 4 भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारी और 4 भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी राजस्थान में केन्द्रीय सरकार के अधीन प्रतिनियुक्त हैं। उनमें से एक के विरुद्ध पिछले दो साल से भ्रष्टाचार या अधिकार का दुरुपयोग किये जाने के दोष लगाये गये हैं और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई है। कोई मुकदमा नहीं चलाया गया है और मुअत्तिल या तबादले की सिफारिश नहीं की गई है ।

आसाम के पहाड़ी नेताओं की प्रधान मंत्री के साथ भेंट

5776 **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के पहाड़ी नेता राज्य के पुनर्गठन के बारे में बातचीत

करने के लिये हाल में दिल्ली में प्रधान मंत्री से मिले थे;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में किन-किन विषयों पर बातचीत हुई थी; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (ग). असम के पुनर्गठन का आपसी मान्य आधार ढूंढ़ने के प्रश्न पर हाल में असम सरकार तथा सर्वदलीय पहाड़ी नेता सम्मेलन के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। यह देखा गया कि वे अनौपचारिक रूप से मिलते रहे हैं तथा इस विवाद पर विचार करते रहे हैं। आपसी मान्य समझौते को ढूंढने की आवश्यकता पर बल दिया गया तथा प्रतिनिधियों को उचित अवधि में सहमति का आधार खोजने के लिये सलाह दी गई कि वे अपना अनौपचारिक विचार-विमर्श जारी रखें तथा असहमति की बातें भारत सरकार के ध्यान में लायें। सरकार आशा करती है कि इन विचार-विमर्शों से ऐसे अन्तिम निर्णय तक पहुंचने में मदद मिलेगी जो व्यापक रूप से राष्ट्रहित में होगा ।

अखिल भारतीय माध्यमिक अध्यापक संघ

5777. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय माध्यमिक अध्यापक संघ का एक प्रतिनिधि-मण्डल हाल ही में उनसे मिला था और उसने उन्हें, अपनी मांगों के बारे में एक ज्ञापन पेश किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस संघ ने समय सम्बन्धी नोटिस दिया है कि यदि सरकार ने उस समय तक उनकी मांगें पूरी नहीं कीं तो वे आन्दोलन कर देगें ;

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). अध्यापकों की मुख्य मांगें, वेतन, मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी, त्रिलाभ योजना को लागू करने, नौकरी की सुरक्षा आदि के संबंध में हैं। इन मांगों का मुख्यतया संबंध राज्य सरकारों से है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से अध्यापकों की दशा को यथासम्भव सुधारने का अनुरोध किया है ।

ज्ञापन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरह एक माध्यमिक शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना का भी सुझाव दिया गया है। संविधान के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के लिए एक सांविधिक अनुदान आयोग की स्थापना सम्भव नहीं है ।

Border Roads in Bikaner

5778. **Shri P. L. Barupal:** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) whether Government had sanctioned the construction of border roads from Bikaner to Poogal and from Bikaner to Khajuwala in 1966-67 and the construction work of these roads had also been started by the contractor and some earth work upto 10 miles on the road from Poogal to Khajuwala had been completed;

(b) if so, the reasons as to why the work was discontinued after completion of the work to that extent; and

(c) whether Government propose to complete the work that has already been taken in hand and partially completed, with a view to developing the means of transport in the said border area, so that the amount already spent on the aforesaid work may be fully utilised?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) to (c). The Hon'ble Member is presumably having in mind the roads—(i) from Bikaner to Poogal and (ii) from Poogal to Beriwala (Khajuwala). These roads were included in the project for the construction of strategic roads in Rajasthan, as sanctioned by Government in 1966-67. However, the requirements of these road works were reviewed from time to time. The latest review was made in June-July, 1967 and, as a result thereof, it was decided to concentrate attention on top priority roads. Consequently, the construction of the above-mentioned two roads has been given low priority and further progress will depend on the availability of funds.

राजस्थान में खुदाई

5779. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागों नामक स्थान में प्राचीन पाषाण युग की बस्तियों की खुदाई करते समय एक पूर्ण विकसित पुरुष का पूरा अस्थिपंजर पाया गया है ;

(ख) क्या वहां कुछ और स्थानों में भी खुदाई की गई है ;

(ग) इन खोजों से उस युग में रहने वाले लोगों के जीवन तथा संस्कृति के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है ; और

(घ) क्या यह अस्थिपंजर कुछ समय पूर्व राजस्थान में टोंक जिले में प्राप्त हुए अस्थि-पंजरों की श्रृंखला में सम्मिलित है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (घ). बंगलौर की खुदाई, जहां से कि एक पूरे आदमी का अस्थिपंजर मिलने की रिपोर्ट है, संयुक्त रूप से दकन कालिज पोस्ट-ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना और राजस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा की गई थी। खोज का विवरण भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण द्वारा इन स्रोतों से प्राप्त किया जा रहा है। खुदाई और खोज के ये तथा अन्य संबंधित विवरण उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दिए जाएंगे।

दिल्ली पुलिस के लिये "बैरी" पिस्तौल

5780. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकटवर्ती गांवों में रात्रि में ड्यूटी देते समय दिल्ली पुलिस द्वारा "बैरी" पिस्तौल का प्रयोग किये जाने की नई प्रणाली लागू कर रही है;

(ख) क्या ये पिस्तौलें देशी हैं अथवा आयातित;

(ग) इन पिस्तौलों को खरीदने पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई है तथा किस देश से ये पिस्तौलें खरीदी गई हैं; और

(घ) इन पिस्तौलों से क्या लाभ होंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). कोई ऐसी नई प्रणाली लागू नहीं की जा रही है। कुछ बैरी लाइट सिगनल पिस्तौलें कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली पुलिस को दी गई थीं। ये पिस्पौलें भारत में बनाई गई थीं, इसलिए उनके खरीदने में कोई विदेशी मुद्रा व्यय नहीं हुई थी। ये पिस्तौलें ऐसा तीव्र प्रकाश फेंकती है जिससे स्थल प्रकाशित हो जाता है तथा जिससे पुलिस रात को, विशेषकर दोनों ओर से गोली चलने पर, अपराधियों का पता लगा सकती है।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये रूसी विमान

5781. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स के विमान-दस्ते में वृद्धि करने के लिये रूसी विमान उद्योग ने 3 रुपये प्रति सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर पर रुपयों में मूल्य-ऋण अदा करने की शर्तों पर टी० यू० 154 और टी० यू० 134 विमान देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जनवरी, 1967 में सोवियत रूस के व्यापार प्रतिनिधि के द्वारा टी० यू० 134 विमानों की विलम्बित भुगतान के आधार पर बिक्री का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव पर इन्डियन एयरलाइन्स के साथ सलाह मशविरा करके विचार किया गया तथा यद्यपि खरीदे जाने वाले विमानों के प्रकार के बारे में अभी कोई पक्का फैसला नहीं किया गया है, फिर भी यह महसूस किया जा रहा है कि भारत में यातायात विषयक आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए नये विमानों की यात्रि-धारिता 100 से ऊपर होनी चाहिए। इस कारण टी० यू० 134 विमानों की, जिनकी कि यात्रि-धारिता 100 से काफी कम है, उपयुक्त समझे जाने की संभावना बहुत कम है।

टी० यू० 154 की उपलब्धता का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, तथा यह समझा जाता है कि इन विमानों की वाणिज्यिक उपयोग के लिये उपलब्धि में अभी कुछ समय लगेगा। तथापि टी० यू० 154 विमानों की खरीद की वांछनीयता पर विचार किया जायेगा।

संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का उप-कुलपति

5782. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय का उप-कुलपति पश्चिम बंगाल के चार विश्वविद्यालयों, अर्थात् बरद्वान, कलकत्ता, जादवपुर तथा रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालयों में अंशकालिक प्राध्यायक भी है;

(ख) क्या उनकी नियुक्ति के निबंधनों तथा शर्तों के अन्तर्गत ऐसा करने की अनुमति है; और

(ग) क्या यह बात इस पद की प्रतिष्ठा के अनुरूप है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायगी।

दिल्ली के स्कूल अध्यापक

5783. **श्री म० ला० सोंधी** :
श्री रवि राय :
श्री बलराज मधोक :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री जुगल मंडल :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के स्कूल अध्यापकों द्वारा हड़ताल समाप्त किये जाने से पूर्व उनको कोई आश्वासन दिये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या आश्वासन दिये गये थे और वे आश्वासन कहां तक पूरे किये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य में सिनेमा गृहों में राष्ट्र गान की ध्वनि का बजाया जाना

5784. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में सिनेमा गृहों में राष्ट्रगान की ध्वनि नहीं बजाई जाती; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य सरकार को सिनेमा गृहों में राष्ट्रगान की ध्वनि बजाई जाने के लिये अनुदेश जारी किये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा सम्बद्ध सेवाओं की परीक्षा

5785. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा सम्बद्ध सेवाओं के लिये वार्षिक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या हाल के वर्षों में कम हो गई है, वार्षिक भर्ती वास्तव में बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन सेवाओं के लिये भर्ती करने हेतु ऐसे ढंग से, जिससे कि अधिक व्यापक क्षेत्र से प्रतिभाशाली व्यक्ति आकर्षित किये जायें; 1956 के समान एक विशेष परीक्षा लेने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1959 से वर्षवार सूचना देने वाला विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-668/68]

(ख) 1966 की तथा 1961 की स्थिति की तुलना में रिक्तियों तथा उम्मीदवारों की संख्या में अन्तर अधिक नहीं है ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है ।

राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा

5786. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को विश्वविद्यालय स्तर तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके नियम क्या हैं;

(ग) क्या वर्ष 1967-68 में इन नियमों में कोई परिवर्तन किये गये हैं;

(घ) दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले राजनीतिक पीड़ितों के उन बच्चों की संख्या कितनी है, जिन्होंने वर्ष 1967-68 में इस आधार पर सहायता मांगी है; और

(ङ) क्या उन्हें ऐसी सहायता नहीं दी गई और यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). एक टिप्पणी संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-**669/68]

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) 51.

(ङ) जी नहीं, श्रीमान्।

भागीरथी नदी पर पुल

5787. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुंगी भुगतान प्रणाली के आधार पर मोटर गाड़ी तथा यात्री यातायात के लिये पश्चिम बंगाल के नादिया जिला में नवद्वीप कस्बे को मिलाने के लिये नवद्वीप घाट पर भागीरथी (गंगा) नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). पुल राज्य-मार्ग पर पड़ता है। अतएव उसके निर्माण से पश्चिम बंगाल की सरकार संबद्ध है। विदित हुआ है कि उसे स्थानीय जनता तथा नादिया जिला परिषद् से इस पुल के निर्माण के लिये कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं किन्तु उपलब्ध सीमित धन के कारण वह उसे राज्य योजना में शामिल नहीं कर सकी है।

केन्द्रीय स्कूल

5788. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में और केन्द्रीय स्कूल खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय स्कूल खोलने के लिये आसाम में सिल्चर को भी चुना गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). लगभग 100 केन्द्रीय स्कूलों के प्रथम चरण में सिल्चर में ऐसा स्कूल स्थापित नहीं किया जा सका। वित्तीय कठिनाई के कारण योजना का विस्तार बहुत ही सीमित है। दूसरे चरण के लिए जैसे ही धन उपलब्ध हो जायगा, ऐसे अन्य मामलों के साथ सिल्चर के मामले पर भी विचार किया जाएगा।

केन्द्रीय स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान

5789. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्कूलों के स्नातकोत्तर शिक्षकों के वेतन-मानों को बढ़ाकर सरकारी कालेजों के अध्यापकों के बराबर करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Scholarship in Polytechnics

5790. **Shri Ram Singh Ayarwal**: Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the students belonging to the Scheduled Castes and low-income groups were not supplied with application forms for scholarships in September, 1967 in Delhi Polytechnic Institutes and as such these students could not apply for scholarships and were deprived of this benefit ;

(b) whether it is also a fact that the work of granting scholarships to these students is entrusted to the Directorate of Education, Delhi and not to the Technical Education Directorate and as there were no such orders issued to the Technical Education Directorate, the 1st year students could not be supplied scholarship application forms this year (1967-68) ;

(c) whether Government contemplate to issue orders to Technical Education Directorate, Rouse Avenue, New Delhi to enable that Directorate to take decisions for granting scholarships under the rules ;

(d) the number of students in all the three Polytechnic Institutes of Delhi who have been deprived of this benefit this year and the number of applications received later on from the students of both categories who have not been granted scholarships ; and

(e) whether Government propose to grant them scholarships now and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) No, Sir.

(b) The Directorate of Education is in-charge of granting Scholarships to these students, but as stated in reply to part (a) the present arrangement has not caused any difficulty to students.

(c) No, Sir.

(d) No student has been denied the scholarship due to the fact of late application. All Scheduled Castes students who had applied, were awarded scholarships. Scholarships, however, could not be granted to 37 students of the low income group due to paucity of funds.

(e) No, Sir. The entire money set apart for the low-income group scholarships has been fully utilised and therefore, funds are not available for award of scholarships to these students.

प्रशिक्षणार्थ विमान-चालन के शुल्क में वृद्धि

5791. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 अप्रैल, 1968 से प्रशिक्षणार्थ विमान-चालन का शुल्क बढ़ा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और देश में फ्लाइंग क्लबों की कार्यवाहियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां । 1 अप्रैल, 1968 से पहले लागू, और पुनरीक्षित शुल्क-दरों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-670/68]

(ख) मार्च, 1954 से जबकि शुल्क-दरें पिछली बार निर्धारित की गयी थीं, प्रशिक्षण की लागत काफी बढ़ गयी है । फ्लाइंग क्लबों और प्रशिक्षणार्थियों की संख्या भी बहुत बढ़ गयी है । चूंकि फ्लाइंग क्लबों में उड़ान प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से उपदान देने के लिए उपलब्ध निधियां सीमित हैं इसलिए प्रशिक्षणार्थियों द्वारा दिये जाने वाले शुल्क को बढ़ाना आवश्यक हो गया, ताकि उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत उड़ान के अधिक घण्टों की व्यवस्था की जा सके । पुनरीक्षित शुल्क-दरों का क्लबों की कुल आय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5 पर पुल

5792. **श्री कमलनाथन् :**

श्री मयाबन :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5 पर बम्बई-मद्रास सैक्शन में किसी पुल के कमजोर तथा खतरनाक होने के बारे में मद्रास सरकार ने सूचना दी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पुल को मजबूत बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां । रिपोर्ट मिली है कि मील 32/8 तथा 32/2 पर पुल कमजोर है ।

(ख) मील 32/8 पर 3.49 लाख रुपये की लागत से पुल का पुर्निर्माण अगस्त 1966 में मंजूर किया गया था किन्तु राज्य सरकार से प्राप्त एक रिपोर्ट के अनुसार काम अभी हाल ही में शुरू किया गया है ।

जहां तक मील 32/2 पर पुल का संबंध है दो प्राक्कलन, एक जांच पड़ताल करने के लिये 3400 रुपये और दूसरा पुल के पुनर्निर्माण के लिये 9 लाख रुपये के कुछ वर्ष पूर्व राज्य सरकार से भारत सरकार को मिले थे । पहला 3400 रुपये का प्राक्कलन मंजूर कर लिया गया है और

जांच पड़ताल के परिणामस्वरूप एकत्रित तकनीकी आंकड़ों की प्राप्ति पर पुल के पुनर्निर्माण के लिये 9 लाख रुपये के प्रावकलन की परीक्षा की जायेगी और निर्णय की सूचना राज्य सरकार को दे दी जायेगी ।

दिल्ली प्रशासन में अधिकारी

5793. **श्री कृ० मा० कौशिक :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन दिल्ली की अधीनस्थ प्रशासनिक सेवा के प्रथम ग्रेड के कितने अधिकारी नियमित आधार पर तथा तदर्थ आधार पर अलग-अलग ग्रेड 1 से ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं;

(ख) दिल्ली प्रशासन दिल्ली की अधीनस्थ प्रशासनिक सेवा के ग्रेड 2 के कितने अधिकारी नियमित आधार पर तथा तदर्थ आधार पर अलग-अलग ग्रेड 1 तथा ग्रेड 1 से भिन्न पदों पर काम कर रहे हैं; और

(ग) ग्रेड 1 तथा ग्रेड 2 के कितने अधिकारी नौन-ड्यूटी पदों पर नियुक्त हैं; और उन पदों पर उनकी नियुक्तियों के कारण ग्रेड 1 तथा 2 में खाली हुए पदों पर नियुक्तियां करने के संबंध में दिल्ली प्रशासन की प्रक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) (i) नियमित आधार पर	21
(ii) तदर्थ आधार पर	27
(ख) (i) नियमित आधार पर	37
(ii) तदर्थ आधार पर	38
(ग) (i) श्रेणी I में	50
(ii) श्रेणी II में	33

कार्यपालक सेवा के अधीनस्थ श्रेणी I और श्रेणी II में रिक्तियां दिल्ली प्रशासन अधिनस्थ सेवा विनियमों 1967 के उपबन्धों के अनुसार भरी जाएंगी ।

इलाहाबाद में दंगे

5794. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 16 मार्च, 1968 को इलाहाबाद में हुए साम्प्रदायिक दंगों में मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया है; और

(ख) क्या दंगों के कारणों की जांच कर ली गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

कलकत्ता में हुए दंगे

5795. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 मार्च, 1968 को कलकत्ता में साम्प्रदायिक दंगों में मारे गये लोगों के लिये सरकार ने कोई मुआवजा दिया है; और

(ख) क्या इन दंगों के कारणों के बारे में कोई जांच की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 17 मार्च, 1968 को कलकत्ता में साम्प्रदायिक दंगों के दौरान कोई व्यक्ति नहीं मारा गया।

(ख) दंगों के कारणों का पता लगाने के लिये कोई औपचारिक जांच नहीं की गई है। राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दंगा तब आरम्भ हुआ जब 14 मार्च, 1968 को शराब के नशे में कुछ व्यक्तियों ने नरकेलदंगा नार्थ रोड की कुछ महिलाओं के समूह के साथ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया।

काश्मीर में शेख अब्दुल्ला का वक्तव्य

5796. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम :** **श्री जुगल मंडल :**
श्री हेम राज : **श्री शारदा नन्द :**
श्री श्रीचन्द गोयल : **श्री कामेश्वर सिंह :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस महीने की 4 और 5 मार्च, 1968 को श्रीनगर में शेख अब्दुल्ला द्वारा दिये गये भाषणों की ओर दिलाया गया है जिनमें उन्होंने 'स्वतंत्र काश्मीर' की स्थापना के लिये विदेशी शक्तियों से हस्तक्षेप करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार शेख अब्दुल्ला ने 4 और 5 मार्च को श्रीनगर में अपने भाषणों के दौरान कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया है।

हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी

5797. **श्री हेमराज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1960 की धारा 82 (1) के

अधीन पंजाब सिविल सर्विस (न्यायिक शाखा) के अधिकारियों को अस्थायी रूप से हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र में सेवा करनी अपेक्षित है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके अन्तिम नियतन के बारे में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि वे अब भी पंजाब सिविल सर्विस (न्यायिक शाखा) के सदस्य हैं;

(घ) क्या पदोन्नति के मामले में उनकी उपेक्षा की जा रही है और हिमाचल प्रदेश में उनसे कनिष्ठ अधिकारियों को उनसे ऊपर पदोन्नति दी जा रही है; और

(ङ) क्या उन्होंने केन्द्रीय सरकार को इस मामले में अभ्यावेदन दिया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् । उन्हें अस्थायी रूप से हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा का सदस्य समझा जाता है ।

(घ) पंजाब के पुनर्गठन के पश्चात् न्यायिक अधिकारियों की कोई पदोन्नति नहीं की गई तथा अधिकारियों के मामलों की उपेक्षा करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान् ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

व्यापारिक नौवहन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं व्यापारिक नौवहन, अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत व्यापारिक नौवहन (पायलट लैडर) नियम, 1967 की एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 4 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1650 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी०**-1755/67]

वर्ष 1966-67 के लिये केन्द्रीय आंग्ल-भाषा संस्था, हैदराबाद के क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं वर्ष 1966-67 के लिए केन्द्रीय आंग्ल-भाषा संस्था, हैदराबाद के क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखा-

परीक्षित लेखे सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०** 651/68]

डाकघर बचत बैंक नियमों के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं डाकघर बचत बैंक नियम, 1965 के नियम 9 के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 29 मार्च, 1968 की अधिसूचना की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०**-652/68]

नागरिकता अधिनियम तथा अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : I beg to lay on the Table of the House :

(1) A copy of the Citizens (Registration at Indian Consulates) Amendment Rules, 1968, published in Notification No. G.S.R. 483 (English version) and G. S. R. 484 (Hindi version) in Gazette of India dated the 16th March, 1968, under sub-section (4) of section 18 of the Citizenship Act, 1955. **[Placed in Library. See No. LT-653/68]**.

(2) A copy each of the following Notifications under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951 :—

(i) G.S.R. 246 published in Gazette of India dated the 10th February, 1968 making certain amendments to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulation, 1955.

(ii) G.S.R. 247 published in Gazette of India dated the 10th February, 1968, making certain amendments to Schedule III to the Indian Administrative Service(Pay) Rules, 1954.
[Placed in Library. See No. LT-275/68].

(iii) The Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968, published in Notification No. G.S.R. 482 in Gazette of India dated the 16th March, 1968. **[Placed in Library. See No. LT-654/68]**.

(3) A statement showing reasons for delay in laying the Notifications mentioned at (i) and (ii) of item (2) above. **[Placed in Library. See No. LT-275/68]**.

भारतीय संग्रहालय न्यासी बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं प्रोफेसर शेर सिंह की ओर से वर्ष 1966-67 के लिए भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के न्यासी बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन का अनुपूरक अंक सभा-पटल पर रखता हूं जिसमें लेख का विवरण दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-655/68]

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : महोदय, मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि राज्य सभा 28 मार्च, 1968 को हुई अपनी बैठक में विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक, 1968 से, जो लोक-सभा द्वारा 13 फरवरी, 1968 को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति
PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

सचिव : महोदय, मैं चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित सात विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) विनियोग विधेयक, 1968

(2) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1968

(3) पश्चिमी बंगाल राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1968

(4) उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1968

(5) विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1968

(6) विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक, 1968

(7) सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) निरन्तरता विधेयक, 1968।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

तिरपनवाँ प्रतिवेदन

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मैं शिक्षा मंत्रालय—इंडियन स्कूल आफ इण्टरनेशनल स्टडीज, नई दिल्ली—के बारे में प्राक्कलन समिति का तिरपनवाँ प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : महोदय, सोमवार, 1 अप्रैल, 1968 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :

(1) प्रतिरक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा तथा मतदान।

(2) वाणिज्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

(3) शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

(4) वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

(5) सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

(6) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान के समाप्त हो जाने के पश्चात्, श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान आरम्भ किया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय, सभा के कार्य में बहुत से महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे आप ध्यान आकर्षण प्रस्तावों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण मामला यह है कि जीवन बीमा निगम के लगभग 40,000 कर्मचारी हड़ताल करने वाले हैं। अतः इस सम्बन्ध में आगामी सप्ताह में वित्त मंत्री को वक्तव्य देना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें। यदि हम इस प्रकार इन सब बातों पर चर्चा करते रहे तो बजट की मांगों पर चर्चा नहीं हो सकेगी और फिर अन्ततः मुखबन्द का ही सहारा लेना पड़ेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : महोदय, हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मेरे ग्रुप को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये गठित की गई प्रवर समिति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। कम से कम मेरे ग्रुप का एक सदस्य तो इस समिति में अवश्य लिया जाना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य मुझे पत्र लिखते, तो मैं इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही कर सकता था। इस प्रकार सभा में बे मौका यह प्रश्न उठाने का कोई लाभ नहीं है। इस समय मैं यह नहीं कह सकता कि उनके ग्रुप का कोई सदस्य समिति में लिया जायेगा अथवा नहीं। इस तरह मैं माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री स० मो० बनर्जी : हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : आगामी सप्ताह के बारे में मेरा निवेदन है।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें। श्री बनर्जी हर बार खड़े हो जाते हैं और कोई न कोई प्रश्न उठा देते हैं। उनका कोई प्रश्न भी संगत नहीं है। मैं मानता हूं कि उनके प्रश्नों में तथ्य है, परन्तु उन्हें इस समय नहीं उठाया जा सकता। इस समय वे संगत नहीं हैं। अब श्री कुण्डू, श्री मोलहू प्रसाद, श्री पाण्डेय तथा श्री बेरवा खड़े हो रहे हैं। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य बैठ जायें।

श्री नम्बियार : आपने कल कहा था कि आन्ध्र प्रदेश में एक हरिजन लड़के पर किये गये अत्याचार के बारे में चर्चा की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : केवल हरिजन लड़के पर किये गये अत्याचार का ही एक मामला नहीं है। इससे भी गम्भीर एक और मामला है और वह है नंगी स्त्रियों की परेड कराने का। इसलिये गृह-कार्य मंत्री द्वारा इन मामलों पर जानकारी इकट्ठी किये जाने के बाद चर्चा की अनुमति दी जायेगी। परन्तु उस चर्चा के लिये गृह मंत्री को एक या दो दिन का समय दिया जाना चाहिये। दुर्घटना के दिन ही चर्चा नहीं हो सकती।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, you might remember that I had raised a discussion about the atrocities committed on Harijans in Madhya Pradesh, but that discussion was dropped for want of quorum. I request that time should be allotted for that also sometime in next week.

अध्यक्ष महोदय : इन सब बातों पर अलग-अलग चर्चा नहीं की जा सकती। श्री मधु लिमये भी अपनी बात कह सकते हैं तथा अन्य सदस्य अपनी बातें कह सकते हैं। सब अत्याचारों के बारे में एक साथ चर्चा की जा सकती है।

आकाशवाणी द्वारा प्रसारित 'टुडे इन पार्लियामेंट' के बारे में नियम 377 के अन्तर्गत विषय

MATTER UNDER RULE 377 Re: A. I. R's 'TODAY IN PARLIAMENT'

श्री गार्डलिगन गौड (कुरनूल) : मैं नियम 225 के अन्तर्गत आकाशवाणी के महानिदेशक के विरुद्ध इस सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन करने का प्रस्ताव पेश करने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

4 मार्च को "टुडे इन पार्लियामेंट" शीर्षक के अधीन एक प्रसारण में विवाचक ने कहा है "दिन के बाकी समय लोक सभा में रेलवे बजट पर सामान्य चर्चा जारी रही। अब लगता है कि चर्चा ऐसी स्थिति में पहुंच गई है, जबकि सदस्यों के पास कहने के लिये कुछ नहीं रह गया है। तथापि समाजवादी दल के सदस्य श्री जार्ज फरनेन्डीज एक या दो बातें कह सके हैं, जो उल्लेखनीय हैं।"

कार्य मंत्रणा समिति के सुझाव पर इस सभा में रेलवे बजट पर चर्चा करने के लिये 12 घण्टे का समय निर्धारित किया गया है। 1 मार्च, 1968 के अन्त तक केवल चार घण्टे तथा 2 मिनट तक चर्चा हुई थी और 8 घण्टे अभी बाकी थे। अतः "कुछ कहने के लिये नहीं हैं" शब्दों पर जोर देना वास्तव में सभा के सदस्यों पर आरोप है। इसका अर्थ यह है कि सदस्य उन बातों का उल्लेख कर रहे हैं, जो उल्लेखनीय नहीं हैं।

उस दिन मेरे सहित लगभग 11 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया था और सभी ने कुछ न कुछ बातें कही थीं, जिनमें कुछ राष्ट्रीय महत्व की थीं तथा कुछ स्थानीय महत्व की। अतः यह कहना कि केवल श्री जार्ज फरनेन्डीज एक या दो उल्लेखनीय बातें कर सकें, इस सभा के सदस्यों की क्षमता तथा कार्य पर एक गम्भीर आक्षेप है। यदि यह बात किसी गैर-सरकारी संगठन अथवा समाचार-पत्र द्वारा कही जाती, तो समझ में आ सकती थी, परन्तु एक सरकारी संगठन द्वारा, जिसे निष्पक्ष होना चाहिये, इस तरह की घोषणा करना एक गम्भीर बात है।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को पार्टी का मामला नहीं समझा जाना चाहिये, तथा मुझे यह प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रस्ताव नहीं है। यह तो नियम 377 के अन्तर्गत केवल एक वक्तव्य है।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : क्या दस मिनट के कार्यक्रम में विवेचक के लिये सब सदस्यों के नामों का उल्लेख करना सम्भव है ?

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों के नामों का उल्लेख करने का प्रश्न नहीं है। आपत्ति इस बात पर उठाई गई है कि एक सदस्य के अतिरिक्त किसी सदस्य ने कोई ऐसी बात नहीं कही जो उल्लेखनीय हो। यदि नामों का उल्लेख किया गया होता तो माननीय सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं थी, परन्तु आपत्ति इस बात पर है कि माननीय सदस्यों ने जो भाषण दिये उनमें कोई बात उल्लेखनीय नहीं थी। प्रत्येक सदस्य के नाम का उल्लेख करना तो सम्भव नहीं है, परन्तु यह कहना भी तो आपत्तिजनक है कि केवल एक सदस्य ने कुछ उल्लेखनीय बातें कहीं और बाकी सदस्यों के भाषण बेकार थे।

श्री हेम बरुआ : टीकाकार ने तो ऐसा नहीं कहा।

अध्यक्ष महोदय : इसमें प्रस्ताव का कोई प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य ने एक वक्तव्य दिया है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सभा पर कटाक्ष करने का कोई इरादा न था और यदि ऐसी कोई बात कही गई है, तो उसके लिये आकाशवाणी के महानिदेशक ने सचाई से खेद व्यक्त किया है। जिस बात पर खेद व्यक्त किया गया है, वह इस प्रकार है :

"दिन के शेष समय लोक-सभा में रेलवे बजट पर सामान्य चर्चा जारी रही। अब लगता है कि चर्चा ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जबकि सदस्यों के पास कुछ कहने के लिये नहीं रह गया है। तथापि संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य श्री जार्ज फरनेन्डीज एक या दो बातें कह सके जो उल्लेखनीय हैं।"

"टूडे इन पार्लियामेंट" वास्तविक प्रस्तुतीकरण नहीं है। यह एक समीक्षा है। विवेचक यह कहना चाहता था कि चर्चा कुछ समय से चल रही है और ऐसा लगता है कि वह स्थिति आ गई है जबकि सदस्यों के पास कहने के लिये कोई नई बात नहीं है। "नये" शब्द का न जोड़ा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर खेद है। टीकाकार को सारे दिन की कार्यवाही सुननी पड़ती है और उसे 10 मिनिट की टीका में संक्षिप्त करना होता है। उसे काम का जो बोझ उठाना पड़ता है, उसे ध्यान में रखते हुए सभा से अनुरोध है कि खेद स्वीकार किया जाये।

श्री गाडिलिंगन गौड : माननीय मंत्री द्वारा व्यक्त किये गये खेद को देखते हुए मैं अपने प्रस्ताव को पेश नहीं करना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : सभा के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने नियम 377 के अन्तर्गत एक मामला उठाया है, अब वे उस पर भी जोर नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वह मंत्री महोदय के उत्तर से संतुष्ट हैं।

सामान्य आयव्ययक, 1968-69—अनुदानों की मांगें—जारी
GENERAL BUDGET, 1968-69—DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

प्रतिरक्षा मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में प्रतिरक्षा मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा की जायेगी, तथा मतदान होगा। मुझे प्रतिरक्षा के मामलों से सम्बन्धित जैसे पाकिस्तान को पैटन-टैंकों की सप्लाई इत्यादि के बारे में बहुत से ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना मिली हैं। अब चूंकि प्रतिरक्षा मंत्रालय के अनुदानों की मांगें चर्चाधीन हैं, इसलिये माननीय सदस्य उन महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख अपने भाषणों में कर सकते हैं, जिनकी उन्होंने सूचनायें दी हैं। इस बात को देखते हुए कि माननीय सदस्यों को अपनी बातें कहने का अवसर अनुदानों की मांगों के अन्तर्गत प्राप्त है, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया है।

श्री गु० सिं० ढिल्लों अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री गु० सिं० ढिल्लों (तरनतारन) **:** जैसा कि मैंने कल कहा था वर्ष 1965 के भारत-पाक संघर्ष के बाद हमें कई सबक मिले हैं। जो सबक प्राप्त हुए हैं वे थल सेना तथा वायु सेना को सुदृढ़ बनाने के लिये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। गत कुछ वर्षों में संघर्ष के बाद हमारी प्रतिरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिरक्षा मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया है।

प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिये जिन लोगों की भूमि अर्जित की गई है, उन्होंने देशभक्ति का प्रदर्शन किया है। उन्होंने न केवल देशभक्ति का प्रदर्शन किया है, अपितु जासूसों के पकड़ने में भी सहायता की है। मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि जिन जमीन-मालिकों तथा किसानों की भूमि नई प्रतिरक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिये अर्जित की गई है, उनको तुरन्त मुआवजा दिया जाये। उन्हें तुरन्त मुआवजा केवल इस कारण से ही आवश्यक नहीं है कि उनके सामने आर्थिक संकट है, अपितु इसलिये भी आवश्यक है कि उन स्थानों की जनता वहां से चली न जाये तथा लोगों में कुछ विश्वास जागृत हो सके। इसके अतिरिक्त उन लोगों को भी मुआवजा दिया जाना चाहिये, जिनकी भूमि को गोलीबारी तथा अन्य युद्ध सम्बन्धी अभ्यास करने के लिये भारतीय सेनाओं ने अपने अधिकार में ले लिया है। उन्हें मुआवजा देना भी प्रतिरक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है।

सभा के समक्ष जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसमें देश की सुरक्षा के लिये कुछ खतरों का उल्लेख किया गया है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि अन्य कारणों के अतिरिक्त इस कारण से भी हमारी सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है कि आणविक अस्त्रों का विस्तार पूर्वा-नुमानित गति से अधिक तीव्र गति से हो रहा है। प्रतिवेदन में पाकिस्तान की सेना के विस्तार के बारे में भी बहुत सी बातों को स्वीकार किया गया है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 1965 के बाद पाकिस्तान की सेना दुगनी से भी अधिक हो गई है। उसमें पूरी दो बख्तरबन्द डिवीजनें जोड़ी गई हैं और जमीन की लड़ाई में अच्छी तरह से प्रशिक्षित 30 हजार नियमित व्यक्ति भी बढ़ा दिये गए हैं तथा आरक्षित सूची में भी लोगों को बहुत बड़ी संख्या में शामिल किया है, जिन्हें समय पड़ते ही बुलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी वायुसेना दुगनी कर ली है और उसे अत्यन्त आधुनिक लड़ाकू तथा बममार जहाजों से सुसज्जित किया है, जबकि हमारे पास अभी वही पुराने वैम्पायर और तूफानी हवाई जहाज हैं। उन्होंने अपनी नौसेना का भी विस्तार किया है और उसमें 8 जहाजों के अतिरिक्त 5 पण्डुब्बियां भी जोड़ दी गई हैं। लेकिन हमने क्या किया है? हमारे बजट में खर्च में जो वृद्धि हुई है, वह सशस्त्र सेनाओं के विस्तार के कारण नहीं हुई है, अपितु इस कारण से हुई है कि पेंशन, वेतन, भत्ते, मरम्मत, परिरक्षण आदि पर काफी खर्च किया गया है।

तिब्बत के साथ लगने वाली हमारी सीमा पर दबाव बढ़ रहा है। उस सीमा पर सेना के 16 डिवीजन तैनात किए हुए हैं। यह बड़ी चिन्ता की बात है कि हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान ने अपनी सेना का विस्तार कर लिया है, परन्तु हम वायु सेना, नौसेना और थल सेना को आधुनिक शस्त्रों से लैस करने के लिए बड़ी धीमी गति से चल रहे हैं। हम अपने छोटे हथियारों को भी नहीं बदल सके हैं। अतः मैं प्रतिरक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में प्रकाश डालें, क्योंकि प्रतिवेदन में इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

मुझे अन्डमान द्वीप समूह में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। वहां 250 से अधिक द्वीप हैं, जिनमें से अधिकांश द्वीप अरक्षित और निर्जन हैं। केवल कुछ ही दिन पहले एक समाचार

प्रकाशित हुआ था कि बर्मा ने अण्डमान द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर दावा किया है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कुछ ऐसे भी द्वीप हैं, जो इन्डोनेशिया से केवल 60 मील दूर हैं। हम हिन्द महासागर से ब्रिटिश प्रभुत्व को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। इन द्वीप समूहों में नौसेना की छोटी टुकड़ियों के अतिरिक्त ज्यादा सेना नहीं है। अतः इन बातों को ध्यान में रखते हुये हमें ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए जिससे हम एक ऐसी स्वतंत्र सेना बनाएं, जो तुरन्त कार्यवाही कर सके।

मैं इस मत से सहमत हूं कि अणु शस्त्रों के प्रसार को रोकने की संधि पर हस्ताक्षर करने के बारे में हमें स्वतंत्र रवैया अपनाना चाहिए। परन्तु हमारे अनुसंधान और विकास कार्य का प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के साथ निकट सम्बन्ध होना चाहिए। कुछ समय बाद यदि हम यह निश्चित करते हैं कि आणविक शस्त्रों के बिना हम कार्य नहीं कर सकते, तो हमारी ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि हम थोड़े समय में ही आणविक हथियार बना सकें।

श्री विश्वनाथन (वंडीवाश) : प्रतिरक्षा बजट प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। वर्ष 1960-61 में यह बजट 281 करोड़ रुपये का था और अब बढ़कर 1015 करोड़ रुपये हो गया है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

देश के जिम्मेदार व्यक्ति यह महसूस करते हैं कि प्रतिरक्षा बजट में काफी कमी की जानी चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद भी इस मत से सहमत है और मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में मद्रास के मुख्य मंत्री ने सुझाव दिया था कि प्रतिरक्षा बजट में कम से कम 100 करोड़ रुपये की कमी की जानी चाहिए। मैं उनके इस मत से सहमत हूं। मैं महसूस करता हूं कि स्थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के खर्च को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए और उसमें समन्वय किया जाना चाहिए।

प्रतिरक्षा मंत्रालय नौ सेना की उपेक्षा कर रहा है तथा वह इस बात को भूल गया। मालूम होता है कि हमारी समुद्री सीमा 3,000 मील लम्बी है और हमें इसकी रक्षा करनी है। हमारे पास कुछ थोड़े से जहाज हैं और हम इसको नौ सेना कहते हैं। नौ सेना की उपेक्षा शायद इसलिए की जा रही है कि हम समझते हैं कि समुद्र की ओर से हमला नहीं किया जायगा। वर्ष 1962 से पहले हम हिन्दी चीनी भाई-भाई कहते थे और हमें यह आशा न थी कि उत्तर की ओर से हम पर हमला होगा। इसी प्रकार हमें समुद्र सीमा के बारे में आत्म संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। स्थल सेना पर 563 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, जब कि नौ सेना पर केवल 38 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। हमें नौ सेना पर अधिक धन खर्च करना चाहिये और नौ सेना की दो कमान—एक पूर्वी कमान और एक पश्चिमी कमान बनाई जानी चाहिए।

इस समय यदि हमारी किसी जहाज की विशाखापत्तनम् से बम्बई अथवा कोचीन जाना होता है, तो उसे श्रीलंका का चक्कर काटकर जाना पड़ता है। हमें सेतु-समुद्रम परियोजना को

तुरन्त पूरा करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जहाजों के रास्ते में कोई विदेशी रुकावट नहीं आएगी तथा उन्हें एक विदेशी क्षेत्र से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। वाणिज्यिक लाभ के अतिरिक्त इसकी प्रतिरक्षा क्षमता भी महत्वपूर्ण है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि प्रतिरक्षा मंत्री इस मामले को प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रीय विकास परिषद के साथ उठायें ताकि यह परियोजना पूरी की जाये।

एक और समस्या है। प्रायः यह समाचार प्रकाशित होता रहता है कि "डिफेन्स इन्स्टीट्यूट आफ फिजियालोजी एन्ड अलाइड साइंसेज" को, जो इस समय मद्रास में स्थित है, बदलकर चण्डीगढ़ लाया जायेगा। मंत्री महोदय बतायें क्या यह सही है और यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं, जबकि भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री ने इस मामले को खत्म कर दिया था? इस संस्थान को मद्रास से बदल कर चण्डीगढ़ ले जाने का कोई औचित्य नहीं है। विशेषज्ञ समिति की सिफारिश का नाम लेकर इस संस्थान को मद्रास से चण्डीगढ़ नहीं ले जाया जाना चाहिये तथा प्रतिरक्षा मंत्री को यह स्पष्ट आश्वासन देना चाहिये कि इस संस्थान को मद्रास से स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।

प्रतिवेदन के पृष्ठ 18 पर लिखा है कि हिन्दी के प्रतिरक्षा सम्बन्धी शब्दों के बनाने में काफी प्रगति हुई है और दो हजार से अधिक ऐसे बना लिये गये हैं, जिनको वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की प्रतिरक्षा सम्बन्धी विशेष समिति ने मान्य घोषित कर दिया है और जिनका प्रतिरक्षा सेवाओं में इस्तेमाल किया जायेगा। उक्त पृष्ठ पर यह भी लिखा है कि उन शब्दों की एक शब्दावली प्रकाशित करने का निर्णय किया गया है।

इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार सशस्त्र सेना में अंग्रेजी के प्रयोग को बिल्कुल खत्म करना चाहती है और उसके स्थान पर हिन्दी लागू करना चाहती है। यह एक खतरनाक बात होगी। हमारे सैनिकों का हौसला बुलन्द है। हमें सेना में भाषा-विवाद का मामला नहीं उठाना चाहिए। मद्रास विधान सभा ने एक संकल्प पारित किया है और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में राज्य सरकार ने प्रतिरक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय छात्र-सेना का प्रशिक्षण या तो समाप्त कर दिया जाना चाहिए अथवा यह मातृ-भाषा या अंग्रेजी में दिया जाना चाहिए। परन्तु प्रतिरक्षा मंत्रालय ने यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके क्या कारण हैं?

प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और आयुध कारखानों में कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच बहुत अच्छे सम्बन्ध रहे हैं। परन्तु यह बात सही नहीं है। पिछले वर्ष हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर ने कर्मचारियों के कार्मिक संघ के छः पदाधिकारियों को निलम्बित किया गया था तथा लगभग 60 अथवा 70 कर्मचारियों को चार्जशीट दी गई थी। प्रबन्धकों ने हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रौनिक्स लिमिटेड और भारत अर्थ मूवर्ज लिमिटेड के कर्मचारियों के कार्मिक संघों के सभी कार्यकर्ताओं को निलम्बित कर दिया है। श्रमिकों की समस्याओं को सुलझाने के मामले में उदाहरण पेश करने की उपेक्षा सरकार की नीति कर्मचारियों को डराने, धमकाने की रही है।

मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि श्रमिकों को डराने, धमकाने, उन्हें सताने तथा उनके नेताओं को गिरफ्तार करने से स्थिति सुधरेगी नहीं, बल्कि और बिगड़ जायेगी। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह तुरन्त बंगलौर जाकर विवाद का हल निकालने का प्रयत्न करें।

जहां तक खर्च में मितव्ययिता करने का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं कि अनावश्यक खर्च में कमी करने की अपेक्षा सैनिकों के राशन में कटौती की जा रही है। क्या इस प्रकार खर्च में कमी की जा सकती है ? लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से पता चलता है कि सरकार ने एक ठेके को स्वीकार न करके 2 वर्षों में 9.79 लाख रुपए का घाटा उठाया है। दो अलग-अलग कारखानों में एक ही वस्तु बनाई जा रही है और एक कारखाने में उसका मूल्य दूसरे की अपेक्षा बहुत अधिक है। फिर भी मंत्रालय द्वारा अधिक लागत वाले संयंत्र को चालू रखा जा रहा है और इसके कारण उसे 10 लाख रुपये का घाटा उठाना पड़ रहा है। सेना के फार्मों का उदाहरण देखिए। इन फार्मों में दूध की लागत प्रति लिटर 1.85 रुपए आती है, जब कि खुले बाजार में दूध 97 पैसे प्रति लिटर के भाव से उपलब्ध है। इस फिजूल खर्ची को रोका जाना चाहिए।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने जवानों के प्रति हार्दिक सम्मान प्रकट करता हूं, जिसने हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अद्वितीय कार्य किया है। मैं गर्व के साथ यह बात कह सकता हूं कि भारतीय जवान के तुल्य विश्व के किसी देश का सैनिक नहीं है। वह परमवीर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें अपने जवानों की लड़ाई के मैदान में ही नहीं, अपितु अपने देश में भी सहायता करनी चाहिए। सैनिकों की मृत्यु हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनकी विधवाओं और बच्चों की समुचित देखभाल की जाए और इसके लिए तुरन्त उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए। मुझे कुछ ऐसे मामलों का पता चला है, जिनमें पेंशन के भुगतान में देरी की गई है। पेंशन के भुगतान के बारे में देरी नहीं की जानी चाहिए। सैनिकों के परिवारों को मुआवजे के रूप में भूमि दी जानी चाहिए।

एक और महत्वपूर्ण बात है और वह यह है कि सेवा निवृत्त सैनिकों को या तो पश्चिम क्षेत्र में अथवा पूर्वी क्षेत्र में चीनी सीमा के साथ सीमा पर बसाया जाना चाहिए। गत 18 वर्षों से हमें बड़ी कठिन परिस्थिति का मुकाबला करना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी अथवा चीनी घुसपैठिये हमारी सीमा में घुस आते हैं, और वे न केवल हमारे पशुओं को अपितु, हमारे देश की स्त्रियों को भी उठा ले जाते हैं। हमें स्त्रियों के इस अपमान को सहन नहीं करना चाहिए तथा इसे रोका जाना चाहिए। ग्रामीणों को भी हथियारों से लैस किया जाना चाहिए और उन्हें समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो कोई भी हमारी सीमा में घुसने का दुस्साहस करे, वह जीवित न बचने पाये।

यदि एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसरों को सेवा निवृत्त किया जा रहा है तो उनके लिये सरकारी क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में नौकरी की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। वे सुप्रशिक्षित कर्मचारी हैं और उन्हें शीघ्र ही नौकरी दी जानी चाहिए।

राष्ट्रीय छात्र सेना के बारे में लोगों के विभिन्न मत हैं । कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय छात्र सेना हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं है । कुछ लोगों का कहना है कि हमारे युवकों में राष्ट्रीय छात्र सेना के प्रति पर्याप्त उत्साह नहीं है । व्यक्तिगत रूप से मेरा यह मत है कि हमें स्कूलों और कालेजों में युवकों के लिये अनिवार्य प्रशिक्षण प्रणाली लागू करनी चाहिये । हमें हर आक्रमण के लिये तैयार रहना चाहिए । यह ठीक है कि हमारा देश शान्तिप्रिय है, परन्तु चीन तथा पाकिस्तान के आक्रमण ने हमें ऐसी स्थिति में ला दिया है कि न चाहते हुए भी हमें युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए । हमारा अस्तित्व सबल प्रतिरक्षा व्यवस्था पर निर्भर है । प्रतिरक्षा के मामले में हमें कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए । मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारी राजधानी तथा अन्य बड़े नगर शत्रु की मार से सुरक्षित नहीं हैं, इसलिये राजधानी तथा अन्य बड़े नगरों में समुचित प्रतिरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए ।

हम शान्ति चाहते हैं और शान्ति के लिये भगवान से प्रार्थना भी करते हैं परन्तु शान्ति उन्हें ही प्राप्त होती है जो शान्ति पाने के लिये सचेत रहते हैं । शान्ति चाहते हुये भी हमें पूर्ण सैनिक तैयारी करते रहना चाहिए । आज सैनिक प्रशिक्षण के अधिक स्कूल खोलने की आवश्यकता है । क्योंकि विद्यमान स्कूलों में केवल उच्च वर्ग के लोगों के बच्चे ही प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि एक बच्चे पर लगभग 250 रुपये प्रति माह खर्च करना पड़ता है । हमें छात्र सेना प्रशिक्षण की योजना को नहीं त्यागना चाहिए, बल्कि यह अनिवार्य बनाई जानी चाहिये ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

---

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : सरकार से मैं यह सिफारिश करना चाहता हूं कि सेवा निवृत्ति प्राप्त सैनिक तथा असैनिक योग्य अधिकारियों को सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में पुनः नियुक्त कर लिया जाना चाहिये । सैनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण इस प्रकार का होता है कि वे सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में अनेक कार्य सफलतापूर्वक कर सकते हैं । प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुसंधान संस्थाओं ने बड़ा ही सराहनीय काम किया है । इनमें ऐसी खोज की जाती है जिससे भारतीय वस्तुएं विदेशी वस्तुओं के स्थान पर प्रयुक्त की जा सकें, इन संस्थाओं में प्रतिभाशाली भारतीय वैज्ञानिक कार्य करते हैं । इन संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । पाकिस्तान को अमरीका तथा अन्य देशों से सैनिक सहायता मिल रही है । इस बात को ध्यान में रखते हुए तथा चीन से रक्षा की बात को ध्यान में रखते हुए वायु सेना की शक्ति बढ़ाई जानी चाहिये । हमें लड़ाकू और बमवर्षक विमानों का निर्माण अपने ही देश में करना चाहिये । नागरिक सुरक्षा के लिये विमान चालकों का एक संगठन बनाया जाये जो जरूरत के समय काम में लाया जा सके ।

विमान-भेदी प्रभाग को सुधारा जाये। अधिक असैनिक लोगों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। सैनिक गुप्तचर विभाग को आधुनिक रूप दिया जाये और उसकी गतिविधियां तेज कराई जानी चाहिये। वायु सेना के विस्तार के साथ-साथ नौसेना का विस्तार भी किया जाये, क्योंकि हमारी समुद्रीय सीमा 3000 मील लम्बी है। समुद्रीय गश्त व्यवस्था बढ़ाई जाये, जिससे न केवल सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि तस्कर व्यापार भी बन्द हो जायेगा। हमारे नौसेना के बेड़े को आज सबसे बड़ी आवश्यकता पन्डुब्बियों की है। पूर्वी और पश्चिमी कमान बनाने का निर्णय भी श्लाघ्यनीय है। हमारे बेड़ों को न केवल ब्रिटिश बेड़ों के बल्कि अन्य एशियाई देशों के बेड़ों के साथ भी अभ्यास करना चाहिये। सब एशियाई देशों को इस प्रकार के अभ्यासों में सहयोग के लिये एक संगठन बनाना चाहिये। जन-साधारण को कुछ जानकारी प्रदान करने के लिये असैनिक तथा सैनिक लोगों की विचार गोष्ठियां (टेटूज) आयोजित की जानी चाहिये।

कुछ लोग सभा में और इससे बाहर भी आणविक शस्त्र बनाने का सुझाव देते हैं। सुझाव तो अच्छा है क्योंकि अणु-शस्त्र बहुत ही शक्तिशाली हथियार होता है। परन्तु साथ ही हमें उनके निर्माण पर जो अत्यधिक लागत आती है, उस पर भी ध्यान देना चाहिये। क्या अणु-शस्त्र निर्माण की वेदी पर विकास कार्यों की बलि चढ़ा दी जाये? यदि अणु-शस्त्रों का निर्माण शुरू कर दिया गया तो सम्पूर्ण विकास-कार्य ठप्प हो जायेगा। मेरा यह सुझाव है कि हमें परमाणु सम्बन्धी ज्ञान को शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिये काम में लाया जाये। इन शब्दों के साथ मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : This year the Ministry of Defence has demanded Rs. 1,015 crores for defence expenditure. It is about $4\frac{1}{2}\%$ of the total national production. This House is going to pass these demands in only six hours' time. How can the representatives of the people have control over the defence expenditure involving such a colossal amount by having only 6 hours' debate on the matter ? This is a very short time. I would like to suggest that a small standing Parliamentary Committee should be appointed to exercise Parliamentary control over the defence expenditure. This committee will also give suggestions about checking the waste and inefficiency in defence preparedness. Secondly I want to emphasize the need of giving more detailed information about the Ministry of Defence. The information, which we get from the Report and other documents of the Ministry, is not adequate and it becomes difficult for us to have a debate on the basis of the facts and the information made available to us. Even in England, what to speak of U.S.A., more information about defence matters is given to Parliament.

Now the time has come when the people and the Government of India should seriously think as to what should be the objects of our defence and foreign policies. To defend our borders should be the first object of our policies. The misfortune has been that our Government pursued the weak-kneed and vacillating policies.

We should be powerful enough not only to protect our territorial borders but our naval frontiers also. We should have a powerful and fully equipped naval fleet at our command. It is a dire necessity of the time, and there are grounds for it. With the withdrawal of British Forces from the Indian Ocean a void will be created there. Moreover there about 300 small islands in

Indian Ocean and Arabian sea, which belonged to India and the responsibility of defending them. Our Government have failed in protecting Kachchativu Island. Ceylon has tried to take over that Island. On the other hand Burma is going to take possession of Narkondam Island. In view of bad intentions of neighbour countries now it has becamc necessary to set up posts in all Islands which are ours. Patrolling on coastal frontiers should also be introduced.

It is often said that China and Pakistan are helping miscreants and hostile elements in Kashmir and northern part of India. But what counter-measures are being taken by Government of India. In my opinion they should help those elements in Pakistan and China which want autonomy. Our Government should help Tibet and Pakhtoonistan in this matter. Our Government should adopt bold and active policy in respect of East Pakistan, Pakhtoonistan and Tibet.

In view of the security of the country people suggest that there should be ban on nuclear arms. But I would like to know whether Government favour nuclear non-proliferation treaty or prohibition of nuclear arms and destruction of the existing stock-piles. To favour the non-proliferation treaty will be to favour the move to give veto power to the five nations U. S. S. R., U.S.A., Britain, France and China, which possess the nuclear arms. It will create two class of nations—the privileged class possessing nuclear arms and the other unprivileged class not possessing them. We want that India should sign the treaty for prohibitions of nuclear arms and destruction of the existing stock-piles and not the mere nuclear non-proliferation treaty. So in respect of this question our Government should state their policy clearly. They should not succumb to U.S.-U.S.S.R. pressure being exerted for signing the nuclear non-proliferation treaty. If necessary India should call a conference of non-nuclear nations to resist this move.

To effect economy in the defence expenditure it has been decided to reduce the consumption of meat for the troops on experimental basis for 3 years. Such a step is not desirable and hence the consumption of the meat should be restored to full. We should not save money at the cost of our troops in peace and field areas. Moreover, I would like to suggest that the Border Security force should be brought at par with the military in respect of facilities provided. The Government should not relieve the Emergency Commissioned officers of their duties in the Army and send back to their original posts. May I know whether they are thrown out of the army for the more fact that these officers belong to lower strata of the society, while it is considered the monopoly of higher strata of the society to join the army? This is not justice with the E.C.Os, if E.C.Os, are shunted back like this, nobody will come to join army and serve the country, if any emergency arises in future.

Shri Kushok Bakula (Ladakh): Mr. Deputy speaker, I Support the demands of the Ministry of Finance. I congratulate the Defence Minister for the fact that Ladakh Militia has been given all those facilities which are available for our army personnel. Secondly, he deserved to be congratulated for providing an air service between Ladakh and Jammu and Kashmir, because the link road is closed for six months due to snowfall.

Ladakhi youths fought with bravery for defending India against external aggression in 1947 and 1962. No doubt, they were provided gallantry awards but no land is given to their families as the families of Jawans of Punjab and Rajasthan got. The dependents of those, who sacrificed their lives on the altar of defending the Motherland, got nothing except a petty

amount of Rs. 300 or Rs. 400. They are still facing great difficulties. They should be given more help. The Minister of Defence should pay special attention towards them.

I would like to suggest that the facility of waiting room should be provided at Leh aerodrome, because it is situated at distance of three miles from the town. During winter and in bad weather passengers have to wait sometimes for full day. So such an arrangement is necessary there. The Leh-Manali road should also be constructed from both points of view—security of the country as well as providing road facility of the local people for their convenience. Now traders have to bring their goods from Delhi or Bombay via Kashmir. If this Leh-Manali road is constructed, the distance will be sufficiently reduced.

Pakistan is trying to danger our freedom with the connivance of China. The post of Kargil, the highest hill in Ladakh is occupied by Pakistan. In 1965 conflict our Jawans successfully occupied the Kargil post. But after the conclusion of Tashkent the same post was returned back to Pakistan with the hope that Pakistan will restore peaceful and friendly relations with us. In the same hope tract of land measuring 300-350 miles was given to Pakistan in Kutch of Rann. But I do not think that Pakistan will fulfil our sacred hope.

The high altitude allowance of Rs. 30/- being given to our troops stationed on high altitudes in Ladakh should be at least doubled to Rs. 60/-, because they have to stay in open while defending Indian frontiers in cold weather at an altitude ranging from 15,000 feet to 20,000 feet.

I do not agree with one of the Hon. Members, who said that the Budget Demands of the Defence Ministry involved huge amount and it should have been reduced. In view of the unholy alliance of China and Pakistan, which may jointly attack India and in view of the atmosphere of lawlessness prevailing in the country I suggest that more funds should be allotted to this Ministry so that there may not be any kind of slackness in defence preparedness and in ensuring security to the country. With these words I support the Demands of the Defence Ministry in full.

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष प्रतिरक्षा मंत्रालय का बजट 1000 करोड़ रुपये से भी अधिक का है। 1961-62 में सुरक्षा व्यय 312 करोड़ रुपये था जो 1968-69 में बढ़कर 1015 करोड़ रुपये हो गया है। इसमें $3\frac{1}{2}$ गुणा वृद्धि हुई है या दूसरे शब्दों में 220 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि राष्ट्रीय आय इस अवधि में केवल 55.3 प्रतिशत बढ़ी है और प्रति व्यक्ति आय तो बिल्कुल बढ़ी ही नहीं है। इस दृष्टि से सुरक्षा व्यय मुद्रास्फीति, महंगाई और वर्तमान आर्थिक संकट के लिये जिम्मेदार है। देश को वर्तमान आर्थिक संकट से निकालने के लिये सुरक्षा व्यय को कम करना अनिवार्य हो जाता है। यह तभी सम्भव है जबकि अपने पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान से झगड़ों के निपटारे के लिये शान्तिपूर्ण समझौते करने के लिये गम्भीर रूप से प्रयास किये जायें। हमारे देश का व्यापारी वर्ग इस सुझाव का समर्थन नहीं करेगा क्योंकि वह तो तनाव बनाये रखने के पक्ष में है ताकि उसको प्रतिरक्षा मंत्रालय से उसके उत्पादन के लिये क्रयादेश मिलते रहें और वह धन कमाता जाये।

प्रतिरक्षा उत्पादन के मामले में दूसरे देशों पर आश्रित रहने का प्रश्न भी गम्भीर है। यह खेद की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 20 वर्ष बाद भी हम इस मामले में विदेशों पर आश्रित

हैं। सरकार को ऐसा प्रयास करना चाहिये जिससे पराश्रित होने की स्थिति समाप्त हो जाये। परन्तु इंगलैंड और अमरीका में हमारे सप्लाई की विद्यमानता इस बात का सबूत है कि सरकार ने इसके लिये कोई प्रयास नहीं किया। चौथी लोक-सभा की प्राक्कलन समिति ने अपने सत्ताइसवें प्रतिवेदन में सरकार की इस अकर्मण्यता के लिये भर्त्सना की है। दूसरों पर आश्रित रहने की प्रवृत्ति के कारण ही सरकार ने सुरक्षा अनुसंधान परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन मंजूर नहीं किया। उनके वित्तीय अनुमानों का केवल 50 प्रतिशत से भी कम मंजूर किया गया। इस कारण से ये परियोजनाएं अपने-अपने निर्धारित लक्ष्य पूरे न कर सकीं।

सुरक्षा व्यय में फिजूल खर्ची अत्यधिक होती है। लगभग 80 करोड़ रुपये की कीमत का सामान या तो फालतू या पुराना अथवा काम न आने योग्य पाया गया है। 1958 से यही स्थिति चली आ रही है। 72 करोड़ रुपये का सामान बेचने की सिफारिश की गई थी। परन्तु अक्टूबर 1967 तक केवल 10 करोड़ रुपये का सामान ही बेचा गया है। कुछ सैनिक संस्थानों, कृषि फर्मों और सैनिक सामान बनाने वाले कारखानों में अत्यधिक घाटा होता चला आ रहा है।

अब मैं अपने जवानों के बारे कुछ कहना चाहता हूं। सरकार ने उनके भत्तों में वृद्धि की हाल में घोषणा की है। परन्तु इससे जवानों की यह शिकायत दूर नहीं हुई कि सरकार अधिकारियों और अन्य रैंक के सैनिकों के साथ भेदभाव का बर्ताव करती है। यह सच है। सरकार ने उनकी सेवा की शर्तों में बड़ी विषमता पैदा की हुई है। सैनिक अधिकारियों को महंगाई भत्ता उसी दर पर मिलता है जिस दर से उसी वेतनमान वाले असैनिक अधिकारियों को मिलता है। परन्तु अन्य रैंक के सैनिकों को महंगाई भत्ता उसी वेतनमान वाले असैनिक कर्मचारियों को उपलब्ध भत्ते की दर पर नहीं मिलता। नगर प्रतिकरात्मक भत्ता भी उन्हें पूरा न मिलकर असैनिकों को उपलब्ध दर का $\frac{2}{3}$ मिलता है जबकि सैनिक अधिकारियों को पूरा मिलता है। मेरी यह मांग है कि सैनिक अधिकारियों और अन्य रैंक के सैनिकों पर सिद्धान्त समान रूप से लागू किये जाने चाहिये। जवानों से सम्बन्धित एक और समस्या यह है कि उनके परिवार वालों के दावों का निपटान शीघ्रता से नहीं किया जाता और इससे सैनिकों के परिवार वालों को अकथनीय परेशानी और कष्ट होता है। 31-3-1963 को ऐसे दावों की संख्या केवल 124 थी जो सितम्बर 1966 में बढ़कर 5062 हो गई है। इनमें से आधे मामले तो उन जवानों से सम्बन्धित हैं जो युद्ध में वीर गति प्राप्त कर चुके हैं। सेवा निवृत्त होने वालों के दावे भी समय पर नहीं निपटाये जाते जबकि नियम यह है कि सेवा निवृत्ति से एक वर्ष पूर्व सेवा से निवृत्त होने वाले के सब सम्बन्धित कागजात भेज दिये जायें। इस नियम का पालन नहीं किया जाता। जम्मू और काश्मीर सरकार छम्ब के क्षेत्र में सैनिकों के परिवारों को जबरदस्ती बसा रही है जबकि वे लोग वहां नहीं बसना चाहते। प्रतिरक्षा मंत्रालय को उनके पुनर्वास की समस्या पर ध्यान देना चाहिये। अन्त में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सेना के बड़े-बड़े अधिकारियों पर इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध लगाया जाये जिससे वह विदेशियों से घनिष्ठ सम्पर्क न स्थापित कर सकें। श्री जॉन स्मिथ के वक्तव्यों की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये और उनके आधार पर जांच करानी चाहिये, जिनमें उसने लिखा है कि भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों का सम्पर्क अमरीकी गुप्तचर विभाग के एजेन्टों से रहता है। इस प्रकार के

आरोपों की सरकार को जांच करानी चाहिये, क्योंकि ऐसी बातों की उपेक्षा करते रहने से सैनिक अधिकारियों को सत्ता हथियाने का अवसर मिल जाता है और लोकतंत्र के स्थान पर सैनिक शासन स्थापित हो जाता है। इस सम्भावना की पुष्टि से एक बार "ब्लिट्ज" में श्री एस० एस० खेरा, भूतपूर्व प्रतिरक्षा सचिव का वक्तव्य छपा था। यदि सैनिक अधिकारियों को इस प्रकार की स्वतंत्रता रही तो देश एक दिन बर्बाद हो जायेगा।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : वैसे तो प्रतिरक्षा मंत्री माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देंगे। फिर भी मैं प्रतिरक्षा उत्पादन, अनुसंधान और विकास से सम्बन्धित कुछ समस्याओं के बारे में कुछ तथ्य सभा के सामने रखना चाहता हूं। गैर-सरकारी क्षेत्र का प्रतिरक्षा तैयारी में क्या सहयोग होता है, इस बारे में भी मैं कुछ बताऊँगा।

वर्ष 1962 में चीन द्वारा तथा वर्ष 1965 में पाकिस्तान द्वारा हमारे देश पर आक्रमण किये जाने के कारण हमारे सामने नयी समस्याएं पैदा हो गयीं और हमने यह महसूस किया कि प्रतिरक्षा के लिये हथियार बनाने के सम्बन्ध में यथाशीघ्र आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। हमने यह भी महसूस किया कि विदेशों पर अधिक निर्भर न रहकर हमें अपनी विशेष परिस्थितियों के लिये आधुनिक प्रकार के शस्त्रास्त्र अपने देश में ही बनाने चाहिये। इस दिशा में हमने काफी प्रगति की है और हमारे आयुध कारखानों ने आधुनिक प्रकार के शस्त्रास्त्र सेना को दिये हैं। सेना को फिर से सुसज्जित करने के लिये उसे राइफल, कारबाइन, मोर्टर, भिन्न शक्तियों वाली तोपें और कई अन्य उपकरण दिये जा रहे हैं। इसके साथ-साथ सेना का काफी विस्तार किया गया है। उपरोक्त बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन आरम्भ हो गया है और सेना को उपकरण सप्लाई करने के सम्बन्ध में काफी प्रगति हुई है।

आयुध कारखानों की पुरानी मशीनों को बदल दिया गया है। आयुध कारखानों का आधनिकीकरण करने के कार्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद आयुध कारखानों ने नये और आधुनिकतम उपकरण और गोला बारूद की काफी बड़ी मांग को पूरा करने का प्रशंसनीय कार्य किया है। सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आयुध कारखानों में बनायी जाने वाली विभिन्न मदों पर वर्ष 1964-65 में केवल 64 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे जबकि वर्ष 1967-68 में 112 करोड़ रुपये खर्च होने की आशा है। अब हमारे आयुध कारखाने नवीनतम तकनीक वाले आधुनिक उपकरण बनाने में समर्थ हो गये हैं। उनमें अब नयी-नयी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। अब पहली बार नौसेना और वायुसेना के लिए भी कुछ नये शस्त्रास्त्र और गोला बारूद बनाने का काम आरम्भ किया गया है। इस सम्बन्ध में आयुध कारखानों को सेनाओं और अनुसन्धान तथा विकास संगठन से मिलकर काफी प्रयत्न करना पड़ा है।

प्रतिरक्षा उत्पादन में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड आदि सरकारी उपक्रमों ने भी काफी सहयोग दिया है। हमें आशा थी कि हिन्दुस्तान एयरोना-

टिक्स लिमिटेड के बंगलौर डिवीजन में वर्ष 1967-68 में 18 करोड़ रुपये का उत्पादन होगा परन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण इसमें हमारी आशा के अनुरूप उत्पादन नहीं हुआ है । इन कठिनाइयों की जांच की जा रही है और मुझे आशा है कि स्थिति में शीघ्र सुधार हो जायेगा ।

मिग विमान बनाने के लिये नासिक, कोरापुट और हैदराबाद में कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं । नासिक और हैदराबाद में उन वस्तुओं का निर्माण आरम्भ हो गया है जिनकी आवश्यकता पहले होती है । विमान जोड़ने का काम समय के अनुसार हो रहा है और हम वायु-सेना को कई मिग विमान दे चुके हैं । यह ठीक है कि विमान बनाने के सम्बन्ध में काफी प्रगति हुई है परन्तु फिर भी इस सम्बन्ध में बहुत कुछ करना अभी बाकी है ।

हमें इस बात का पता है कि बंगलौर में औद्योगिक सम्बन्ध उतने अच्छे नहीं जितने अच्छे होने चाहिये । जहां तक मंहगाई भत्ते का सम्बन्ध है, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कानपुर, कोरापुट, नासिक तथा हैदराबाद यूनिटों में एक समझौता हो गया था परन्तु बंगलौर यूनिट ने उस समझौते को मान्यता नहीं दी । इस मामले को हल करने में कर्मचारियों का हित बाधा उपस्थित कर रहा है । वास्तव में इस मामले के पीछे कुछ राजनीतिक चाल है ।

मजगान डाक, बम्बई, गार्डन रीच वर्कशाप, कालीकट और गोआ शिपयार्ड आदि जहाज बनाने वाले कारखाने प्रतिरक्षा उत्पादन में पर्याप्त सहयोग देते रहे हैं । लीनडर क्लास फ्रिगेट के निर्माण की योजना, जिसे मजगान डाक लिमिटेड में नौसेना ने आरम्भ किया है, कार्यक्रम के अनुसार चल रही है और आशा है कि इस वर्ष 23 अक्तूबर को प्रधान मंत्री इसे चालू करेंगी । फ्रिगेट के निर्माण के कार्यक्रम का समन्वय इस ढंग से किया जा रहा है । अक्तूबर 1971 से प्रत्येक वर्ष नौसेना को एक फ्रिगेट दिया जा सकेगा ।

माननीय सदस्य इस बात से संतुष्ट होंगे कि प्रतिरक्षा के अधीन जो सरकारी उपक्रम हैं उनमें उत्पादन तथा लाभ की प्रवृत्ति बनी हुई है । पिछले वर्ष इन उपक्रमों में 61 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ था जबकि वर्ष 1967-68 में इनमें 90 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ है । इसी प्रकार वर्ष 1966-67 में प्रतिरक्षा सरकारी उपक्रमों में निवेश पर 8.1 प्रतिशत लाभ हुआ जबकि इसके पिछले वर्ष में 7.1 प्रतिशत लाभ हुआ था जबकि वर्ष 1966-67 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सामूहिक रूप से 2.8 प्रतिशत लाभ हुआ था ।

इलैक्ट्रानिक उद्योग की प्रगति संतोषजनक ढंग से हो रही है । भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने सेना के संचार सम्बन्धी उपकरण के आधुनिकीकरण के काम को काफी हद तक पूरा कर दिया है । रडार और सूक्ष्म तरंग उपकरण के निर्माण के लिए एक नया कारखाना स्थापित करने की योजना आरम्भ कर दी गयी है । इससे वायुसेना की प्रतिरक्षा योजना की प्रगति में सहायता मिलेगी । अणुशक्ति विभाग द्वारा एक पृथक इलैक्ट्रानिक कारखाने की स्थापना की जा रही है ।

पिछले 9 या 10 वर्षों में अनुसन्धान और विकास के सम्बन्ध में जोरदार प्रयत्न किये

गये हैं। अब 29 संस्थान और प्रयोगशालाएं हैं जिनमें प्रतिरक्षा सम्बन्धी अनुसंधान के लगभग सभी काम होते हैं। इन संस्थानों में व्यावहारिक अनुसंधान पर अधिक बल दिया जाता है जिससे देशी कच्चे माल और संसाधनों के उपयोग से डिजाइन और उत्पादन में अधिक से अधिक आत्म-निर्भरता प्राप्त की जा सके। बुनियादी अनुसंधान के कार्य को अन्य एजेन्सियों पर छोड़ दिया जाता है, अनुसंधान एवं विकास संगठन के हाथ में इस समय 750 मुख्य परियोजनाएं हैं। कई परियोजनाओं के सम्बन्ध में बाहरी एजेंसियों का उपयोग किया जाता है। अनुसंधान एवं विकास बजट 5.24 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 14.12 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 6 या 7 वर्षों में अनुसंधान सम्बन्धी खर्च तिगुना हो गया है। इसके बावजूद हम यह महसूस करते हैं कि अन्य विकसित देशों की अपेक्षा भारत में अनुसंधान कार्य में कम खर्च होता है। परन्तु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे संसाधन और हमारी आवश्यकताएं अन्य देशों से भिन्न प्रकार की हैं।

यह कहना अनुचित है कि प्रतिरक्षा की तैयारी के सम्बन्ध में गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। यदि हम इस सन्बन्ध में ब्योरेवार विचार करें तो पता चलेगा कि प्रतिरक्षा उत्पादन के सम्बन्ध में सिविल क्षेत्र को काफी प्रोत्साहन दिया गया है। सप्लाई बढ़ाने में सिविल क्षेत्र प्रतिरक्षा सेवाओं की सहायता कर सकते हैं। वर्ष 1965 के अन्त में प्रतिरक्षा संभरण विभाग की स्थापना इसी प्रयोजन से की गई थी कि हथियारों और उपकरणों, फालतू पुर्जों का पूर्ण रूप से आयात न करके उन्हें देश में ही बनाया जाये। इस विभाग ने उत्साहजनक ढंग से प्रगति की है।

आयुध कारखानों के महा-निदेशक ने सिविल तथा गैर-सरकारी क्षेत्र से काफी सहायता प्राप्त की है। गैर-सरकारी क्षेत्र की सुस्थापित क्षमता का निरन्तर उपयोग करते रहने का विचार है। मेरा विचार यह है कि सिविल क्षेत्र में जितनी क्षमता सुस्थापित है उसके लिये प्रतिरक्षा उत्पादन एककों में उन वस्तुओं के लिये नयी क्षमता की स्थापना न की जाये। आधुनिक ढंग की प्रतिरक्षा सम्बन्धी वस्तुएं बनाने के लिये हम सिविल क्षेत्र को वित्तीय सहायता दे रहे हैं जिससे आपात स्थिति पैदा होने की स्थिति में कम समय में इस क्षेत्र को सक्रिय बनाया जा सके।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि प्रतिरक्षा कर्मचारियों को वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। परन्तु इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रतिरक्षा कर्मचारी औद्योगिक कर्मचारी मात्र नहीं हैं, उनका राष्ट्रीय जीवन में कुछ अपना विशेष महत्व है। यदि वे कोई ऐसी कार्यवाही करते हैं जिससे प्रतिरक्षा उत्पादन में बाधा पड़ती है तो उसका प्रभाव राष्ट्र के हितों पर पड़ता है। अत: इनकी जिम्मेदारी अधिक है। हम उनकी सही शिकायतों को दूर करने के लिये तैयार हैं परन्तु इसके साथ हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनका अनुशासन कायम रहे और उत्पादन में कोई बाधा न पड़े।

हम प्रतिरक्षा कर्मचारियों के साथ उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करने के लिये तैयार हैं। स्थायी बातचीत की व्यवस्था के बारे में हम विचार कर रहे हैं। जबलपुर आयुध

कारखाने के कर्मचारियों के आवास का प्रश्न उठाया गया था। हमने वहां पर लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत पर 2100 क्वार्टर बनाने की अनुमति दी है। इस दिशा में और परियोजनाएं भी बनाई जा रही हैं। हम 10-12 वर्षों तक इस समस्या का समाधान कर सकेंगे।

हाल ही में रात्रि ड्यूटी भत्ते की मंजूरी दी गयी है। प्रोत्साहन बोनस योजना को अधिक उदार बना दिया गया है। कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लिये चिकित्सा व्यवस्था में भी सुधार किया गया है।

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले कर्मचारी देश की प्रभुसत्ता की रक्षा करने के लिये आवश्यक उपकरण तैयार करने में लगे हैं। मैं जानता हूं कि हमारे कर्मचारी देशभक्त हैं और समय आने पर वह देश के लिये हर प्रकार का बलिदान दे सकते हैं। वे सुरक्षा के लिये सामग्री बनाते हैं और उन्हें न तो ऐसी कोई बात करनी चाहिये और न करने दी जायेगी जिससे इस काम में किसी प्रकार की बाधा पड़े। चाहे उनकी शिकायतें कितनी भी सही हों, उन्हें उत्पादन में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी। संयुक्त सलाहकार व्यवस्था का पूरा लाभ उठाया जाना चाहिये परन्तु उत्पादन में बाधा डालने से देश की सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मुझे आशा है कि सभी राजनीतिक दल इस कार्य में हमारे साथ सहयोग करेंगे जिससे कोई ऐसी घटना न हो जो उत्पादन में बाधक सिद्ध हो।

हम बहुत से महत्वपूर्ण शस्त्रास्त्र के निर्माण के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। हमने कई महत्वपूर्ण नये हथियार भी बनाये हैं। हम प्रतिरक्षा उत्पादन की प्रगति से हर प्रकार से संतुष्ट हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : जम्मू तथा काश्मीर में एम० ई० एस० के 1500-2000 कर्मचारियों को फील्ड में काम करने की कुछ रियायत मिल रही थी, उसे 1 मार्च, 1968 से बन्द कर दिया गया है। उन्होंने अपनी मांग के समर्थन में हड़तालें भी की थीं। क्या मंत्री महोदय इस मामले की छानबीन करेंगे?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं निश्चय ही इस मामले की जांच करूंगा। परन्तु मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जम्मू, ऊधमपुर तथा श्रीनगर को 'फील्ड' क्षेत्र नहीं माना जाता। जम्मू तथा श्रीनगर में यदि मुफ्त राशन की रियायत दी जाती थी तो अब वह स्थिति बदल गई है। फिर यदि यह रियायत वापिस ली जाती है तो उसके बदले नगर की स्थिति के अनुसार सामान्य प्रतिकर भत्ता दिया जाता है।

श्री समर गुह (कंटाई) : इस समय राष्ट्रीय राजस्व का तीसरा भाग प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में खर्च किया जा रहा है परन्तु फिर भी हम अपने शत्रुओं की नीति को समझ नहीं सके। हम चाहे पाकिस्तान को सारा काश्मीर भी सौंप दें तो भी भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की घृणा में कमी नहीं होगी। पाकिस्तान का अस्तित्व बनाये रखने के लिये वह भारत के साथ शत्रुता बनाये रखेंगे।

जहां तक चीन और पाकिस्तान का सम्बन्ध है, हमारी प्रतिरक्षा की समस्या अविभाज्य है और उनका रूप एक जैसा है। चीन और पाकिस्तान ने सांठगांठ कर रखी है और भारत को पराजित करना उनका लक्ष्य है। वे हमें सभी मोर्चों पर घेरना चाहते हैं। हमें उनकी इस युद्ध नीति को भलीभांति समझना चाहिये। यहां तक कि वे हमारे देश के भीतर भी मोर्चे बनाने में लगे हैं। नागालैंड, मिजो पहाड़ियों में चीन और पाकिस्तान द्वारा सहायता दी जा रही है, यह बात सब लोग जानते हैं। अतः चीन और पाकिस्तान हमारे देश के अन्दर भी विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसलिये हमें युद्ध क्षेत्र में ही नहीं बल्कि देश के भीतर भी उन शक्तियों का मुकाबला करना है। सीमा पर हमें चीन और पाकिस्तान दोनों की सेनाओं का एक साथ सामना करना है। पाकिस्तान ने अब अपनी वायु सेना को दुगना कर लिया है। पाकिस्तान ने अपनी नौ-सेना में पांच पनडुब्बियां प्राप्त कर ली हैं जबकि हमारे पास एक भी नहीं हैं। चीन ने भी आण्विक हथियारों के सम्बन्ध में बहुत प्रगति कर ली है।

इस प्रकार की गम्भीर समस्या के साथ निपटने के लिये हमें शत्रुओं की नीति को समझना चाहिये। हम उन्हीं की युद्धनीति से उनका मुकाबला कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रख कर हमें प्रतिरक्षा की तैयारी करनी होगी।

शत्रुओं की कोशिश यह है कि हमें अधिक से अधिक मोर्चों पर लड़ना पड़े। इस सम्बन्ध में मेरा पहला सुझाव यह है कि भारत और रूस में सहयोग होना चाहिये। यह ठीक है कि सरकार ने इस दिशा में कार्यवाही की है। परन्तु सरकार को सतर्क रहना चाहिये कि कहीं सैनिक सामान के साथ-साथ रूस साम्यवाद भी न भेज दे अर्थात् उसे साम्यवाद का प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। फिर बर्मा, मलयेशिया, इण्डोनेशिया तथा श्रीलंका के साथ हमें किसी रूप में रक्षा सम्बन्धी समझौता करना चाहिये। तीसरी बात यह है कि हमें अफगानिस्तान के साथ सुरक्षा सम्बन्धी तथा राजनीतिक समझौता करना चाहिये। भारत को फारमोसा सरकार के साथ भी सैनिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने चाहिये। यह कार्यवाही हमारे राष्ट्रीय हित में है। हमें ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये जिससे हमारे शत्रु अधिक मोर्चों पर उलझे रहें।

हिमालय के मोर्चे पर लड़ने के लिये हमें पर्वतों पर लड़ने वाली ऐसे लोगों की सेना तैयार करनी चाहिये जो उस क्षेत्र की जलवायु को जानते हों। तिब्बती सेना के हम कई डिवीजन बना सकते हैं। यदि सम्भव हो तो खम्पा लोगों को भी सेना में भरती किया जाना चाहिये। वे चीन का बड़ी वीरता के साथ सामना करेंगे।

फिर हमें पख्तूनों और पूर्व पाकिस्तान के स्वतन्त्रता आन्दोलन का जोरदार समर्थन करना चाहिये।

हमारी सशस्त्र सेनाओं के पास जो सैनिक उपकरण हैं उनकी ठीक प्रकार से जांच करनी चाहिये जिससे उनके दोषों को समय पर दूर किया जा सके। चीन भारतीय सीमाओं पर ऐसी

पुस्तकें भेज रहा है जिससे भारतीय सेना का साहस कम हो जाये। इसलिये हमें अपनी सेना में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना जागृत करनी चाहिये। उनमें सेवाभाव का संचार किया जाना चाहिये। हमारी सेना के लिये इस प्रकार का प्रशिक्षण चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करने में सहायक सिद्ध होगा।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

पच्चीसवां प्रतिवेदन

Shri Hardayal Devgun (East-Delhi) : I beg to move:

"That this House agrees with the Twenty-fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House".

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन से, जो 27 मार्च, 1968 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 1968
CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL 1968

(धारा 16 का संशोधन)
Amendment of Section 16

Shri Nihal Singh (Chandauli) : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Civil Procedure, 1908"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को उपस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Shri Nihal Singh : I introduce the Bill.

भूमिअर्जन (संशोधन) विधेयक—1968
LAND ACQUISITION (AMENDMENT) BILL—1968

(धारा 3, 5क आदि का संशोधन)
Amendment of Section 3, 5A etc.

श्री हेमराज (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को उपस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को उपस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री हेमराज : मैं विधेयक को उपस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक—1968
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—1968

(अनुच्छेद 329 का संशोधन)
Amendment of Articles 329

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India".

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Shiva Chandra Jha : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक—1968
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—1968

(अनुच्छेद 75 और 164 का संशोधन)
Amendment of Articles 75 and 164

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the constitution of India"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को उपस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक—जारी
INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL—Contd.

(धारा 292, 293 आदि का संशोधन)
Amendment of Sec. 292 and 293

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967 को 3 मई, 1963 को दीवान चमन लाल ने प्रस्तुत किया था उस पर जनमत जानने के लिए इसे 26 फरवरी, 65 को परिचालित किया गया था । जनमत सामान्य रूप से विधेयक के पक्ष में था । इसके बाद इसे 19 अगस्त, 1967 को प्रवर समिति के पास भेजा गया । प्रवर समिति ने विशेषज्ञ गवाहों को साक्ष्य देने के लिये बुलाया था ।

विधेयक में 'अश्लीलता' के परिभाषी का विस्तार करने का प्रयत्न किया गया है ताकि हमारी नवयुवक पीढ़ी पर वे प्रभाव न पड़े जिनसे किसी व्यक्ति का चरित्र गिर जाता है ।

बम्बई, मद्रास, दिल्ली और कलकत्ते जैसे बड़े शहरों की पटरियों पर अश्लील चित्रों वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं के रूप में बहुत खतरनाक सामग्री हमारे युवकों के हाथ बेची जा रही है ।

ऐसी कोई भी सामग्री जिससे नवयुवकों या प्रौढ़ों का नैतिक पतन होता है पर रोक लगायी जानी चाहिए ।

पहले केवल तीन महीनों की सजा और जुर्माने की रकम भी बहुत कम थी । अब इस विधेयक के अन्तर्गत सजा को दो साल तक बढ़ा दिया गया है और जुर्माने की रकम को भी 2000 रुपये कर दिया गया है । दूसरी बार या बाद में दोष सिद्ध होने पर पांच वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना किया जा सकता है ।

विधेयक में ऐसी सामग्री पर छूट की व्यवस्था की गई है जिसका प्रकाशन विज्ञान, साहित्य या कला के हित में वास्तु कला का ठीक-ठीक चित्रण किया गया है । इसी प्रकार प्राचीन और पुरातत्व सम्बन्धी स्थलों को भी इन उपबन्धों के कार्य क्षेत्र से बाहर रखा गया है ।

विधेयक का मुख्य उद्देश्य कला, धर्म को छोड़कर अन्य सब चीजों पर अश्लीलता पर रोक लगाना है जिन पर एक सभ्य व्यक्ति को आपत्ति हो ।

राजद्रोहियों को क्षमा कर दिया जाना चाहिये क्योंकि यह देखा गया है कि बहुत से राजद्रोही देश के शासक हुए हैं। एक चीज विदेशियों के लिये अश्लील नहीं हो सकती लेकिन भारतीयों के लिये अश्लील हो सकती है। भारतीयों को वेदों, गीता और कुरान का पाठ पढ़ाया गया है।

श्री चमन लाल ने इस विधेयक को प्रस्तुत करके जो राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है, राष्ट्र की सेवा की है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : यह विधेयक बहुत जटिल है। यह इतना सरल नहीं है जितना समझा जा रहा है। अतः इस विधेयक पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये। हमारे प्राचीन साहित्य और प्राचीन मूर्तिकला, कला, वास्तुकला और मन्दिरों में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसे वर्तमान पीढ़ी अश्लील समझ सकती है। ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को जल्दी में पास करना खतरनाक है। इस विधेयक को जांच के लिये विशेषज्ञों की प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये।

श्री कण्डप्पन (मैटूर) : हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इस सम्बन्ध में पूरी जांच करनी चाहिये। इस विधेयक में कला, विज्ञान और हमारे धार्मिक स्मारकों को छूट देने का प्रयास किया है। परन्तु प्राचीन रचना अर्थात् काम सूत्र और मन्दिरों में विभिन्न चित्रों तथा आधुनिक साहित्य और कला में कैसे फर्क किया जा सकता है?

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी अश्लील नहीं है क्योंकि अश्लीलता की ठीक परिभाषा नहीं दी गई है। पहले आप अश्लीलता की परिभाषा दें।

श्री कण्डप्पन : मन्दिरों में भी बहुत सी मूर्तियां अश्लील हैं और यदि हम उन्हें बने रहने की अनुमति देते हैं तो इसी प्रकार की अश्लीलता पर कैसे प्रतिबन्ध लगा सकते हैं।

मद्रास में हिन्दू धर्म में फैली अश्लीलता को दूर करने के लिये एक अभियान चलाया गया था।

जैसा श्री कृपालानी ने सुझाव दिया मैं इस बात से सहमत हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग इसको पसन्द नहीं करेंगे।

अश्लीलता की परिभाषा देना बहुत कठिन है। एक सामान्य व्यक्ति किसी पुस्तक को अश्लील नहीं समझता जबकि एक असामान्य व्यक्ति उसी पुस्तक को अश्लील समझाता है।

यह प्रश्न केवल पुस्तकों के सम्बन्ध में नहीं उठता बल्कि फिल्मों के सेंसर के सम्बन्ध में भी उठता है। उदाहरण के तौर यह मांग बहुत बार की गई है कि हमारी प्रादेशिक फ़िल्मों का सेंसर कठोरता से किया जाना चाहिये।

जब किसी भारतीय युवती और युवक को फिल्म में चुम्बन करते हुए दिखाया जाता है तो उसका तीव्र विरोध किया जाता है जबकि विदेशी फिल्मों में वे जो मर्जी आये करने के लिये स्वतन्त्र हैं।

इसी प्रकार दीवारों पर भी सभी प्रकार के पोस्टर लगाये जाते हैं जिनका हमारे देश के युवक और युवतियां अनुसरण कर सकते हैं। इस प्रकार की दोहरी नीति से कोई लाभ नहीं।

हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व उस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। यदि इस विधेयक को पास कर दिया गया तो देश में विभिन्न प्रकार के हिन्दी साहित्य, संस्कृत तथा तामिल आदि के सम्बन्ध में बहुत सी उलझनें उत्पन्न हो जायेंगी।

यह सब मामले बहुत तर्क संगत हैं। अतः हमें इस विधेयक को सहज ही पास नहीं करना चाहिये।

श्री राणे (बुलडाना) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो हमारा कुछ प्राचीन संस्कृत साहित्य और प्राचीन साहित्य से सम्बन्धित कुछ पुस्तकें भी इसके अन्तर्गत आ जायेंगी। इसके अलावा कुछ ऐसी कला कृतियां भी इससे प्रभावित होंगी जो सैकड़ों वर्षों से मन्दिरों पर अंकित हैं। इस विधेयक के खण्ड 2 (क) के अन्तर्गत हर चीज इससे प्रभावित होगी।

हमें इस विषय पर इतना अधिक संवेदनाशील नहीं होना चाहिए।

अधिकांश अश्लील कही जाने वाली पुस्तकें आयातित हैं। यदि सरकार इस प्रकार की चीजों को रोकना चाहती है तो उसे आयात करते समय ही पुस्तकों पर रोक लगानी चाहिये।

इस सम्बन्ध में दी जाने वाली सजा को बढ़ाया जाना मेरे विचार से उचित नहीं है क्योंकि बहुत से व्यक्ति पटरियों पर पुस्तकें बेचते हैं। क्या हम उन सबके विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। इस विधेयक का उपबन्ध चित्र, पुस्तक, पत्र लेख, रेखा चित्र और चित्रकारी पर लागू होता है। अतः इसके द्वारा लोगों को परेशान किया जायेगा अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

Shri Madhu Limaye : (Monghyr) I am sorry to oppose the Bill. The purpose of the Bill is not clear. There have been demands in England for making law liberal with regard to abortion, obscenity, drinking laws etc. (**interruptions.**)

Taking into consideration the traditions followed in India, I will request Shri Sharma to withdraw his motion.

This Bill is not applicable to ancient monuments, but it is applicable to ancient literature. Protection has not been given to new literature and art. Moreover it should not be left at the discretion of the Court that certain thing is obscene and certain thing is a piece of art. It is

necessary to make appropriate amendment in the Bill. Different views have been expressed by different Courts on the obscenity of a particular thing.

If this Bill passes it will help in creating such a society in which there will not be any development in the field of art, literature and science. Therefore, I will suggest that this Bill should be withdrawn.

डा० रानेन सेन (बारसाट) : यह विधेयक प्रतिकरात्मक है अतः मैं इसका विरोध करता हूं । यदि इस विधेयक की समीक्षा की जाये तो हमें ज्ञात होगा कि पुलिस को ही यह निर्णय करने का अधिकार दिया गया है कि अमुक साहित्य अथवा कलाकृति अश्लील है ।

पिछले वर्षों में सामाजिक विचारधारा में काफी परिवर्तन आ गया है । पहले जिस चीज को अश्लील समझा जाता था उसे अब अश्लील नहीं समझा जाता । यदि यह विधेयक अधिनियम बन जाता है तो हमें इस बात का सबूत देना पड़ेगा कि अमुक चीज साहित्य है···इस प्रकार सामाजिक प्रगति को रोकना उचित नहीं होगा । मेरी समझ में नहीं आता कि राज्य सभा ने इसे किस प्रकार पारित कर दिया ।

भ्रष्टाचर या सामाजिक अपराध का मुख्य कारण निर्धनता है । सभी सामाजिक अपराधों, अशिष्टताओं तथा अनैतिकताओं का मूल कारण यही है । इस विधेयक की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये और इसे पारित करने से पूर्व इस पर और चर्चा की जानी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में सभा की राय जानना चाहता हूं ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : इससे पहले कि आप सभा की राय जानें मैं विधेयक उपबन्धों के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख करूंगा क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि इसके कुछ उपबन्धों को गलत समझा गया है । वास्तव में विधेयक के उपबन्धों को और उदार बनाने का विचार है ।

श्री अ० त्रि० शर्मा : चूंकि यह विधेयक हमारे देश की संस्कृति और प्राचीन साहित्य के विरुद्ध है अतः मैं इसका तीव्र विरोध करता हूं । अश्लीलता की परिभाषा देना सम्भव नहीं ।

मेरे अपने ही राज्य उड़ीसा में सभी मन्दिरों में अश्लील मुद्रा वाले चित्र विद्यमान हैं । इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हमारी संस्कृति, साहित्य और प्राचीन पुस्तकों में इसकी अनुमति दी गई है ।

अतः इस विधेयक को कदापि पास नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री नम्बियार : इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 का जिसमें अश्लीलता की परिभाषा की गई है, और तीन महीने के दण्ड की व्यवस्था की गई है, संशोधन करना है । अब अश्लीलता के क्षेत्र को इस प्रकार से परिवर्तित करने का विचार है कि कुछ वस्तुएं अश्लीलता की सूची में न रहें और जो वस्तुएं अश्लीलता की सूची में रहेंगी उनके

लिये तीन महीने की सजा को बढ़ाकर दो वर्ष किया जा रहा है। मेरे विचार से सजा को तीन महीने से बढ़ाकर 2 वर्ष करना उचित नहीं है।

यदि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 में उल्लिखित दण्ड रखा जाता तो हमने इस विधेयक को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया होता। अब अश्लीलता की परिभाषा बहुत सीमित हो गई है।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : माननीय सदस्य अश्लीलता के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड प्रक्रिया में दिये गये वर्तमान उपबन्धों पर विचार करें। भारतीय दण्ड संहिता के दो सेक्शन—292 और 293 वर्तमान विधेयक से ततसंगत हैं। इनमें अश्लील वस्तु का बेचना, किराये पर देना या इसे परिचालित करना या इसका आयात या निर्यात करने का उल्लेख किया गया है। सदस्य इस सम्बन्ध में विचार करें।

सदस्यों ने अश्लीलता की परिभाषा को उदार बनाने का सुझाव दिया है।

विधेयक में दूसरा उपबन्ध उन नई वस्तुओं के बारे में किया गया है जो कला विज्ञान तथा साहित्य की कृतियां हैं। इन वस्तुओं को भी वर्तमान अधिनियम के दण्ड सम्बन्धी उपबन्धों में नहीं लाया जा सकता।

माननीय सदस्यों को शायद ज्ञात होगा कि यह विधेयक सर्वप्रथम दीवान चमन लाल द्वारा 1925 में केन्द्रीय विधान सभा में लाया गया था। उसके बाद यह विधेयक 1963 में फिर से दीवान चमन लाल द्वारा लाया गया। जब यह विधेयक राज्य सभा में लाया गया तो इसके बारे में बहुत सी गलतफहमियां हो गईं। विधेयक के प्रयोजन को उचित रूप से नहीं समझा गया और इसका विरोध किया गया। इसके बाद जनता की इस पर राय जानने के लिये इसे परिचालित कर दिया गया। इसके बाद विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया गया। प्रवर समिति में इस पर विचार किये जाने के पश्चात इस पर राज्य सभा में विचार किया गया और बिना कोई संशोधनों के इसे राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया।

अश्लीलता की व्याख्या नहीं की जा सकती।

इस विधेयक का एक अच्छा पहलू यह है कि इसमें यह व्यवस्था है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे मामलों की जांच जिला स्तर के न्यायाधीशों द्वारा की जायेगी। निचली अदालतों का अधिकार क्षेत्र वर्जित कर दिया गया है।

परिभाषा तथा दण्ड सम्बन्धी उपबन्धों को उदार बनाने के बाद भी यदि कुछ वस्तुएं अश्लील बतायी जाती हैं तो हमें कठोर दण्ड का समर्थन करना चाहिए।

[**श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुए**
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : क्या तीन महीने से लेकर पांच वर्ष तक की कैद की सजा दी जायगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह तो अधिकतम सजा है। जितना बड़ा अपराध होगा उतनी ही अधिक सजा होगी जिसका निर्णय न्यायालय करेगा।

कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमें एक उदार समाज की स्थापना करनी चाहिए। इस विधेयक का उद्देश्य भी यही है।

श्री मधु लिमये (मुंगेर): पर्याप्त नहीं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अधिक उदार बनाने के लिए माननीय सदस्य विधेयक ला सकते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को इसका विरोध नहीं करना चाहिए।

श्री नम्बियार : धारा 293 का संशोधन करने से स्थिति और अधिक खराब हो जायेगी। सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूं। इसमें सजा इतनी क्यों बढ़ाई गई है ? क्या इतनी अधिक सजा की व्यवस्था करना आवश्यक है। यदि यह तीन महीने से बढ़ाकर एक वर्ष अथवा छः महीने से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी जाती तो कोई बात नहीं थी किन्तु इसे बढ़ाकर सात वर्ष कर दिया है, यह बात समझ में नहीं आती।

श्री विद्याचरण शुक्ल : धारा 393 बीस वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि सभी मामलों में सात वर्ष की सजा नहीं दी जायेगी। केवल अति वाले मामलों में ही न्यायालय यह सजा देगा। जो व्यक्ति 20 वर्ष से कम उम्र वाले लड़के-लड़कियों को अश्लील साहित्य देते हैं उनके लिए सख्त सजा होनी ही चाहिए। ऐसे लोगों के लिए ही यह सजा रखी गई है।

श्री कण्डप्पन (मैटूर) : एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कला, साहित्य तथा अन्य साहित्य में किस प्रकार अन्तर किया जायेगा। अतः मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह कुछ और विस्तारपूर्वक इस बारे में बताएं। उदाहरणार्थ, तमिलनाड में देवादासी प्रथा थी। किन्तु अब तमिल भाषा में दासी का अर्थ वेश्या होता है। इसलिए मैं इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : चर्चा के बाद ऐसा लगता है आज से 40 वर्ष पहले क्रान्तिकारी आज प्रतिक्रियावादी हो गये हैं क्योंकि कभी-कभी कोई अपूर्ण कार्य बिल्कुल न किये गये कार्य से अधिक हानिकारक होता है। क्या यह उपबन्ध करते समय मंत्री महोदय ने श्री आनन्दकुमार स्वामी द्वारा कला के इतिहास में लाई गई क्रान्ति की ओर ध्यान दिया है ? क्या मंत्री महोदय ने बर्मा, कम्बोडिया, थाइलैंड, जापान आदि पड़ोसी देशों में इस सम्बन्ध में कानून का अध्ययन किया है। यहां पर 'लेडी चटर्लेज लवर' आदि का उल्लेख किया गया है। क्या हम इस सम्बन्ध में स्वतंत्ररूप से नहीं सोच सकते हैं।

इतिहास के पृष्ठों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि हमने यौन के सम्बन्ध में कभी भी पाखंड नहीं किया। हमने यौनेच्छा को जीवित रहने की इच्छा तथा सभ्यता के प्रचार और प्रसार का साधन समझा। हमारे मंत्रियों को काम सम्बन्धी विषयों के बारे में हमारे पूर्वजों की कृतियों का अध्ययन करना चाहिए। किन्तु लगता ऐसा है कि वे लोग भारतीय कृतियों का अध्ययन न करके कुछ विदेशी साहित्य को अपना आधार बनाते हैं। हम अपने मस्तिष्क को मुक्त रखना चाहते हैं और अपनी प्राचीन संस्कृति की भावना को बनाये रखना चाहते हैं। इसके लिए हमें संस्कृति को आधुनिक संदर्भ में समझने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारे नवयुवक जीवन की समस्याओं का दृढ़ता से सामना कर सकते हैं अतः हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे समस्या सुलझने के बजाय और उलझ जायेगी।

आज आवश्यकता इस बात की है कि संस्कृत साहित्य में तथा अन्य राष्ट्रीय भाषाओं के साहित्य में रोमांचकारी काव्य का क्या स्थान है, इस सम्बन्ध में विस्तृत विश्लेषण किया जाये। साहित्य का मनुष्य और उसके आदर्शों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। आप मूर्तिकला आदि की बात तो करते हैं किन्तु साहित्य के बारे में मौन हैं। यदि हमें अपने पड़ोसी देशों से सम्बन्ध बनाये रखने हैं तो हमें इस सम्बन्ध में उदारता से काम लेना चाहिए। हमें मनोरंजन के लिए कुछ न कुछ अवश्य चाहिए। यदि सभी बातों को अश्लील घोषित कर दिया जायेगा तो मनोरंजन के लिए कुछ रह ही नहीं जायेगा। मैं समझता हूं कि जीवन को सरस बनाये रखने के लिए प्राचीन प्रथाए बनी रहनी चाहिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुझे इस बात का खेद है कि माननीय सदस्य इस प्रकार बात कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस विधेयक के खंड (ख) की ओर दिलाना चाहता हूं। इस खंड में वह सब कुछ आ जाता है, जो माननीय सदस्य चाहते हैं। क्या अश्लील है और क्या नहीं है इसका निर्णय करने का अधिकार कम से कम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्तर के न्यायालय को दिया है। इससे कम स्तर के न्यायालय को यह अधिकार नहीं दिया गया है।

श्री म० ला० सोंधी : मंत्री महोदय का कहना है अश्लीलता का निर्णय करने का अधिकार न्यायाधीशों को दिया गया है। उदाहरण के लिए कामसूत्र को लीजिए, इस सम्बन्ध में न्यायाधीश क्या निर्णय दे सकता है जब तक कि सामाजिक निर्देश की व्यवस्था नहीं की जाती। अपने मूल्यों के अनुरूप सामाजिक, रचनात्मक और कलात्मक विषयों की पूर्ण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि ऐसा किया गया, तो कानून और व्यवस्था की समस्या कम हो जायेगी। इससे हमारे समाज में मानव जीवन के सभी आदर्शों की पूर्णता का ज्ञान होगा।

यह हमारे लिए एक चुनौती है जिसका हमें सामना करना है। इस पर कला, साहित्य और हमारी सांस्कृतिक-सभ्यता निर्भर है। मैं जानता हूं कि सरकार महात्मा गांधी के नाम का कई बार दुरुपयोग करती है। किन्तु मैंने महात्मागांधी की कृतियों का अध्ययन किया है। जीवन के अन्तिम दिनों में उनकी रुचि तंत्र शास्त्र की हो गई थी। अन्ततः यह कह सकते हैं कि इस विधेयक से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा अतः मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस विधेयक के द्वारा कानून को उदार बनाया जा रहा है।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : सभापति महोदय, इस विधेयक से हमारे सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई है। अश्लील साहित्य के कारण उत्पन्न सामाजिक समस्याओं का मूल्यांकन करते समय हमें यह देखना है कि इस विधेयक से वास्तव में समस्या का समाधान होगा। इस मामले में मैं श्री कृपालानी से पूर्णतः सहमत हूं। यह एक जटिल समस्या है। अश्लीलता की परिभाषा देना कठिन है। विधेयक में अश्लीलता की आंशिक परिभाषा ही दी गई है। यह परिभाषा पूरी नहीं है। उच्चत्तम न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधिपति ने अश्लीलता के एक मामले में अपना स्पष्ट मत व्यक्त किया था कि भारतीय दण्ड संहिता में अश्लीलता की कोई परिभाषा नहीं दी गई है । मैं समझता हूं कि अश्लीलता की परिभाषा विभिन्न समयों, विभिन्न समाजों तथा विभिन्न आयु के लोगों के लिए भिन्न-भिन्न होती है।

उदाहरण के लिए कामसूत्र को लीजिए, भारत के प्राचीन मन्दिरों को लीजिए। ऐतिहासिक कृतियां होने के कारण उन्हें कोई भी अश्लीलता की संज्ञा नहीं देता । किन्तु इन्हीं का आज पुनर्प्रस्तुतीकरण किया तो ये अश्लीलता के अन्तर्गत आयेंगी। प्रत्येक व्यक्ति को विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

अश्लीलता के मानदण्ड और मात्रा विषय और समय के अनुसार निरंतर परिवर्तनशील हैं। हमारे देश में निर्मित साहित्य तथा चित्रों के बाहर से आयातित चित्रों से भिन्न समझा जाना चाहिए । जहां तक अन्य देशों से आयातित साहित्य का सम्बन्ध है, इससे किसी व्यक्ति के व्यापार करने की स्वतंत्रता के अधिकार के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हम विदेशों से आयातित साहित्य प्रतिबन्ध लगा सकते हैं। लेकिन भारतीय साहित्य में यहां के लोगों के और अन्य कई अधिकार सम्बन्धित हैं। इसलिए हमें इस मामले में आयातित साहित्य के बारे में अपनाई जाने वाली नीति से भिन्न नीति अपनानी चाहिए।

इस विधेयक में किये जा रहे उपबन्ध के अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। अश्लीलता के सम्बन्ध में लोगों के अलग-अलग विचार होंगे किन्तु इस बात का निर्णय कैसे किया जा सकता है कि क्या अश्लील है। पुलिस जिस व्यक्ति को चाहे पकड़ सकती है। अतः इस आधार पर कि विशेष एक वस्तु से समाज का पतन होने की संभावना है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की इतनी व्यापक शक्तियां पुलिस अधिकारियों को देना अत्यन्त खतरनाक है।

कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो स्वतः अश्लील नहीं है । किन्तु कुछ स्वतः हो भी सकती हैं अतः अश्लीलता के बारे में उसका संदर्भ और उसकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इस विधेयक पर कई पहलुओं से विस्तृत रूप से विचार करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार का उपबन्ध इस समय किया जा रहा है उससे स्थिति में किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा और न ही कोई सामाजिक प्रयोजन किसी प्रकार पूरा होगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य श्री मधु लिमये ने एक संशोधन का पाठ मुझे दिया है। क्या मैं इसे इस समय में ले लूं।

श्री मधु लिमये : चर्चा के अन्त में।

श्री क० नारायण स्वामी : माननीय सदस्यों को भी यह संशोधन बांटा जाये।

सभापति महोदय : सामान्य चर्चा के बाद हम यह संशोधन लेंगे। तब तक मंत्री महोदय भी इसे देख लें।

श्री मधु लिमये : मंत्री महोदय को मैं इसके बारे में बता दूंगा।

Shri Rabi Ray (Puri) : Mr. Chairman, I rise to oppose this Bill. Though the mover of this belongs to the Congress party, some senior Members belonging to the same party have also opposed it. The Bill in its present form will stand in the way of progressive art. Obscenity should be defined in the present context because it has different meanings at different times. Things which were considered obscene sometime ago are considered ordinary things of today. Keeping in view these facts the Bill should be suitably amended. Works of literature, art and sculpture should not be considered obscene.

We should try to understand our ancient culture and literature. Whatever is good in that should be properly understood. We should try to develop our culture in the light of proper understanding of our ancient culture. We should be more liberal in this regard.

It is not justified to empower the police to decide whether a particular book or work of art is obscene or not.

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै) : मैं मूल अधिनियम में उन संशोधनों का स्वागत करता हूं जिनका उद्देश्य कानून को उदार बनाना है। किन्तु प्रस्तावित संशोधन से हमारी संस्कृति में ह्रास की समस्या हल नहीं हो सकती है। अश्लीलता उसी ह्रास की प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति है। हमारी संस्कृति में ह्रास बाहरी और आन्तरिक दोनों कारणों से हो रहा है। आज हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करना अपनी शान समझते हैं। हमारे लड़के-लड़कियों में पाश्चात्य संस्कृति की अनुकरण करने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है।

अमरीका के व्यापारी अपने व्यापार हितों को बढ़ाने के लिए नये प्रतिमान बनाते हैं उन्हें मंच पर इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि लोग उनकी ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाते हैं। हमारे देश के लोग भी अपने व्यापार में वृद्धि करने के लिए अमरीका का अनुकरण करके उन्हीं प्रतिमानों को अपनाते हैं। 'नाइट क्लब' अमरीका की दूषित संस्कृति के ही प्रतीक हैं। हमारे यहां राजधानी में 'नाइट क्लब' उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं। जहां तक अश्लील साहित्य के प्रकाशन का प्रश्न है, हमारे देश में बड़े-बड़े व्यापारियों के पास अश्लील पुस्तकें, चित्र आदि प्रकाशित करने की अपनी व्यवस्था है। वे ऐसा बड़े नियोजित रूप से करते हैं। यदि वास्तव में अश्लील साहित्य का प्रसार और प्रचार बन्द करना है, तो सबसे पहले इन व्यापारियों पर रोक लगनी चाहिए।

आज हमें जिस समस्या को हल करना है, वह है देश के पतन की समस्या, यदि यह समस्या हल नहीं की गई तो हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे।

Shri Hem Raj (Kangra) : Mr. Chairman, different views have been expressed by the Hon. Members on this Bill. I am of the view that for the first time an attempt has been made to define the word obscene. This is a very good step. The Court has been given the power to exempt a work of art, literature or science from coming within the definition of obscene literature.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

The sale or possession of pornographic literature should not be made a cognizable offence, because such a provision will give powers to police to harass people.

A clarification should be made whether the sale of photographs of erotic scenes outside the temples in Khajuraho, Konark and Jagannath Puri will come within the definition of obscenity. Sale of such photograph should not be allowed.

With these words I support the Bill.

श्री लोबो प्रभु : मुझे लगता है कि इस विधेयक में स्पष्टता नहीं है । हमें वास्तव में यौन सम्बन्धी विषयों के वाणिज्यीकरण पर आपत्ति है । यौन सम्बन्धी विषयों के बारे में कोई बुराई नहीं है क्योंकि कला तथा धर्म की अन्य बातें इससे सम्बन्धित हैं । किन्तु जब उनका प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता है तो उनका स्वरूप ही विकृत हो जाता है । हमें एक ऐसा विधेयक लाना चाहिए जिसमें अश्लीलता के वाणिज्यीकरण पर दण्ड देने की व्यवस्था हो । इसलिए इस विधेयक पर किसी अन्य अवसर पर विचार किया जाय या इसे प्रवर समिति को सौंपा जाये ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस विधेयक का उद्देश्य वही है जिसका उल्लेख अभी माननीय सदस्य श्री लोबो प्रभु ने किया है । इसमें यौन सम्बन्धी विषयों को नहीं छोड़ा गया है । सभी तरह का वाणिज्यीकरण भरतीय दण्ड संहिता के दण्ड सम्बन्धी उपबन्धों के अधीन रखा गया । विधेयक में सभी बातों की परिभाषा नहीं दी जा सकती है । कुछ बातों के बारे में निर्णय करने का अधिकार न्यायालय को देना उचित है ।

श्री कण्डप्पन : नियम 109 के अधीन मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर चर्चा स्थगित की जाये ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि सभा चाहे तो मुझे इस विधेयक पर चर्चा के लिए अधिक समय निर्धारित करने में कोई आपत्ति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने नियम का उल्लेख किया है । यदि इस विधेयक के प्रस्ताव पर श्री दी० चं० शर्मा सहमत हों तो इस विधेयक पर चर्चा स्थगित की जा सकती है ।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं वाद-विवाद का उत्तर देना चाहता हूं । इसे आज ही पूरा हो जाने दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य समझते हैं कि इस पर और विचार होना चाहिएं तो यह विधेयक स्थगित किया जा सकता है ।

श्री दी० चं० शर्मा : इसे कैसे स्थगित किया जा सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने दूसरे विधेयक का प्रस्ताव कीजिए। हमने पहला विधेयक स्थगित कर दिया है।

दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक
DELHI RENT CONTROL (AMENDMENT) BILL

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 15 दिसम्बर, 1967 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई और 16 दिसम्बर, 1967 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा श्री एम० पी० भार्गव के दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिए लोक-सभा के निम्नलिखित 20 सदस्यों को नामनिर्देशित किया जाये, अर्थात् :

(1) श्री बश्वेश्वर नाथ भार्गव (2) श्री महाराज सिंह भारती (3) चौधरी ब्रह्म प्रकाश (4) श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (5) श्री विनय कृष्ण दास चौधरी (6) श्री हरदयाल देवगुण (7) श्री सी० टी० दंडपाणि (8) श्री हरिकृष्ण (9) सरदार इकबाल सिंह (10) श्री लषण लाल कपूर (11) श्री भानुदास रामचन्द्र कावड़े (12) श्री लताफत अली खां (13) श्रीमती सुचेता कृपालानी (14) श्री बाकर अली मिर्जा (15) डा० सुशीला नायर (16) श्री जगन्नाथ राव (17) श्री फणि गोपाल सेन (18) श्री सत्य नारायण सिंह (19) श्री एस० जवियर (20) श्री दीवान चन्द शर्मा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 15 दिसम्बर, 1967 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई और 16 दिसम्बर, 1967 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा श्री एम० पी० भार्गव के दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिए लोक-सभा के निम्नलिखित 20 सदस्यों को नामनिर्देशित किया जाये, अर्थात् :

(1) श्री बश्वेश्वर नाथ भार्गव (2) श्री महाराज सिंह भारती (3) चौधरी ब्रह्म प्रकाश (4) श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (5) श्री विनय कृष्ण दास चौधरी (6) श्री हरदयाल देवगुण (7) श्री सी० टी० दंडपाणि (8) श्री हरिकृष्ण (9) सरदार इकबाल सिंह (10) श्री लषण लाल कपूर (11) श्री भानुदास रामचन्द्र कावड़े (12) श्री लताफत अली खां (13) श्रीमती सुचेता कृपालानी (14) श्री बाकर अली मिर्जा (15) डा० सुशीला नायर (16) श्री जगन्नाथ राव

(17) श्री फणि गोपाल सेन (18) श्री सत्य नारायण सिंह (19) श्री एस० जेवियर (20) श्री दीवान चन्द शर्मा।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

कार्मिक संघ मान्यता विधेयक

RECOGNITION OF TRADE UNION BILL

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I beg to move:

"that the Bill to encourage trade Unionism among the employees and to provide for collective bargaining between the employers and representative trade unions of employees, be taken into consideration."

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस विधेयक से संलग्न वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है कि कार्मिक संघ प्राधिकार पर लगभग 2 लाख रुपये प्रति-वर्ष व्यय करने की व्यवस्था इस विधेयक में की गई है। संविधान के अनुच्छेद 117 (3) के अनुसार यह व्यय भारत की संचित निधि में से व्यय होगा अतः जब तक राष्ट्रपति सभा से इसकी सिफारिश न करे तब तक उसे सभा पारित नहीं कर सकती है। इस विधेयक के साथ राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं है। अतः इस विधेयक को स्थगित किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : 5 मार्च के बुलेटिन देखने से स्पष्ट हो जायेगा कि इसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति ली गई है। बुलेटिन में राष्ट्रपति की स्वीकृति होना ही पर्याप्त है। यही मेरा विनिर्णय है।

Shri Madhu Limaye: Mr. Deputy-Speaker, the Bill Provides for making it obligatory for employers to recognise representative unions. It is essential to do so because employers had in the past not observed the Code of conduct.

At present there are more than one union in certain industries. The conflicts among these unions often disturbs industrial peace. These unions quarrel among themselves on the question of getting recognition. A machinery should be evolved to decide as to which union is a representative union.

The Bill also seeks to modify the provision regarding decision about a representative union in the Bombay Relation Act. It is being provided that workers should be given a chance one in two years to decide by ballot whether a particular union is representative or not.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

राज्य-सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना देनी है :

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 28 मार्च, 1968 को हुई अपनी बैठक में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 संबंधी संयुक्त समिति में सम्मिलित होने की लोक-सभा की सिफारिश से सहमत हो गई है और उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य नामनिर्देशित किये हैं :

(1) श्री नेकी राम (2) श्री दयाल दास कुर्रे (3) श्री खेमचन्द भाई सोभा भाई चावड़ा (4) श्री डी० संजीवैय्या (5) श्री शील भद्रयाजी (6) श्री यमन सिंह एम० सांगमा (7) डा० श्रीमती फूलरेणु गुह (8) श्री लोकनाथ मिश्र (9) श्री बी० येल्ला रेड्डी (10) श्री बी० बी० खोबरागड़े (11) श्री सुन्दर सिंह भण्डारी ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) हरयाणा विनियोग विधेयक, 1968

(2) हरयाणा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1968

(3) पश्चिमी बंगाल विनियोग विधेयक, 1968

(4) पश्चिमी बंगाल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1968

**जॉन स्मिथ द्वारा लिखित "आइ वाज ए सी० आई० ए० एजेंट" पुस्तक

JOHN SMITH'S BOOK "I WAS A C.I.A. AGENT"

श्री चक्रपाणि (पोन्नाणि) : उपाध्यक्ष महोदय, यह पहला अवसर नहीं है जबकि हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सी० आई० ए० के बारे में पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है और इस मामले की विस्तृत जांच करने की मांग की गई है। भूतपूर्व वैदेशिक-कार्य मंत्री ने सभा को आश्वासन दिया था कि इस मामले की विस्तृत जांच की जायेगी।

गृह-कार्य मंत्री महोदय ने अब राज्य सभा में बताया है कि एशिया फाउंडेशन ने यह स्वीकार कर लिया है कि उसे सी० आई० ए० तथा अन्य संगठनों से धन मिलता है। एशिया

**आधे घंटे की चर्चा

**Half-an-Hour Discussion.

फाउंडेशन ने इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दि फाउंडेशन फार न्यू एजूकेशन और गांधियन इंस्टीट्यूट आफ स्टडीज आदि संस्थाओं को धन दिया है। एशिया फाउंडेशन से इंडियन सोसायटी आफ इण्टरनेशनल ला और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ कांस्टीट्यूशन एण्ड पार्लियामेन्टरी स्टडीज आदि संस्थाओं को बहुत अधिक धन मिला है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एशिया फाउंडेशन ने इन संस्थाओं को कितना धन दिया है और इन संस्थाओं ने सी० आई० ए० के लिए क्या-क्या कार्य किए हैं।

गृह-कार्य मंत्री ने राज्य सभा में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने एशिया फाउंडेशन पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश दे दिये हैं। किन्तु मेरी जानकारी के अनुसार यह संस्थान अभी तक कार्य कर रहा है। मैं इस सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है। यह एक विचित्र बात है कि गृह-कार्य मंत्री महोदय कहते हैं कि एशिया फाउंडेशन के विदेशी अधिकारियों को भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया है किन्तु ऐसा लगता है कि सरकार ने इसके आदेश नहीं दिये हैं।

इस सम्बन्ध में सरकार दृढ़तापूर्वक कार्यवाही क्यों नहीं करती, यह बात समझ में नहीं आती। ऐसा लगता है कि गृह-मंत्रालय के अधिकारियों की सी० आई० ए० के साथ कुछ सांठ-गांठ है क्योंकि जब गृह-मंत्रालय ने भारत में सी० आई० ए० की गतिविधियों के विस्तार के प्रश्न को गंभीरतापूर्वक उठाया है तो उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करनी चाहिए थी।

श्री स्मिथ ने स्वयं स्वीकार किया है कि वे सेना सम्बन्धी महत्वपूर्ण कागजात धन के बदले प्राप्त कर सकते थे। उन्होंने इस बात को भी बताया है कि डा० राम सुभग सिंह और सी० आई० ए० के बीच भी सम्बन्ध हैं। उन्होंने सेना के सम्बन्ध में बताते हुए कहा कि वाशिंगटन ने हमेशा भारतीय सेना में एक अमरीकी पक्षाग्रही दल की आवश्यकता पर बल दिया। इसके लिये अमेरिकन इन्टैलीजेन्स ने सारे देश में अपने एजेन्टों का एक जाल सा बिछा दिया। उन्होंने सेना के दोनों छोटे तथा बड़े अधिकारियों से सांठ-गांठ करने के लिये अपने गुप्तचर छोड़े, इस कार्य के लिये उन्होंने धन, समय और व्यक्तियों की कोई परवाह नहीं की। श्री स्मिथ ने लिखा है कि सी० आई० ए० ने एक भारतीय मंत्री के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित किया। इसके लिये उन्होंने विशेषरूप से श्री राम सुभग सिंह का उल्लेख किया है। मैं सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि एक प्रमुख पत्रकार श्री पियर्सन ने वाशिंगटन पोस्ट में अपने एक लेख में कहा है कि सी० आई० ए० धन का एक बड़ा भाग पोस्ट, टेलीग्राफ एण्ड टेलीफोन इन्टरनेशनल के द्वारा सारे विश्व के विभिन्न श्रम संगठनों को दिया जाता है। सी० आई० ए० के द्वारा प्रतिवर्ष 10 करोड़ डालर वितरित किया जाता है।

मैं बताना चाहता हूं कि भारत में नेशनल फैडरेशन आफ पोस्ट्स एण्ड टेलीग्राफ्स वर्क्स पोस्ट, टेलीग्राफ एण्ड टेलीफोन इन्टरनेशनल के साथ सम्बन्धित है और उसकी भारतीय शाखा डा० राम सुभग सिंह के अधीन काम कर रही है।

अमरीकी एजेन्सियां त्रिवेन्द्रम में काम कर रही हैं और वे केरल मंत्रिमंडल को उलटने का प्रयत्न कर रही हैं। त्रिवेन्द्रम में जो सी० आई० ए० एजेन्ट हैं, वे केरल में कांग्रेस द्वारा नियंत्रित संगठनों में धन लगा रहे हैं। सी० आई० ए० 'केरल ध्वनि' और 'मलयालम मनोरमा' नामक दो पत्रों को धन दे रही है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे इन मामलों की जांच करने के लिये एक संसदीय समिति का गठन करने के लिये तैयार हैं? पुलिस की जांच से काम नहीं चलेगा। लगता है गृह मंत्रालय के अधिकारी सी० आई० ए० के एजेन्टों के साथ मिले हुए हैं। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि मंत्रियों तथा सरकारी अधिकारियों के संबंधियों को सी० आई० ए० की संस्थाओं या सी० आई० ए० से किसी भी रूप में सम्बन्धित संस्थाओं के साथ कोई सम्पर्क स्थापित नहीं करने देना चाहिए या उन्हें उनमें काम नहीं करने देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सबको तो नहीं, केवल उन्हें जिनके नाम बैलट में आये हैं, प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Whether there is any such law under which private and semi-Government Organisations have to notify to the Government about the funds they receive from foreign countries? If not so, whether the Government will formulate such a law? According to the report of the Central Intelligence Bureau which are those political parties which received foreign money during the Fourth General Elections?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट गृह-मंत्रालय को मिल चुकी है। क्या यह सच है कि इस रिपोर्ट को प्रकट न करने का कारण यह है कि इसमें महत्वपूर्ण राजनीतिक नेताओं, मंत्रियों, सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षासेवाओं के कर्मचारियों के नाम दिये हुए हैं?

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : यदि विदेशों से प्राप्त होने वाले सार्वजनिक धन के सम्बन्ध में जांच की जायगी तो क्या यह सी० आई० ए० तक ही सीमित रहेगी? रूसी मशीनरी का इस देश में आयात करने वालों को जो 10 प्रतिशत कमीशन की अनुमति है, उसकी जांच की जायेगी। सरकार को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या इन एजेन्टों को इस प्रकार के अनुदेश हैं कि कमीशन का एक बड़ा भाग कम्युनिस्ट पार्टी को दे दिया जाये?

सी० आई० ए० के धन का इस देश में स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि देश-हित के उपयोग में आने वाला धन स्वागत योग्य है।

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि सी० आई० ए० एजेन्टों तथा नागा विद्रोहियों के बीच सन् 1956 के आसपास कोई बैठक हुई थी और उन्होंने नागाओं का समर्थन किया था? क्या अमेरिका द्वारा सी० आई० ए० का प्रयोग दूसरे देशों के साथ हमारे सम्बन्धों को बिगाड़ने के लिये किया जा रहा है?

सी० आई० ए० की आपत्तिजनक गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार भविष्य में क्या कार्यवाही करना चाहती है?

ऐसी रिपोर्ट भी मिली है कि सी० आई० ए० एजेन्टों ने हमारे खाद्य आन्दोलन को विफल बनाने के प्रयत्न किये। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके अनाज के लिये एक अच्छा ग्राहक बना रहे।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : सी० आई० ए० के धन का प्रश्न, श्री जॉनस्मिथ की रिपोर्ट तथा अन्य सम्बन्धित विषयों पर यहां सभा में कई बार चर्चा हो चुकी है और इन समस्याओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को सम्पूर्ण देश जानता है।

पहले मैं, पिछले आम चुनावों में उपयोग में लाये गये विदेशी धन के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के प्रश्न को लेता हूं। यह रिपोर्ट ऐसी जानकारी पर आधारित है जिसे विश्वसनीय निष्कर्षों का आधार नहीं माना जा सकता। इसलिये इसका अध्ययन व्यापक निष्कर्षों की दृष्टि से किया जा रहा है, इसमें कुछ और समय लगेगा। व्यापक निष्कर्षों पर पहुंचने पर मैं इससे सम्बन्धित जानकारी सभा में सभी वर्गों के नेताओं को दूंगा।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि सी० आई० ए० के साथ हमारा रुख कैसा है तो यह मूलतः एक गुप्त सेवा है। गुप्त सेवा से किसी भी रूप में प्राप्त धन को जहर समझना चाहिए। जब कभी अथवा जहां कहीं हमें पता चला कि किसी संगठन ने सी० आई० ए० के पैसे का उपयोग किया है और इस बात का प्रमाण मिला तो हमने निर्णय लिया कि इस प्रकार की गतिविधि पर पूर्णतः रोक लगा देनी चाहिये।

एशिया फाउन्डेशन के मामले में, उनके स्वयं स्वीकार करने पर इस बात का पता चला है कि उन्हें सी० आई० ए० से कुछ धन प्राप्त हुआ जिसका इस देश में उपयोग किये जाने की सम्भावना थी, हमने उस धन को जहर के समान समझा और एशिया फाउन्डेशन को कहा है कि वह इस देश में अपनी गतिविधि समाप्त कर दे। इस संगठन को अपनी गतिविधि समाप्त करने में कुछ समय लगेगा और जहां तक मेरी जानकारी है मई के महीने में इसके सारे अमरीकी कर्मचारी चले जायेंगे और उसके बाद इसका कार्यालय बन्द कर दिया जाएगा। इस देश में काम करने वाली एशिया फाउन्डेशन तथा अन्य फाउन्डेशनों ने सरकार के परामर्श से कुछ परियोजनाओं को चालू कर रखा है। उदाहरणार्थ, एशिया फाउन्डशन ने शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से कुछ बहुत अच्छी परियोजनाएं चालू की हैं। किन्तु हमने उसे स्पष्ट रूप से बता दिया है कि अपना कार्य समाप्त करते हुए उसे और परियोजनाओं को आरंभ नहीं करना चाहिए।

अब श्री जॉन स्मिथ का प्रश्न आता है, वह स्वयं एक गुप्तचर हैं, वह सी० आई० ए० में काम कर रहे थे और भारत स्थित अमरीकी दूतावास में भी। अब वह एक स्वयं स्वीकृत रूसी गुप्तचर हैं। एक गुप्तचर द्वारा सार्वजनिक व्यक्तियों पर लगाये गये आरोपों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। डा० रामसुभग सिंह का चरित्र और उनकी देश सेवायें हमारे सामने हैं। उनकी सत्यनिष्ठा और देश भक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता, गुप्तचर कोई भी हो, किसी भी देश का हो उसे जहर के समान समझना चाहिए। उनकी पुस्तक प्रचार सामग्री से भरी पड़ी है।

उसमें उन्होंने कुछ तथ्यों और बहुत सी झूठी बातों का वर्णन किया है, सारी पुस्तक में झूठ ही झूठ भरा पड़ा है। मुझे आश्चर्य है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस पुस्तक के प्रकाशन को स्वयं अपने हाथ में क्यों लिया। इस पुस्तक का मूल्य उस कागज के बराबर भी नहीं है जिस पर यह छपी है। इसलिये सभा को इस पुस्तक को कोई महत्व नहीं देना चाहिए।

श्री मधु लिमये ने एक अन्य प्रश्न उठाया था कि क्या विदेशी धन के बारे में कोई कानून है। मुझे यह कहना है कि इस विषय पर हमारे पास कानून है। सहायता के रूप में प्राप्त होने वाला कोई भी धन विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों के अधीन होता है।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 1 अप्रैल, 1968/12 चैत्र, 1890 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 1, 1968/Chaitra 12, 1890 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow. 4-9-68—600.